Thursday, 24 December, 1964

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित सस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF 3rd LOK SABHA DEBATES

[दसवां सत्र
Tenth Session]

Preservation 27-5-92
Fumigated On 14-12-83
Parliament Library

[खंड 36 में अंक 21 से 29 तक हैं
Vol. XXXVI contains Nos. 21—29]

Gazettes & Debates U
Parliament Library Buil
Room No. FB-025
Block 'G'

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची

अंक 29, गुरुवार, 24 दिसम्बर, 1964/3 पौष, 1886 (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

*तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
660	अफ्रीकी देशों में भारतीय डाक्टरों की मांग	2579–81
661	कर अपवंचन	2581–83
662	संसद् सदस्यों का होस्टल	2584–86
663	कलकत्ता में करेंसी नोटों का पकड़ा जाना	2587–89
665	होटल	2589–90
666	मैसर्स रोशे प्रोडक्ट्स लिमिटेड द्वारा लिब्रियम की बिक्री	2590–92
667	आगरा में कुष्ठ रोगियों की बस्ती	2592–94
669	बर्मा से प्रत्यावर्तित भारतीय व्यापारियों के लिए आयकर रियायतें	2594–95
670	नगरीय सम्पत्ति पर सीमा लगाना	2595–97

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या		
664	मैडिकल (चिकित्सा संबंधी) शिक्षा	2597
668	साहू जैन समवायों के बारे में जांच करने वाला निरीक्षक	2598
671	प्रीमियम इनामी बांड	2598
672	मैसर्स स्कोडा इण्डिया (प्राइवेट) लिमिटेड के श्री फ्राउस	2598–99
673	राज्यों द्वारा निधियों का काम में न लाया जाना	2599
674	कोचीन में ब्रिटिश फर्म पर छापा	2599–2600
676	विद्युत करघे	2600
677	सुनारों द्वारा प्रदर्शन	2600–01
678	अमरीका से ऋण	2601
679	गैर-योजना व्यय	2602
680	स्टाफ कारों पर व्यय	2602
अतारांकित प्रश्न संख्या		
1822	उड़ीसा में प्रसूति केन्द्र	2602–03
1823	रांची में मानसिक रोग अस्पताल	2603
1824	परिवार नियोजन कार्यक्रम	2604
1825	दिल्ली का योजना व्यय	2604
1826	परिवार नियोजन क्लिनिक	2604

* किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा मे उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

CONTENTS

No. 29, *Thursday, December* 24, 1964/*Pausa* 3, 1886 (*Saka*)

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS—

**Starred Question Nos.*	*Subject*	*Pages*
660	Demand for Indian Doctors in African Countries	2579–81
661	Tax Evasion	2581–83
662	M. Ps. Hostel	2584–86
663	Seizure of Currency Notes in Calcutta	2587–89
665	Hotels	2589–90
666	Sale of Librium by M/s. Roche Products	2590–92
667	Leper Colony in Agra	2592–94
669	Income-tax Concessions for Indian Repatriates from Burma	2594–95
670	Ceiling on Urban Property	2595–97

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—

Starred Question Nos.		
664	Medical Education	2597
668	Inspector investigating into Sahu-Jain Concerns	2598
671	Premium Prize Bonds	2598
672	Mr. Frous of M/s. Skoda (India) Private Ltd.	2598–99
673	Non-utilization of Funds by States	2599
674	Raid on British Firm in Cochin	2599–2600
676	Powerlooms	2600
677	Demonstration by Goldsmiths	2600–01
678	Loan from U.S.A.	2601
679	Non-Plan Expenditure	2602
680	Expenditure on Staff Cars	2602
Unstarred Question Nos.		
1822	Maternity Centres in Orissa	2602–03
1823	Mental Hospital, Ranchi	2603
1824	Family Planning Programme	2604
1825	Plan Outlay for Delhi	2604
1826	Family Planning Clinics	2604

*The sign+ marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
1828	बिक्री कर	2605
1829	अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान	2605
1830	अखिल भारतीय चिकित्सा संस्थान	2605–06
1831	बच्चों के लिये अस्पताल	2606
1832	गंडक परियोजना	2607
1833	रुधिर वाहिका का इलाज	2607
1834	दिल्ली भूमि और विकास विभाग द्वारा दी गयी भूमि	2607–08
1835	मधुमेह	2608
1836	पिछड़े क्षेत्र	2608
1837	संसद सदस्यों के फ्लैटों में पानी के मीटर	2609
1838	गांव में बिजली लगाना	2609–10
1839	इंग्लैंड में मंदिर का बनाना	2610
1840	क्षय रोग की रोकथाम के लिए अमरीकी सहायता	2610
1841	चोरी से मुद्रा लाने के कारण पाकिस्तानियों की गिरफ्तारी	2610–11
1842	चंडीगढ़ चिकित्सा संस्थान	2611
1843	अवैध सोना और चांदी की बरामदगी	2611
1844	कलकत्ता महानगरी जल तथा सफाई प्राधिकार	2612
1845	बंबई में तलाशियां	2612
1846	समवाय अधिनियम की नयी धाराओं का लागू होना	2612
1847	दंत चिकित्सा सेवा	2613
1848	स्टर्लिंग मुद्रा की चोरी बजारी	2613
1849	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों का स्थायी करना	2613–14
1850	दिल्ली में छिपी हुई राशि की प्राप्ति	2614
1851	प्लास्टिक का हृदवाल्व	2614
1852	पूना नगर में रिहायशी स्थान	2615
1853	पूना नगर की श्रेणी को ऊंचा करना	2615
1854	अलीगढ़ में गांधी नेत्र अस्पताल	2615–16
1855	बाढ़	2616
1856	इर्विन अस्पताल से गुम हो जाने वाले रोगी	2616
1857	शराब के ठेकों की नीलामी	2617
1858	जनसंख्या अध्ययन	2617
1859	उड़ीसा के स्वर्णकार	2618
1860	विद्युत शक्ति सर्वेक्षण समिति	2618–19
1861	करघों को लाइसेंस देने के लिये खादी आयोग का प्रस्ताव	2619–20

Unstarred Question Nos.	*Subject*	*Pages*
1828	Sales Tax	2605
1829	All India Institute of Medical Sciences	2605
1830	All India Institute of Medical Sciences	2605–06
1831	Hospital for Children	2606
1832	Gandak Project	2607
1833	Treatment of Blood Vessels	2607
1834	Land allotted by the Delhi Land and Development Department	2607–08
1835	Diabetes	2608
1836	Backward Areas	2608
1837	Water Meters in M.P's. Flats	2609
1838	Rural Electrification	2609–10
1839	Building of Temple in England	2610
1840	U.S. Aid for prevention of T.B.	2610
1841	Arrest of Pakistanis for smuggling Currency	2610–11
1842	Chandigarh Medical Institute	2611
1843	Recovery of Contraband Gold and Silver	2611
1844	Calcutta Metropolitan Water and Sanitation Authority	2612
1845	Searches in Bombay	2612
1846	Application of New Sections of Companies Act	2612
1847	Central Dental Service	2613
1848	Black Market in Sterling Currency	2613
1849	Confirmation of C.P.W.D. Employees	2613–14
1850	Realisation of Unaccounted Money in Delhi	2614
1851	Plastic Heart Valve	2614
1852	Residential Accommodation in Poona City	2615
1853	Upgrading of Poona City	2615
1854	Gandhi Eye Hospital, Aligarh	2615–16
1855	Army Unit for Flood Emergency	2616
1856	Patients reported missing from Irwin Hospital	2616
1857	Auction of Contracts for Liquor	2617
1858	Population Studies	2617
1859	Goldsmiths in Orissa	2618
1860	Electric Power Survey Committee	2618–19
1861	Khadi Commission's proposal for Licensing of Looms	2619–20

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमश :

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
1862	पेंशनर्स	2620
1863	लेखन सामग्री तथा मुद्रण कार्यालय, कलकत्ता	2620
1864	लेखन सामग्री तथा मुद्रण कार्यालय कलकत्ता में नैमित्तिक श्रमिक	2620–21
1865	राज्य बैंकों द्वारा किसानों की सहायता	2621
1866	यमुना की बाढ़ के कारण हुई क्षति	2621
1867	आय-कर निरीक्षक	2622
1868	संसद् सदस्यों का आयुर्वेदिक औषधियों पर खर्चा	2622
1869	जीवन बीमा निगम	2622–23
1870	जय इंजीनियरिंग कम्पनी, लिमिटेड के मद्रा प्रबन्धक	2623
1871	"सी" बिजली घर	2623–24
1872	नई दिल्ली में कार्यशील महिलाओं के लिये होस्टल	2624
1873	पश्चिमी अन्तर्राष्ट्रीय संघ से सहायता	2624
1874	गैर-सरकारी कम्पनियों में विदेशी विनियोग	2625
1875	अंडमान द्वीपों में जाने वाले भारतीयों के लिये स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र	2625–26
1876	पी० डब्ल्यू० डी० अंडमान और निकोबार द्वीप	2626

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

केन्द्रीय सरकार से अनाज की अपर्याप्त सप्लाई के कारण बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में उत्पन्न गम्भीर खाद्य स्थिति का समाचार —

श्री मधु लिमये 2626–27

श्री चि० सुब्रह्मण्यम 2627,2648–51

ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में प्रश्न 2627

सभा-पटल पर रखे गए पत्र 2627–28

प्राक्कलन समिति के सोलहवें प्रतिवेदन में सम्मिलित किये जाने के लिये विवरण 2629

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिती—

ग्यारहवीं बैठक का कार्यवाही सारांश 2629

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति 2629

अनुपस्थिति की अनुमति 2630

प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य के बारे में 2630–33

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—*Contd.*

Unstarred Question Nos.	*Subject*	*Pages*
1862	Pensioners	2620
1863	Stationery and Printing Office, Calcutta	2620
1864	Casual Workers in Stationery and Printing Office, Calcutta	2620–21
1865	Aid to Farmers through State Banks	2621
1866	Damage caused by Floods in Yamuna	2621
1867	Income Tax Inspectors	2622
1868	M.P.'s Expenses on Ayurvedic Medicines	2622
1869	L.I.C.	2622–23
1870	General Manager, Jay Engineering Co. Ltd.	2623
1871	'C' Power Station	2623–24
1872	Working Women's Hostel, New Delhi	2624
1873	Aid from Western Consortium	2624
1874	Foreign Investment in Private Companies	2625
1875	Health Certificates for Indians going to Andaman Islands	2625–26
1876	P.W.D., Andaman and Nicobar Islands	2626

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE—

Reported serious food situation in Bihar, Orissa, Rajasthan, Punjab, Maharashtra and U. P. arising out of inadequate supply of food-grains from the Centre—

Shri Madhu Limaye . . . 2626–27

Shri C. Subramaniam 2627, 2648–51

RE : CALLING ATTENTION NOTICE (Query) . . 2627

PAPERS LAID ON THE TABLE 2627–28

STATEMENTS FOR INCLUSION IN THE SIXTEENTH REPORT OF THE ESTIMATES COMMITTEE . . 2629

COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS FROM SITTINGS OF THE HOUSE—

Minutes of Eleventh Sitting. . . . 2629

PRESIDENT'S ASSENT TO BILLS 2629

LEAVE OF ABSENCE FROM SITTINGS OF THE HOUSE 2630

RE : STATEMENT BY PRIME MINISTER . . . 2630–33

विषय	पृष्ठ
चीनी आक्रमण के सम्बन्ध में सरकार की स्थिति के बारे में वक्तव्य—	
श्री लाल बहादुर शास्त्री . . .	2633–35
देश में आर्थिक स्थिति के बारे में वक्तव्य—	
श्री ति० त० कृष्णमाचारी . .	2636–38
स्वर्ण (नियंत्रण) विधेयक—	
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . .	2638–40
संघ लोक सेवा आयोग के तेरहवें और चौदहवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव—	
श्री हाथी	2640–41
श्री नारायण दांडेकर	2641
श्री हरिश्चन्द्र माथुर .	2642
श्री मानसिंह पृ० पटेल . . .	2643
श्री सेझियान .	2643–45
श्री दी० चं० शर्मा .	2645
श्री मलाइछामी .	2645–46
श्री गौरी शंकर कक्कड़ . .	2646–47
श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी . . .	2647
श्री उ० मू० त्रिवेदी . .	2647–48
कपास के अनिवार्य सर्वेक्षण के बारे में वक्तव्य—	
श्री मनुभाई शाह	2651–52
समुद्री तूफान के कारण रामेश्वरम में हुए विनाश के बारे में	2652
लोक महत्व के विषयों के बारे में एक घंटे की चर्चा . . .	2652–56

Subject	*Pages*
STATEMENT RE : GOVERNMENT'S POSITION ON CHINESE AGGRESSION—	
Shri Lal Bahadur Shastri	2633–35
STATEMENT RE : ECONOMIC SITUATION IN THE COUNTRY—	
Shri T. T. Krishnamachari	2636–38
GOLD (CONTROL) BILL—	
Motion to pass, as amended	2638–40
MOTION RE : THIRTEENTH AND FOURTEENTH REPORTS OF U.P.S.C.—	
Shri Hathi	2640–41
Shri N. Dandeker	2641
Shri Harish Chandra Mathur . . .	2642
Shri Man Sinh P. Patel	2643
Shri Sezhiyan	2643–45
Shri D. C. Sharma	2645
Shri M. Malaichami	2645–46
Shri Gauri Shankar Kakkar . . .	2646–47
Shri J. P. Jyotishi	2647
Shri U. M. Trivedi	2647-48
STATEMENT RE : COMPULSORY SURVEY OF COTTON—	
Shri Manubhai Shah	2651–52
RE : TIDAL WAVE CATESTROPHE AT RAMESHWARAM	2652
ONE HOUR DISCUSSION ON MATTERS OF PUBLIC IMPORTANCE	2652–56

लोक-सभा

LOK-SABHA

गुरुवार, 24 दिसम्बर, 1964/3 पौष, 1886 (शक)

Thursday, December 24, 1964/*Pausa* 3, 1886 (*Saka*)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

[The Lok Sabha met at Eleven of the Clock]

**[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair]**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Demand for Indian Doctors to African Countries

*660. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Jagdev Singh Siddhanti :

Will the Minister of **Health** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there is an increase in the demand for the services of Indian doctors from some of the African countries;

(b) if so, the names of the countries from whom such demands have been received; and

(c) whether any scheme has been formulated in this behalf ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health (Shri P. S. Naskar) : (a) Yes.

(b) Libya, Nigeria, Uganda, Kenya, Somalia, Sudan and Ethiopia.

(c) A panel of qualified and willing personnel specialised in various medical fields is maintained by the Ministry of Home Affairs for this purpose. The authorities of the concerned countries also insert advertisements in the Indian papers for the services of doctors and the Ministry of External Affairs assist those countries in the interview of the candidates by making available the services of suitable experts.

Shri Prakash Vir Shastri : How many doctors have so far been sent from India for these medical services and what type of reports have been received about their work?

Health Minister (Dr. Sushila Nayar) : Sir, we are sending doctors to four countries. They are many.

Mr. Speaker : What is the total number ?

Dr. Sushila Nayar : May I count them ?

Mr. Speaker : Not now.

Dr. Sushila Nayar : Their reports are generally good.

Shri Prakash Vir Shastri : In view of the fact that the doctors who are sent abroad are industrious and efficient, whether the Government of India have received any demand for the services of doctors from some other countries and the Government have failed to meet their demand for want of doctors ?

Dr. Sushila Nayar : Sir, time and again, we have been receiving such demands from the developing countries that are interested to get the services of our doctors. We are bound to meet the demands received under the Colombo Plan and besides this in order to foster friendship we try to meet the requirements of other countries also as far as possible even when there is paucity of doctors.

Shri Jagdev Singh Siddhanti : Is there any demand for the services of *vaids* and *hakims* from other countries like Ceylon etc.; if so, the action taken in the matter?

Dr. Sushila Nayar : We have not received any such demand.

श्री नरेंद्र सिंह महीडा : क्या इन डाक्टरों में केवल फ़िज़ीशियन ही हैं अथवा सर्जन भी हैं ?

डा० सुशीला नायर : इनमें सभी प्रकार के विशेषज्ञ हैं--सर्जन, फिजीशियन आदि ।

श्री० शिंकरे : देश में डाक्टरों की कमी को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्रालय डाक्टरों को इंग्लैंड जैसे उन्नत देशों में जाने से रोकने के लिये कोई कार्यवाही करेगा ?

डॉ० सुशिला नायर : कुछ उन्नत देशों में प्रशिक्षित डाक्टरों के सामूहिक निष्क्रमण को रोकने के लिये हर सम्भव प्रयत्न किया जाता है । इसी दृष्टिकोण से हम ने प्रशिक्षण के लिये बाहर जाने वालों पर प्रतिबन्ध लगाये हैं । हम चाहते हैं कि वे जो कुछ सीखना चाहते हैं इसी देश में ही सीखें ।

Shri Bhagwat Jha Azad : Is it a fact that the exodus of doctors to foreign countries is still going on inspite of the restrictions imposed on them because of the fact that the scales of pay in foreign countries particularly in America, England and Canada are much higher than those offered by us?

Dr. Sushila Nayar : It is true that most of the doctors go there after getting employment ships and work there as house surgeons and also learn something. As regards the question of higher pay it may be pointed out that it is higher if we compare its foreign exchange value with rupees but in fact the purchasing capacity of a dollar in America is the same as we find of Rupee here. So they do not get higher pay.

Shri Gulshan : Is it a fact that there is a separate Medical Department for Railway, and if so, whether doctors of this Department have also been sent abroad ?

Dr. Sushila Nayar : Applications were invited from different departments. List of those who are willing and whom we think suitable, has been prepared and kept in the Ministry of Home Affairs.

Shri Gulshan : I have asked whether any doctor from Railway Department has gone abroad.

Dr. Sushila Nayar : These might be some from Railways also but I cannot say exactly.

Shri Ram Sevak Yadav : Are these doctors sent to foreign countries particularly to Europe and America for a fixed duration ; if so, whether those doctors who had gone for a fixed period have come back, and if not the reasons therefore ?

Dr. Sushila Nayar: There is a fixed period for those who go there for training, but as regards those who go there of their own accord as referred to by Shri Bhagwat Jha Azad above, we have no control on them. Sometimes they remain there for longer time and some of them even do not come back.

Shri J. P. Jyotishi : Do Government think it proper that these doctors after spending money of this country on education, go abroad for employment out of sheer selfishness and whether Government propose to impose certain restrictions on them ?

Dr. Sushila Nayar : It depends on one man's opinion. Whatever restrictions we can impose, have already been imposed on them.

Tax Evasion

*661. **Shri Bibhuti Mishra :**
Shri K. N. Tiwary :
Shri Dharmalingam :
Shri Y. S. Chaudhary :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that while speaking on the Direct Taxes Amendment Bill be stated that the tax evasion could not be stopped immediately ; and

(b) if so, the steps taken to plug the tax evasion ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shri Rameshwar Sahu):

(a) Yes, Sir.

(b) A number of legislative and administrative measures have been taken to check tax-evasion. Besides tightening up the various provisions in the Direct Taxes Acts the Government have undertaken an intensive drive to identify new assessees. More liberal rewards have been announced for informers giving useful information leading to detection of cases of large tax evasion. The powers of searches and seizures are being increasingly exercised to discover untaxed and hidden income and assets.

Shri K. N. Tiwary : Has any study been made as to which category of people practices more tax evasion ?

Planning Minister (Shri B. R. Bhagat) : All types of people are there.

Shri K. N. Tiwary : Such as lawyers, doctors and businessmen.

Shri B. R. Bhagat : They are also there.

Shri K. N. Tiwary : May I know what steps have so far been taken in this connection and the result there of and also the amount so far realised ?

Shri B. R. Bhagat : Several measures have been taken. The laws have been modified to provide for more punishment. The number of income-tax payers has increased from 10 lakhs to 15-16 lakhs and after sometime this number might go upto about 20 lakhs. A compaign is going on to find out tax evaders. All these measures are being taken.

Shri Kashi Ram Gupta : Are there any tax-payer whose income is more than one lakh or more than 20 to 25 lakhs ?

Shri B. R. Bhagat : Such people are also there.

Shri Kashi Ram Gupta : What is their number ?

Shri B. R. Bhagat : I would require notice.

श्री श० ना० चतुर्वेदी : क्या इस बारे में लेखा-परिक्षा सेवा का राष्ट्रीयकरण करने पर विचार किया गया है ?

श्री ब० रा० भगत : नहीं, इस सम्बन्ध में नहीं ।

Shri Tulsidas Jadhav : May I know the number of those who have not so far paid the income-tax and the amount to be realised ?

Shri B. R. Bhagat : If we come to know of them, we would impose income-tax on them.

श्री बूटा सिंह : उन वर्तमान तथा भूतपूर्व मंत्रियों, मुख्य मंत्रियों की संख्या कितनी है जिन के विरुद्ध कर अपवंचन के मामले दर्ज किये गये हैं ? क्या जम्मू तथा काश्मीर के भूतपूर्व मंत्री श्री बक्षी गुलाम मुहम्मद के विरुद्ध भी कोई मामला दर्ज किया गया है ?

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Shri Kairan also.

श्री ब० रा० भगत : मैं प्रश्न सुन नहीं सका हूं ।

अध्यक्ष महोदय : वर्तमान तथा भूतपूर्व मंत्रियों तथा मुख्य मंत्रियों के नाम जिन के विरुद्ध कर अपवंचन सम्बन्धी मामले दर्ज किये गये हैं ।

श्री ब० रा० भगत : मेरे पास अभी जानकारी नहीं है अत: मैं सूचना चाहता हूं । जहां तक उन के वेतन का सम्बन्ध है उन से आयकर पहले ही काट लिया जाता है ।

श्रीमती सावित्री निगम : समाचार छपे हैं कि जांच योजना आरम्भ की गई है । इस का ब्योरा क्या है और इस से अब तक क्या लाभ हुआ है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : कर अपवंचन करने वालों का पता लगाने में कोई एक निश्चित योजना नहीं बनाई जा सकती यदि मैं अधिकारियों से पूछू कि वे क्या कर रहे है तो हम उन को यह सब जानकारी दे रहे होंगे ।

Shri P. G. Sen : Is it not improper that on one hand income-tax amounting to Re. 1, Rs. 2, Rs. 10 and Rs. 20 is collected from Government employees and on the other hand there is a long list of tax-evaders against whom arrears run in crores ?

Mr. Speaker : Should we exempt the Government servants who are paying income-Tax ?

Shri Prakash Vir Shastri : May I know whether Government got any figures in regard to the arrears of Income-Tax ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : वास्तव में यदि हमें यह पता होता कि कर की ठीक कितनी राशि है तो हम उसे उगाह लेते। हम तो इसका पता लगाने का प्रयत्न कर रहे है कि यह राशि कितनी है और हम लगातार यह कार्य कर रहे है ।

Shri Yashpal Singh : On the one hand the Hon. Minister had once stated in this very House that stringent action could not be taken aganist tax-evaders and on the other hand the farmers are sent to jails even if there is an arrear of Rs. 5 only. If we do not take strong action against the Mill owners, how can we collect the taxes ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मुझे याद नहीं है कि मैं ने पहले कभी ऐसा कहा है कि कर अपवंचन के बारे में सख्ती नहीं की जायेगी।

श्री बड़े : प्रत्यक्ष कर संशोधन विधेयक पर बोलते हुए माननीय मंत्री ने कहा था कि कर अपवंचन को तुरन्त नहीं रोका जा सका परन्तु उन्हों ने अब तक इस के कारण नहीं बताये जैसा कि मुझे याद है। क्या मैं कारण और इस बारे में जो शीघ्र कदम उठाये जा रहे है, जान सकता हूं।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मेरे साथी ने अभी बताया कि 1963 में कर धारियों की संख्या 1.3 मिल्लियन थी। आशा है इस वर्ष यह संख्या बढ़ कर 2 मिल्लियन हो जायेगी और इस प्रकार प्रतिदिन संख्या में वृद्धि हो रही है। हम अन्य लोगों से जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं और लेखा पुस्तकों को पकड़ रहे हैं और यह कार्यविधि जारी रहेगी।

श्री द्वा० ना० तिवारी : क्या ऐसे मामलों में जहां कर दाता कर देने की स्थिति में नहीं हैं अथवा कारोबार बन्द कर दिया है, आय कर बट्टे खाते में डालने की कोई योजना है और यदि हां, तो 1963-64 में बट्टे खाते में डाली गई राशि कितनी है ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मेरे पास यह जानकारी नहीं है।

श्री उ० मू० त्रिवेदी : श्री बिजू पटनायक ने कहा है कि उन की कुल आय 10 करोड़ है। क्या मंत्री जी को यह बताया गया है कि 10 करोड़ की समस्त राशि पर आय कर लिया गया था ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : हम लोगों के आय के बारे में सभी वक्तव्यों की खोज नहीं लगाते फिरते। अजबता आयकर अधिकारी इस बात का ध्यान रखेगा।

श्री हरि विष्णु कामत : उत्तर टालने वाला है। लोक हित में उन्हें उत्तर देना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : उत्तर पहले ही दिया जा चुका है। उन्हें अलग से प्रश्न करना चाहिये।

श्री हरि विष्णु कामत : श्री बिजू पटनायक ने यह वक्तव्य एक भूतपूर्व मुख्य मंत्री की स्थिति में नहीं दिया बल्कि तीन वर्ष पूर्व जब वह मुख्य मंत्री के पद पर आसीन थे तब उन्होंने यह कहा था। क्या सरकार ने इस बारे में कोई जांच करायी है। रिपोर्ट के अनुसार उन्हों ने कहा था कि "मैं दस साल पूर्व एक कंगाल था, अब मेरे पास 10 करोड़ रु० है। मुझे खेद है कि मेरे पास और अधिक धन नहीं है"। यह बात समाचार पत्रों में आयी है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री ने बता दिया है कि उन के पास उत्तर तैयार नहीं है तथा पूर्व सूचना दी जाय।

M. Ps. Hostel

\+

*622. Shrimati Savitri Nigam :
Shri M. L. Dwivedi :
Shri S. C. Samanta :
Shri Subodh Hansda :
Shri Ram Chandra Mallick :

Will the Minister of **Works** and **Housing** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 254 on the 10th September, 1964 and state:

(a) the progress so far made in the construction of the multi-storeyed building for Members of Parliament behind the Chelmsford Club, New Delhi;

(b) the nature of special facilities that will be provided in this building in comparison to those which obtained in the Constitution House; and

(c) the total expenditure involved in its construction ?

The Minister of Works and Housing (Shri Mehr Chand Khanna) : (a) The progress is very satisfactory.

(b) Constitution House was constructed during the last War as a merely temporary structure. The new Hostel for Members of Parliament will on the other hand be a modern six-storeyed building. There will be 108 single and 36 double suites each with attached bathroom, kitchen and verandah. Attached to the Hostel will be a Club building and an Auditorium with a seating capacity of 720.

(c) The estimated cost of the Hostel, Club and Auditorium is likely to be over Rs. 60 lakhs. The exact amount will only be known after the buildings have been completed and final payments made.

Shrimati Savitri Nigam : May I know whether lifts has been installed in the multi-storeyed buildings because many Hon. members cannot climb stairs ?

Shri Mehr Chand Khanna : Yes Sir.

Shrimati Savitri Nigam: May I know whether similar catering arrangements will be made in this hostel as were available in Constitution House ?

Shri Mehr Chand Khanna : I have provided kitchen for my sister. She can herself cook her meals.

Shri Shiv Narain : I want to know if a proposal to remodel old flats and to provide there good furniture have been made ?

Shri Mehr Chand Khanna : So far as the flats at North Avenue and South Avenue are concerned we are prepared for the necessary repairs and if the furniture requires replacement we are prepared for that also.

श्री सुबोध हंसदा : माननीय मंत्री ने कहा कि निर्माण कार्य का खर्चा 60 लाख रु० होगा। योजना आयोग ने सभी निर्माण एककों से व्यय घटाने को कहा है क्या इससे निर्माण कार्य के व्यय में भी कोई कमी हो जायगी ?

अध्यक्ष महोदय : यह निर्माण व्यय के बारे में नहीं है।

श्री शिंकरे : भाग (ग) निर्माण में व्यय के बारे में है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री ने कहा है कि पूरे खर्चे का पता बाद में चलेगा।

श्री सुबोध हंसदा : पहला अनमान 60 लाख रु० का है। क्या इस में कोई कमी की जायगी ?

अध्यक्ष महोदय : यह काम पूरा होने पर मालूम होगा।

श्री बसुमंतारी : क्या संसद सदस्यों को अनिवार्यतः इस बहु-मंजिला इमारत में जाना होगा ?

श्री मेहरचन्द खन्ना : इस प्रश्न पर माननीय अध्यक्ष तथा आवास समितियों के सभापतियों को विचार करना होगा। मैं निवदन करता हूं कि संसद सदस्यों के रहने के स्थानों की कमी को देखते हुए इस बड़े भवन का निर्माण हो रहा है। मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य इस का उपयोग करेंगे।

श्री कपूर सिंह : इन कमरों का किराया कितना होगा और क्या ये कमरे तथा क्लब गर्मियों में वातानुकूलित होंगे ?

श्री मेहरचन्द खन्ना : जहां तक किराये का सम्बन्ध है--उस दिन भी आप ने प्रश्न उठाया था--इस पर विचार हो रहा है। मैं इस समय इस स्थिति में नहीं हूं कि निश्चित रूप में बता सकूं। परन्तु मैं यह बता सकता हूं कि हम संसद सदस्यों से अधिक नहीं लेंगे। किराया ठीक ही होगा।

श्री कपूर सिंह : मेरे प्रश्न के पिछले भाग का उत्तर नहीं दिया गया। यह कमरे इतने छोटे हैं कि उनके वातानुकूलित किये बिना वहां रहा नहीं जा सकता।

श्री मेहरचन्द खन्ना : जहां तक वातानुकूलन का सम्बन्ध है ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। विदेशी मुद्रा की कठिनाई है। परन्तु इस का प्रबन्ध कर दिया गया है कि यदि कोई माननीय सदस्य वातानुकूलन यंत्र लगवाना चाहें तो लगवा सकते हैं।

श्री कपूर सिंह : क्लब के बारे में क्या प्रबन्ध है।

अध्यक्ष महोदय : यह उन के लिये नहीं होगा।

श्री मेहरचन्द खन्ना : ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री कपूर सिंह : हम वहां नहीं जायेंगे। आप हमें इस के लिए बाध्य नहीं कर सकते।

श्री हरि विष्णु कामत : कुछ समाचार पत्रों में छपी इस रिपोर्ट में कहां तक सचाई है कि वर्द्धमान वेस्टर्न कोर्ट होस्टल किसी अवांछनीय प्रयोग में लाया जायगा।

श्री रघुनाथ सिंह : यह 'अवांछनीय' प्रयोजन क्या है ? कृपया बतायें।

श्री हरि विष्णु कामत : मैं वह बताऊंगा--क्या सरकार उन संसद सदस्यों को जो वेस्टर्न कोर्ट होस्टल में रहना पसंद करेंगे बलपूर्वक वहां से निकाल देगी ?

श्री रघुनाथ सिंह : वह यह बतायें कि अवांछनीय प्रयोजन क्या है।

श्री के० दे० मालवीय : मैं जानना चाहता हूं कि अवांछनीय प्रयोजन कैसे होगा ?

श्री हरि विष्णु कामत : मेरा अभिप्राय है--विभिन्न प्रयोजन।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति।

श्री मेहरचन्द खन्ना : यदि माननीय सदस्य का अभिप्राय है कि जहां भी संसद सदस्य रहते है वह स्थान बिल्कुल अवांछनीय.....

श्री हरि विष्णु कामत : वह जारी रहें। मैं बाधा नहीं डाल रहा हूं।

श्री मेहरचन्द खन्ना : जैसा कि मैंने अभी कहा है जब सदस्य होस्टल खाली कर देंगे तो इस विषय पर अध्यक्ष महोदय तथा आवास समितियों के सभापतियों से बात की जायगी और इसको यथासम्भव अच्छे से अच्छे प्रयोजन के लिये प्रयोग में लाया जायगा। परन्तु मैं आशा करता हूं कि जब रफ़ी मार्ग पर हमारे पास यह सुन्दर होस्टल.....

श्री रंगा : परन्तु हमें अधिक सुन्दर रखने दो।

श्री मेहरचन्द खन्ना : जहां पर सभी सुविधायें उपलब्ध की जा रही हैं। जो सदस्य वेस्टर्न कोर्ट में रह रहे है उन्हें नये होस्टल में जाना होगा।

श्री हरि विष्णु कामत : नहीं। नहीं। हम वहीं रहेंगे। आप को हमे बलपूर्वक वहां से हटाना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय : ज़बरदस्ती का कोई सवाल नहीं है।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: The Hon. Minister has said that there are 720 rooms. I want to know that in case all the rooms are not occupied by M. Ps. whether those rooms will be rented to other people ? If so, the amount expected as rent and to what use the vacant flats will put ?

Mr. Speaker : It will be seen.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Mr. Speaker, on a point of order, he should answer my question.

Mr. Speaker : There is no point of order.

श्री कपूर सिंह : मैं माननीय मंत्री से कहूंगा कि यह कमरे तो मुर्गी खाना बनाने के लिये ठीक है मनुष्यों के लिये नहीं। उन्होंने कहा है कि इस में वातानुकूलन की व्यवस्था नहीं होगी।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति।

श्री रंगा : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि स्वर्गीय पन्डित मोतीलाल नेहरू उसमें रहे थे तथा और बहुत से प्रतिष्ठित देशभक्त उसमें रहे थे, मोतीलाल नेहरू शताब्दी समिति तथा देश की जनता ने वेस्टर्न कोर्ट में उनकी प्रतिमा लगवाई तथा उसकी वास्तु-कला संबंधी सुन्दरता जो भारत सरकार द्वारा निर्माण किये गये अन्य भवनों से अधिक है.....

श्री हरि विष्णु कामत : प्रतिष्ठित स्थान।

श्री रंगा : भारत सरकार इस को व्यापारिक होटल में क्यों नहीं बदल रही है ? इस के अलावा संसद सदस्यों को अन्य स्थानों के बजाय यहां रहने के लिए क्यों प्रोत्साहन नहीं देना चाहिये।

श्री मेहरचन्द खन्ना : यह प्रश्न बिल्कुल काल्पनिक है। मैं फिर कहूंगा कि इस सारे विषय पर अध्यक्ष महोदय आवास समितियों के सभापतियों से बातचीत करेंगे।

Seizure of currency Notes in Calcutta

*663. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that currency notes worth Rs. 19 lakhs were seized by the Calcutta City Police from the pepper bags in the course of a raid made by the Income-tax Department on a godown in Amartala Street in Calcutta recently ;

(b) if so, the details of the incident ; and

(c) the action taken in the matter ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shri Rameshwar Sahu) : (a) Yes, Sir.

(b) On the 6th and 7th November, 1964, a search was conducted by the Income-tax Department with the assistance of the Calcutta Police in the godown of a firm dealing in spices in Calcutta. In the course of the search currency notes worth Rs. 18,83,700 were recovered from 3 gunny bags in the godown. A large number of documents kept concealed in another bag were also recovered. The cash and documents have been seized by the Police.

(c) Police have registered a case against the partners under the Defence of India Rules. An Income-tax assessment has been made on the firm in respect of the income concealed by the firm raising a demand of Rs. 19,99,890.

Shri Hukam Chand Kuchhavaiya : I want to know whether this firm was ever caught before, for making counterfeit currency notes, if so, what was the fine and how many times it was imposed ?

Shri Rameshwar Sahu : No arrest was made before in this connection.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : I want to know whether some political parties or foreign countries are involved in it, if so, what are those parties and which are the countries ?

Shri Rameswar Sahu : No party is involved in it.

डा० रानेन सेन : क्या यह सच है कि पिछले मास कलकत्ता में कुछ तलाशियां ली गई थीं और कुछ रुपया प्राप्त हुआ था ; यदि हां, तो उन फर्मों के नाम क्या हैं और उनसे कितना रुपया प्राप्त हुआ ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : क्या यह सच है कि अन्य स्थानों में भी कई तलाशियां ली गई थीं, और कुछ रुपया भी पकड़ा गया है। विस्तारपूर्वक विवरण देने के लिये मुझे अलग सूचना चाहिये।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : The second part of my question has not been replied.

Mr. Speaker : You have already asked two questions and you have again stood up.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : I had asked whether some foreign countries are involved and which are those countries, he has not replied to it.

Mr. Speaker : He has replied in negative.

Shri Raghunath Singh : As lakhs of rupees have been recovered from those black pepper bags, I went to know the place from where this pepper came and, whether some searches were made there in this connection ?

The Minister of Planning (Shri B. R. Bhagat) : These black pepper bags from which currency notes worth Rs. 19 lakhs were recovered belong to a firm dealing in black pepper, and it is not known from where this black pepper came.

Shri Raghunath Singh : What is the name of that firm ?

Shri B. R. Bhagat : The name of that firm is 'Dayalji Bhawanji' which is trading in black pepper.

Shri Raghunath Singh : When currency notes have been found in black pepper bags, the police should also have investigated there from where this pepper came ?

Shri B. R. Bhagat : We will consider.

श्री श्यामलाल सर्राफ : क्योंकि इस छिपे हुये धन का पता लग गया है, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने इसका पता लगाने के लिये कोई कार्यवाही की है कि यह धन कहा से आया था ?

श्री ब० रा० भगत : इसके साथ लेखा पुस्तकें भी पकड़ी गई थीं। यह धन ऐसा लाभ है जिसको छिपा कर रखा गया था। यह कहीं और जगह से नहीं आया था।

श्री मुरारका : क्या यह सच है कि उस फर्म ने न्यायालय में यह शिकायत की है कि उस व्यक्ति के सामने जो राशि बताई गई थी, वास्तव में उससे बहुत अधिक राशि जब्त की गई थी ?

श्री ब० रा० भगत : वह न्यायालय में गये थे, परन्तु उन्होंने ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया।

Shri Kashi Ram Gupta : Since how long this firm is working and what is it's capital outlay ?

Mr. Speaker : What will you do with these details ?

Shri Kashi Ram Gupta : We can know that since when this firm is working and what is its' capital outlay ?

Mr. Speaker : Order, Order.

Shri Madhu Limaye : These raids are being conducted in Calcutta and Bombay since a long and many types of rumours are current; so will the concerned Minister place the details before the house as to how many houses have been raided, the number of currency notes seized and the number of people against whom cases are being registered ?

Shri B. R. Bhagat : If the hon. member gives a separate notice, then I will place the details before the house.

Shri Bade : The Government have seized Rs. 19 lakhs and registered a case. But it is a common experience of lawyers that black money entries are not found in the accounts book. Have the Government tried to check the account books of other firms after seeing the cross entries in these account books.

Shri B. R. Bhagat : When it is considered necessary, the other firms will also be searched; but so far it has not been considered necessary.

Shri K. N. Tiwary : The names of the big cities where these raids have been carried out so far and the names of firms which have been raided ?

Mr. Speaker : This question is about a single firm.

श्री भागवत झा आजाद : क्या सरकार छिपे हुए धन पर एक श्वेत पत्र सभा पटल पर रखेगी ताकी जो कुछ सरकार कर रही है उसको हम समझ सकें।

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : ऐसा आश्वासन देना बड़ा कठिन है। यदि सूचना किसी एक व्यक्ति के सम्बन्ध में हो तो जब तक सारा मामला सिद्ध नहीं हो जाता, तब तक सूचना देने में कठिनाई है। परन्तु जो कुछ हम कर रहे हैं उसका सार समय समय बता दिया जाता हैं। अगले सत्र के आरम्भ में छापों की संख्या के बारे में सूचना दे दी जायगी।

होटल

*665. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री पोट्टेकाट्ट :

क्या **निर्माण** और **आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पर्यटकों के लिये आवास की व्यवस्था करने के लिये बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, एरणाकुलम और दिल्ली के नगरों में ऐसे बहुत से होटल, जिन में अधिक व्यक्तियों के रहने की व्यवस्था हो, निर्माण करने की एक योजना सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) और (ख) आजकल राजधानी में 700 से 800 व्यक्तियों के लिए एक होटल बनाये जाने के प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है। अभी योजना अन्तिम रूप से नहीं बन पाई है इसलिए कोई विवरण नहीं दिया जा सकता। हांग कांग और जापान में आधुनिक होटलों के निर्माण और डिज़ाइनों का अध्ययन करके अभी हाल ही में एक डेलीगेशन वापस लौटा है। उनके द्वारा प्राप्त अनुभव के आधार पर अब नये होटल की योजना को हाथ में लिया जायेगा। रूपरेखा के तैयार होने और अन्तिम रूप से योजना के बनने में कम से कम एक वर्ष लग जायेगा।

फिलहाल दूसरे शहरों में होटल बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री सुबोध हंसदा : माननीय मंत्री ने कहा है कि एक डेलीगेशन हांग कांग और अन्य स्थानों में होटलों के नमूनों का पता लगाने गया था। क्या सरकार ने इस डेलीगेशन को भेजने के लिये बहुत सा धन व्यय किया था ?

श्री मेहरचन्द खन्ना : जी नहीं, इस बारे में बहुत ही कम राशि: शायद कुछ हज़ार रुपये खर्च हुई थी।

श्री सुबोध हंसदा : सरकार कुछ होटलों का निर्माण कर रही है, इस पर ध्यान रखते हुए क्या सरकार, होटल जांच समिति की सिफारिशों के अनुसार, इन होटलों के प्रबन्ध के लिये एक निगम बनाने का विचार कर रही है।

श्री मेहरचन्द खन्ना : होटलों की बहुत कमी है और इससे हमारे पर्यटक यातायात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, अत: बड़े होटलों का—छोटे और अन्य—इनको 1, 2, 3, 4 और 5 स्टार वाले कहा जाता है—देश के कुछ बड़े शहरों में बनाने का विचार है।

श्री सुबोध हंसदा : मेरा प्रश्न यह नहीं था।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या माननीय मंत्री को पता है कि पर्यटक यातायात की उन्नति के लिये चण्डीगढ़ और पठानकोट में एक होटल की आवश्यकता है और यदि उनको पता है तो इन स्थानों में पर्यटन यातायात की उन्नति के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री मेहरचन्द खन्ना : मेरे पास इस सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं है।

श्री बसुमतारी : इस तथ्य को देखते हुये कि पर्यटन की दृष्टि से आसाम बहुत महत्वपूर्ण है क्या मंत्री महोदय का वहां होटल बनाने का कोई प्रस्ताव है ?

श्री मेहरचन्द खन्ना : मेरी सूचना के अनुसार, नहीं।

श्री हरि विष्णु कामत : समाचारपत्रों में प्रकाशित यह समाचार कहां तक सच है कि विश्वव्यापी हिलटन संस्था दिल्ली में एक होटल बनाने का विचार कर रही है, और यदि यह समाचार ठीक है तो दिल्ली में या अन्य स्थानों में सरकारी होटलों पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

श्री मेहरचन्द खन्ना : जहां तक प्रश्न के पहले भाग का सम्बन्ध है यह प्रश्न परिवहन मंत्रालय से सम्बन्धित है। निर्माण और आवास मंत्रालय सार्वजनिक क्षेत्र में होटलों का निर्माण कर रहा है और ये होटल सरकारी होंगे।

Shri P. L. Barupal : If some private firm wants to construct a hotel, what help and aid can the Government give them ?

Shri Mehar Chand Khanna : I am prepared to allot land in Delhi. I will auction it. Any good hotelier can take it.

श्री नरेन्द्र सिंह महीदा : क्या सरकार की यह नीति है कि गैर सरकारी क्षेत्र में होटल न बनाये जायें ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने उसका उत्तर दे दिया है।

श्री राम सहाय पाण्डेय : कितनी विदेशी फर्मों ने, जो इस व्यवसाय में लगी हुई हैं, भारत में होटल निर्माण करने की आज्ञा मांगी है ?

श्री मेहरचन्द खन्ना : मेरा विचार है कि मैंने पहले ही इस प्रश्न का उत्तर दे दिया है।

श्री श० ना० चतुर्वेदी : क्या सरकार बड़े शहरों में ही होटल बना रही है अथवा ऐतिहासिक महत्व के ऐसे स्थानों पर बनानेका भी विचार करेगी जहां गैर सरकारी क्षेत्र के लोग होटल नहीं बना रहे ह, और इसी कारण पर्यटक उद्योग को हानि हो रही है ?

श्री मेहरचन्द खन्ना : इस मंत्रालय का इस से कोई सम्बन्ध नहीं है।

Sale of Librium by M/s. Roche Products

+

*666. **Shri Kishen Pattnayak :** Will the Minister of **Health** be pleased to state :

(*a*) the rate per kilogram at which M/s. Roche Products Ltd., Bombay import the drug Chloradiazepexide being sold in India under the trade name 'Librium' ;

(*b*) whether La Medica of Delhi import the same drug from Italy and if so, at what rate ; and

(*c*) the number of other firms importing this drug and the average price thereof at which it is imported ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health (Shri P. S. Naskar) : (a) The c.i.f. price at which the firm imported this drug during 1963-64 was Rs. 5,555 per kilogram.

(b) Yes ; Messrs. La Medica of Delhi are understood to have imported this drug at the c.i.f. price of Rs. 312 per kilogram.

(c) So far as Government are aware no other firm is importing this drug.

Shri Kishen Pattnayak : One firm is importing at the rate of Rs. five thousand and the other firm is importing at the rate of rupees three hundred. What is the reason for such a vast difference and what is the loss incurred by the country in foreign exchange ?

श्री पू० शे० नास्कर : रोशे कम्पनी ने इस औषधि को स्विट्जरलैंड से 5,555 रूपय प्रति किलोग्राम की दर से आयात किया था। भारतीय फर्म, दिल्ली की मैसर्स ला मैडिका, इटली से कच्चा माल आयात कर रही हैं, और इटली में कोई 'पेटेंट' कानून नहीं है। वह इस पदार्थ को अन्य देशों से, जहां 'पेटेंट' कानून है, सस्ते दाम पर बेच सकते हैं। तभी दोनों चीजों के आयात मूल्यों में इतना अन्तर है, परन्तु इससे खुदए भाव पर भी प्रभाव पड़ता है।

Shri Kishen Pattnayak : The drug imported by La Medica is also a Roche product, only it is routed through Italy. Keeping in view this vast difference between five thousand and three hundred, some explanation is called for.

The Minister of Health (Dr. Sushila Nayar) : Explanation has already been given that it is not Roche Company product. They have themselves prepared it and sold it at a cheaper rate.

Shri Kishen Pattnayak : It is the same product and same thing.

Dr. Sushila Nayar : The composition is same. But since Italy has not introduced the patent law, they can make anything they like in their country.

श्री कृ० चं० पंत : क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की है कि महंगी औषधि पर प्रतिबंध लगा दिया जाए और वहीं से आयात किया जाय जहां उपलब्ध हो ?

डा० सुशीला नायर : देश के 'पेटेंट' कानून के अन्तर्गत यह नहीं किया जा सकता।

Shri Ram Sewak Yadav : Have the Ministry received any such complaint and whether it is true that in fact this difference in three hundred and five thousand is not there, this is only shown in the invoice to make illegal gains ?

Dr. Sushila Nayar : No Sir, there is no such thing, the difference is there.

Shri Bhagwat Jha Azad : I want to ask the same question which was asked by Shri Pant. When there is difference in quality in the two drugs imported by both the firms, then why that firm is allowed to import which is importing at the rate of rupees five thousand per kilogram, when the other firm is importing at the rate of rupees 312 per kilogram ?

Dr. Sushila Nayar : According to the agreement made with Roche Company under patent law, they can import at any price they like. He may file a suit under the patent law for the thing imported by the other party.

Mr. Speaker : The hon. member wants to know when this thing is costlier, can't we have its import ?

Dr. Sushila Nayar : Since it has been demanded by the doctors, therefore it has been allowed to be imported and it is being used.

श्री भागवत झा आजाद : प्रश्न का उत्तर ठीक नहीं दिया गया है। सीधा सादा प्रश्न यह है कि यह भारत सरकार का अधिकार है कि वह इसका आयात होने में या ना होने दें। परन्तु उत्तर यह दिया गया है कि यह किसी पटेंट समझौते के कारण है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने प्रश्न का उत्तर दे दिया है। वह कह रही हैं क्योंकि यह आवश्यक औषधि है इस लिये हम इसका आयात कर रहे हैं।

डा० सुशीला नायर : पेटेंट कानून के अन्तर्गत, हम उन्हीं लोगों से आयात कर रहे हैं जिनको हमने पेटेंट अधिकार दिये हैं।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं।

डा० सुशीला नायर : दूसरे लोग, जिन्होंने कुछ कच्चा सामान आयात किया है और भारत में वही औषधि बनाने का प्रयत्न किया है जिसकी दर के बारे में मेरे माननीय सहयोगी ने बताया है--- इस सम्बन्ध में मुझ निश्चित रूप से कुछ नहीं पता ; परन्तु मुझ यह पता चला है कि रोश कम्पनी पेटेंट अधिकार के उल्लंघन के लिये उनके विरुद्ध अभियोग चला रही है। अब यदि हम रोशे से आयात बन्द कर दें और दूसरे पक्ष से भी इसे प्राप्त न कर सकें, इसका परिणाम यह होगा कि लोगों को यह औषधि बिलकुल प्राप्त नहीं होगी और माननीय सदस्य इसके लिये भी नाराज होंगे।

श्री ही० ना० मुखर्जी : मंत्री महोदय के इस बात को मान लेने पर कुछ लोग अनुचित लाभ उठा रहे हैं और हम उनकी दया पर निर्भर हैं कि हम जो चाहते हैं इसको आयात नहीं कर सकते, क्या सरकार इस स्थिति में परिवर्तन लाने का विचार कर रही है जिसमें विदेशी मुनाफाखोरों का औषधि के बाजार से एकाधिकार समाप्त हो जाय ?

डा० सुशीला नायर : जैसा कि माननीय सदस्य को पता है, पेटेंट कानून का संशोधन करने के बारे में सरकार विचार कर रही है। इसको इस सत्र में पुरःस्थापित करने की आशा थी।

श्री के० डे० मालवीय : मेरा विचार है कि मंत्री महोदय कुछ रुक कर कार्यवाही कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस अधिक मूल्य के पदार्थ पर प्रतिबंध नहीं लगा सकती ? महंगी चीजों के आयात पर सरकार नीति के रूप में रोक क्यों नहीं लगा देती ? पेटेंट कानून का प्रश्न इसमें क्यों लाया गया है ? सरकार इसको आयात पर पूर्ण रूप से रोक क्यों नहीं लगा देती। मैं इस प्रश्न का सीधा उत्तर चाहता हूं।

डा० सुशीला नायर : मैंने सीधा उत्तर दे दिया है कि कुछ लोगों से हम आयात करा रहे हैं। इसका पूर्ण विश्वास नहीं है कि हमें दूसरे पक्ष से यह औषधि मिल सकेगी। मैं इसकी जांच करूंगी कि कहीं और से इसे रियायती मूल्य पर प्राप्त करूं; यदि हमें औषधियां सस्ते मूल्य पर मिल सकें तो हमें प्रसन्नता होगी। हम इसके लिये उतने ही उत्सुक हैं जितना अन्य कोई।

आगरा में कुष्ठ रोगियों की बस्ती

\+

*667. **श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :**
श्री श० ना० चतुर्वेदी :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री इ० मधुसूदन राव :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या आगरा में कुष्ठि रोगियों की एक बस्ती बनाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हाँ, तो मामला किस स्थिति में है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) जी हां।

(ख) कुष्ठ रोगियों की यह बस्ती कहां बनाई जायेगी यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

श्री श० ना० चतुर्वेदी : क्या इस कुष्ठ रोगियों की बस्ती बनाने के स्थान के बारे में उस समय अन्तिम निर्णय नहीं किया गया था जिस समय गत वर्ष अथवा उससे पिछले वर्ष भूतपूर्व प्रधान मंत्री ने इसकी आधार-शिला रखी थी ?

डा० सुशीला नायर : भूतपूर्व प्रधान मंत्री ने गत वर्ष आधारशिला रखी थी।

श्री श० ना० चतुर्वेदी : श्रीमन्, मैं उत्तर नहीं समझ पाया हूं।

डा० सुशीला नायर : मैंने उत्तर दिया श्रीमान कि यह सच है कि भूतपूर्व प्रधान मंत्री ने इस विशेष स्थल पर आधार शिला रखी थी।

श्री श० ना० चतुर्वेदी : वह कौन सी नई कठिनाइयां उठ खड़ी हुई हैं जिनसे इस स्थान पर इस कुष्ठ-रोगियों की बस्ती बसाने के सम्बन्ध में अनिश्चितता पैदा हो गई है जब कि उसके पास ही लगभग 100 या 200 गज़ की दूरी पर पहले से ही नगरपालिका की कुष्ठ रोगियों की बस्ती है ?

डा० सुशीला नायर : नगरपालिका की कुष्ठ रोगियों की बस्ती तो लगभग 50 वर्ष से वहां पर है। परन्तु किसी न किसी कारण से कुष्ठ रोगियों की उस बस्ती के विरुद्ध कोई आपत्ति नहीं उठाई गई थी। हो सकता है जनता को इसका अच्छी तरह पता न हो। परन्तु आपत्तियां उठाई गई हैं।

Shri Achal Singh : How this question rose that the Leprosarium which is going to be established should be removed ?

Dr. Sushila Nayar : It is very difficult for me as to how this objection was raised and who raised it. This objection has been raised at different places from time to time.

श्रीमती सावित्री निगम : क्या माननीय मंत्री का ध्यान हाल ही में प्रकाशित—मेरा ख्याल है कल के समाचार पत्रों में—इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि उस स्थान को बदला जा रहा है और यह अन्तिम रूप से निर्णय किया गया है कि स्थान को बदला जायेगा ; यदि हां, तो उस समाचार पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

डा० सुशीला नायर : मैं पहले ही उत्तर दे चुकी हूं कि सरकार इस पर विचार कर रही है।

श्रीमती सावित्री निगम : उन्होंने वह समाचार देखा है या नहीं ?

डा० सुशीला नायर : देखिये श्रीमान, मैं नहीं कह सकती कि उनका मतलब कौन से समाचार से है। इस विषय पर समाचारपत्रों में अनेक समाचार आते रहते हैं। मैं नहीं कह सकती कि माननीय सदस्या जिसका जिक्र कर रही हैं मैंने वह देखा है या नहीं।

श्री हरी विष्णु कामत : क्या यह सच नहीं है कि 'कोढ़ी' शब्द को सभी देशों में बड़ा डरावना समझा जाता है, और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि "कोढ़ी" शब्द ने हाल ही में ब्रिटिश हाउस आफ कामन्स में भी हंगामा खड़ा कर दिया, क्या सरकार इस रोग से ग्रस्त मनुष्यों में "कोढ़ी" शब्द के अतिरिक्त किसी अन्य शब्द से पुकारने के बारे में विचार कर रही है ?

डा० सुशीला नायर : जहां तक स्वास्थ्य मंत्रालय का सम्बन्ध है हम ने स्पष्ट रूप से बता दिया है कि कुष्ठरोग से पीड़ित व्यक्तियों को 'कोढ़ी' कह कर पुकारना अथवा संस्थाओं को "कुष्ठ रोगियों की बस्ती" कह कर पुकारना गलत है। हम उन्हें कुष्ठ रोगी कह कर पुकारना— हमने हर एक को इसके बारे में बता भी दिया है—और संस्थाओं को "कुष्ठरोग के अस्पताल" अथवा "कुष्ठ रोग की संस्था" कह कर पुकारना अधिक अच्छा समझते हैं।

Shri Vishwanath Pandey : What is the amount involved in the construction of this leper colony and whether any efforts are being made to remove this from Agra ?

Dr. Sushila Nayar : I cannot say precisely the total amount involved in the construction of this leprosy institution. But I have heard that about one lakh rupees have already been spent. Rs. 5 lakhs have been collected for its construction and more is to be collected.

श्री कन्डप्पन : कुष्ठ रोग किस राज्य में सबसे अधिक फैला हुआ है और क्या वहां पर कोई कुष्ठ रोगियों की कोई बस्ती है ?

डा० सुशीला नायर : अनुमान है कि भारत में 25 लाख कुष्ठ रोगी हैं, और अनुमान है कि इनमें से 50 प्रति शत भूतपूर्व मद्रास राज्य--अब आंध्र प्रदेश और मद्रास दोनों को मिला कर--में है ।

श्री कन्डप्पन : क्या वहां पर कुष्ठ रोगियों का कोई अस्पताल है ?

डा० सुशीला नायर : कुष्ठ रोगियों के कई अस्पताल और संस्थाएं हैं ।

Shri Yashpal Singh : What is the reason that leprosarium, mental asylum, and prison for the habitual prisoners are being constructed in Agra only where people in great number go to see Taj ?

Mr. Speaker : Order, order.

Shri Bade : Is it a fact that there is some dispute between U. P. Government and Central Government regarding the site of the leprosarium that is being constructed in Agra and that is why Govt. intends to change this site ? U.P. Government objects to it.

Dr. Sushila Nayar : U.P. Government had been consulted in the beginning and this site is suggested by them and not by the Central Government. It is, however, learned that the officers are changing from time to time and perhaps the new officers have not liked it.

बर्मा से प्रत्यावर्तित भारतीय व्यापारियों के लिए आयकर रियायतें

*669. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्मा से वापस लौटने वाले भारतीय व्यापारियों को वही आयकर रियायतें देने के प्रस्ताव पर विचार कर लिया गया है जो पूर्वीपाकिस्तान से आये शरणार्थियों को दी गई थीं ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रामेश्वर साहू) : (क) बर्मा से आने वाले व्यक्तियों की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए मामले पर विचार किया जा रहा है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री दी० चं० शर्मा : पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों को क्या रियायतें दी गई थीं ?

श्री रामेश्वर साहू : पहली शर्त यह थी कि उस व्यक्ति के पास भारत में आमदनी का कोई साधन नहीं था अथवा उसके भारत आने से पहले पाकिस्तान को छोड़ कर अन्य अन्य किसी देश में आमदनी का कोई साधन नहीं था, दूसरे पाकिस्तान में उसके पास पर्याप्त साधन थे जो भारत में नहीं लाये जा

सकते थे; तीसरे भारत में उसके पहुंचने के चन्द महीनों के भीतर भीतर, अर्थात, उन व्यक्तियों के मामले में 31 जुलाई, 1964 जो भारत में पहले ही आ चुके हैं, पीछे छोड़े गये धन की सूचना तथा संबंधित आय कर अधिकारी के सामने लेखा पुस्तकों का पेश किया जाना।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या सम्पत्ति की मात्रा तथा लेखा पुस्तकों के पेश किये जाने के संबंध में इन रियायतों में उपयुक्त फेरबदल किया जायेगा, उन व्यक्तियों के बारे में जो बर्मा से आये हैं क्योंकि वे सारी मांगों को पूरा नहीं कर सकेंगे ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : जी, हां। न्यूनाधिक माननीय सदस्य द्वारा बताये गये तरीकों पर ही मामले पर विचार किया जा रहा है।

श्री नरेन्द्रसिंह महीड़ा : क्या पूर्व अफ्रिका और लंका से आने वाले व्यक्तियों को भी वेही आय-कर रियायते दी जायेंगी ?

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न में हमारा संबंध केवल बर्मा से ही है।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : जी, हां। जिन निबन्धन और शर्तों को हम बर्मा से प्रत्यावर्तित व्यक्तियों के मामले में पुनरीक्षण करने के बारे में विचार कर रहे हैं वे शायद अन्य व्यक्तियों पर भी लागू की जायेंगी यदि वे व्यक्ति भी वैसी ही परिस्थितियों में से आये हैं।

नगरीय सम्पत्ति पर सीमा लगाना

*670. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :**
श्री यु० सि० चौधरी :
श्री धर्मलिंगम :
श्री राम हरख यादव :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री दे० शि० पाटिल :
श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के गुंटूर में हुए अंतिम अधिवेशन में नगरीय सम्पत्ति पर सीमा लगाने के बारे में पारित संकल्प पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : इस संकल्प को सरकार ने देखा है और व्यक्तिगत आय और सम्पत्ति की विषमताओं को घटाने के लिए समेकित नीति का निरूपण करते समय अन्य उपायों के साथ इस पर भी विचार करेगी।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : वास्तव में सरकार के विचाराधीन क्या प्रश्न है और उस का विवरण क्या है ? क्या माननीय वित्त मंत्री सम्पदा-शुल्क तथा सम्पत्ति-कर सम्बन्धी नीतियों की कमी को ध्यान में रख कर इस समस्या पर विचार कर रहे हैं ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : इस प्रकार के सुझाव में कई कठिनाइयां हैं। पहली तो यह है कि भारत सरकार को अपने अधिकारों का पता होना चाहिये कि वे शहरी सम्पत्ति की वृद्धि पर कहां तक रोक सकते हैं। हो सकता है कि यह राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता हो और यदि ऐसा है तो राज्य सरकारों को सिफारिशें करनी पड़ेगी। मैं निश्चय पूर्वक कुछ नहीं कह सकता कह कि हम क्या कर सकेंगे अथवा केन्द्रीय सरकार क्या कदम उठा सकेगी। यह मामला विचाराधीन है और जैसा मैं ने पहले कहा यह एक सरल समस्या नहीं है।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : कांग्रेस पार्टी द्वारा स्वीकृत संकल्प का आखिर उद्देश्य क्या है और वे यह आमूल परिवर्तन कब लाना चाहते हैं ? क्या कांग्रेस पार्टी के सदस्य होने के नाते वित्त मंत्री की सलाह ली गई थी और यदि हां, तो उन का इस बारे में क्या विचार था ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : वह एक प्रकार का अशासकीय संकल्प था। मुझे पता नहीं कि इसको बनाते समय हम में से किसी की सलाह ली गई थी। यह तो एक सुझाव है जो कि पार्टी के सदस्यों द्वारा दिया गया है और इस लिये इस सुझाव की छानबीन करनी है।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : इस संकल्प को पार्टी ने पास किया था।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : एक सदस्य ने सुझाव दिया था और पार्टी ने संकल्प स्वीकृत कर दिया। अब इस विषय की जांच पड़ताल की जायगी। इस से अधिक और मैं कुछ नहीं कह सकता।

Shri Y. S. Chaudhary : The Minister of Planning has given a round about answer that the resolution regarding ceiling on urban property had been passed by the Congress Party and the Government have taken note of it, are the Government in a position to adopt some new method in the light of the resolution passed by the Congress Party so that ceiling on the urban property could be prescribed?

Shri B. R. Bhagat : The answer has not been given in a round about way. It is quite clear that the matter is under our consideration and other measures are also being examined and it is obvious that we would arrive at a decision.

Shri Vishwa Nath Pandey : Will the Government appoint a committee to go into this whole matter so that it could submit a report to the House after examining all the urban properties?

Shri B. R. Bhagat : The question of constituting a committee will be considered by the Government if they consider it necessary to have a committee.

Shri D. S. Patil : While the ceiling on rural property has been prescribed the question of ceiling on urban property has not yet been decided. Do the Government accept that it is a sort of descrimination and may I know the names of those State Governments who have suggested that there should be ceiling on urban property?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : भूमि पर सीमा के प्रश्न और इस के पीछे कारणों को अलग अलग करना कठीन है। यह हो सकता है कि किसान को भूमि दिलाने का अभिप्राय हो और यह भी हो सकता है कि यह कदम हमारे पास जो कम साधन हैं उनको विभक्त करने के लिये उठाया गया हो।

Shri H. C. Soy : The hon. Minister just said that they are looking into the problem whereas another Minister says that the problem will be considered. May I know the problem which is going to be considered and which is under consideration or has already been considered?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : यह समस्त प्रश्न एक समस्या है और समस्याओं पर विचार करना पड़ता है।

श्री अ० प्र० जैन : यह प्रश्न देश के समक्ष गत 10 वर्षों से है। इस का उल्लेख दो योजनाओं में भी है। क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार का अब क्या विचार है अथवा इस विशिष्ट मामले पर कोई विचार नहीं है ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैंने कहा है कि मामला सरकार के विचाराधीन है।

श्री कपूर सिंह : देहाती तथा शहरी सम्पत्तियों पर सीमा के प्रश्न के बारे में दुहरी नीति को अपनाने के समाजवादी आयोजन के क्या सिद्धान्त हैं अथवा क्या ऐसा मानवतावाद के अनुसार न्यायसंगत है ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मुझे खेद है कि आप समाजवादी आयोजन के सिद्धान्तों के बारे में, जिस पर विभिन्न मत हैं, इस प्रश्न काल में मुझे कुछ कहने को इजाज़त देंगे ।

श्री ही० ना० मुकर्जी : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि गंटूर में निर्णय करने वालों में सरकार के नेता भी सम्मिलित थे, क्या सरकार वित्त मंत्री द्वारा बताई गई कठिनाईयों के बावजूद भी इस मामले में आगे बढ़ रही है अथवा क्या मैं समझूं कि यह मामला अनिश्चित काल के लिये लटका रहेगा ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : हमारी पार्टी द्वारा किये गये निर्णयों के प्रति हमारा उत्तरदायित्व एक चीज़ जिस को पार्टी मान्यता देती है और मेरे विचार में इसी आधार पर जिन लोगों के हाथ में सत्ता है वे वही करेंगे जो वे समझते है कि वांछनीय और आवश्यक है ।

श्री ही० ना० मुकर्जी : श्रीमन, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । हम संसद सदस्य हैं हमें कांग्रेस पार्टी से कोई सरोकार नहीं है । मंत्री सभा के उत्तरदायी हैं और इसलिये उन्हें यह बताना चाहिये कि वे क्या करने अथवा न करने जा रहे हैं । मैं ने यह एक विशिष्ट प्रश्न पूछा है कि यह मामला कब तक लटकता रहेगा जब कि प्रधान मंत्री और उन के साथी इस संकल्प के नैतिक रूप से आबध हैं । उन्हें यह बताना चाहिये कि सारयुक्त स्थिति क्या है ।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं जैसे इस सभा का उत्तरदायी हूं उसी प्रकार अपने साथियों का भी । हम कर्त्तव्य से दूर नहीं भागना चाहते । किसी मामले के बारे में किसी प्रकार की अनिश्चितता नहीं है । ये सभी मामले बराबर सरकार के विचाराधीन हैं । मैं माननीय सदस्य को यह नहीं बताना चाहता कि हमें कैसे करना चाहिये । जैसा मैं ने पहले कहा है, इस मामले में कुछ कठिनाइयां हैं वह यह कि केन्द्रीय सरकार का कहां तक क्षेत्राधिकार है और राज्य सरकारों का कहां तक है और क्या अन्त में राज्य सरकारों को सहमत होना चाहिये अथवा नहीं क्योंकि वे अपने क्षेत्र में स्वायत्तशासी हैं । यह मामला है जो कि सरकार के विचाराधीन है और योजना आयोग, जो केन्द्र और राज्यों के बीच एक कड़ी है इस बात पर विचार कर रहा है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Medical Education

*664. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Health** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government propose to take over the Post-Graduate Medical Education in the country;

(b) if so, the broad outlines of the scheme; and

(c) the estimated expenditure involved ?

The Minister for Health (Dr. Sushila Nayar) : (a) No, Sir. Government propose to establish Regional Institutes of Post-Graduate Medical Education and Research at selected places in the country as recommended by the Health Survey and Planning Committee.

(b) & (c) The details are being worked out in consultation with the concerned State Governments.

साहू-जैन समवायों के बारे में जांच करने वाला निरीक्षक

*668. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि साहू-जैन के कुछ समवायों के मामलों की जांच करने के लिये नियुक्त निरीक्षक को गबन के आरोप में गिरफ्तार किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके विरुद्ध क्या आरोप हैं और क्या उसने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस्तीफा देने के क्या कारण हैं ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) हां, श्रीमन जी ।

(ख) तथा (ग) मुक्तेसर एलिक्ट्रिक सपलाय कम्पनी लिमिटेड (जिसका यह निरीक्षक परिसमापक था) की निधि से 1948–49 में किसी समय 11,282 रुपयों की राशि का दुर्विनियोग करने के संबंध में दोषारोपित किया गया है । यह मामला 30-11-1964 को न्यायालय में पेश कर दिया गया है जोकि अभी न्यायाधीन है ।

जैसा कि 24-9-64 को सदन में अतारांकित प्रश्न संख्या 1192 के उत्तर में कहा गया था कि इस निरीक्षक ने साहु-जैन के पांच समवायों के मामलों की जांच के कार्य से भारमुक्त होने की इच्छा प्रकट की थी, इन समवायों में से तीन की जांच कार्य से इसको 1–7–1964 से भारमुक्त कर दिया गया था । क्योंकि अपनी पूर्व की प्रार्थना के आधार पर अपनी गिरफ्तारी के बाद उसने अपनी प्रार्थना को पुनः दुहराया, अब निरीक्षक को साहु-जैन समवायों के शेष दो समवायों से संबधित कार्य से भी मुक्त कर दिया गया है ।

प्रीमियम इनामी बांड

*671. **श्री सेझियान :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मई, 1964 में इनाम निकालने का जो तरीका अपनाया गया था उसमें तथा नवम्बर, 1964 में प्रीमियम इनामी बांड, 1963 के इनाम निकालने के लिये अपनाये गये तरीकेमें क्या वैभिन्य था ;

(ख) दूसरी लाटरी में जिन नम्बरों ने इनाम जीते क्या उनके लगातार कई अनुक्रम थे ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी विवरण क्या हैं ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी हां; बांड सम्बन्धी अधिसूचना के दायरे में रहते हुए ।

(ख) और (ग) सभा की मेज पर एक विवरण रख दिया गया है जिसमें बताया गया है कि दूसरी निकासी में लगातार नम्बरों वाले दस या दस से अधिक किन बाण्डों पर इनाम निकले हैं । **(पुस्तकालय में रखा गया । देखिये एल० टी० संख्या 3743/63)**

मेसर्स स्कोडा इण्डिया (प्राइवेट) लिमिटेड के श्री फ्राउस

*672. **श्री सुरेन्द्रनाथ त्रिवेदी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स स्कोडा (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड के प्रबन्ध निदेशक, श्री फ्राउस को उन के विरुद्ध जालसाजी तथा घूस के गंभीर आरोप लम्बित होने पर भी, भारत से चले जाने की अनुमति दे दी गई है ;

(ख) क्या इस फर्म के विरुद्ध चालू मुकदमा तथा छानबीन समाप्त कर दी गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार ने श्री फ्राउस को भारत से चले जाने की अनुमति किन कारणों से दी ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रामेश्वर साहू) : (क), (ख) और (ग) मैसर्स स्कोडा (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड के प्रबन्ध निदेशक को, जिनके विरुद्ध कलकत्ता के सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 के उपबन्धों के उल्लंघन में कुछ आरोपित अपराधों के विषय में शो काज नोटिस जारी किये गये थे छः सप्ताह की अवधि के लिए भारत को अस्थायी तौर पर छोड़ने के लिए अनुमति दे दी गयी है। मामले पर आगे जांच-पड़ताल अभी भी जारी है। इस सम्बन्ध में श्री फ्राउस या कम्पनी के विरुद्ध किसी विधि-न्यायालय के समक्ष कोई कार्यवाहियां लम्बित नहीं हैं।

राज्यों द्वारा निधियों का काम में न लाया जाना

*673. **श्री रा० बरुआ :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री दे० द० पुरी :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री हूकमचन्द कछवाय :

क्या **निर्माण** और **आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों को आवास के लिये दी गई धन राशियों का पूरी तरह से उपयोग कर लिया गया था ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या आवास निधियों को काम में न लाने के कारणों की ठीक तरह से पता लगाया गया है ; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं कि विभिन्न राज्य, आवास निधियों को ठीक तरह से उपयोग में लायें ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) जी नहीं।

(ख) जी हां। निधि के उपयोग करने में गिरावट मुख्य रूप से आवास योजनाओं को राज्य सरकारों द्वारा, विशेष रूप से इमर्जेन्सी के बाद, कम महत्व देने के कारण हुई है।

(ग) यह विषय 29, 30 और 31 दिसम्बर 1964 को चन्डीगड में होने वाले आवास मंत्रियों के सम्मेलन में विचारार्थ आ रहा है।

कोचीन में ब्रिटिश फर्म पर छापा

*674. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री हुकमचन्द कछवाय :
श्री द्वारका दास मंत्री :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ वित्त मन्त्रालय के प्रवर्तन निदेशालय ने कोचीन में एक प्रसिद्ध ब्रिटिश फर्म पर छापा मार कर कुछ ऐसे कागजात पकड़े हैं जिन से यह पता चला है कि यह फर्म गत अनेक वर्षों से निर्यात के कम बीजक बना रही थी जिसके परिणामस्वरूप सरकार को विदेशी मुद्रा की हानि हुई ;

(ख) क्या इस मामले में किसी जांच का आदेश दिया गया है और यदि हां, तो उससे क्या पता चला ; और

(ग) सरकार का विचार इस मामले में क्या कार्यवाही करने का है ?

वित्त मंत्रालय में उप-वित्त मंत्री (श्री रामेश्वर साहू) : (क) से (ग) 4 दिसम्बर 1964 को प्रवर्तन निदेशालय (इनफोर्समेन्ट डाइरेक्टोरेट) के कर्मचारियों ने कोचीन में एक विदेशी फर्म की तालाशी ली और कुछ कागजात पकड़े । इन कागजातों की छान-बीन हो रही है और आगे जांच-पडताल चल रही है । इनके पूरे होने पर उचित कारवाई की जायेगी ।

विद्युत् करघे

*676. **श्री हरि विष्णु कामत :**
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री किशन पटनायक :
श्री मि० सू० मूर्ति :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने मद्रास में एक वक्तव्य दिया था कि विद्युत् करघों को सरकार ने धोखा दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस वक्तव्य से उनका क्या अर्थ है ; और

(ग) धोखा देने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उप-वित्त मंत्री (श्री रामेश्वर साहू): (क) वित्त मंत्री ने कहा था कि विद्युत् करघे सरकारी राजस्व के छीजन के जरिये हैं ।

(ख) यह वक्तव्य सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के समाहर्ताओं के वार्षिक सम्मेलन में कुछ कर देने वालों द्वारा कर देने से टाल-मटोल करने तथा कर की चोरी करने की ओर उनका ध्यान दिलाने के उद्देश्य से दिया गया था । उद्देश्य केवल यह ही नहीं था कि जहां सम्भव हो उपयुक्त प्रशासनिक कार्यवाही करके उन्हें कर की चोरी के विरुद्ध सावधानी बरतनी चाहिये बल्कि टाल-मटोल रोकने के लिये किस प्रकार टैरिफ का ढ़ांचा या कार्यप्रणाली उचित रूप से सुधारी जा सके इस बात के लिये भी उनसे ठोस सुझावों को मांगना था ।

(ग) कर की चोरी के मामले, जैसे और जब पकड़े जाते हैं, उचित रूप से विधिवत् निपटाये जाते हैं ।

सुनारों द्वारा प्रदर्शन

*677. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय स्वर्णकार सन्घ ने, 1 दिसम्बर, 1964 को संसद भवन, नई दिल्ली के बाहर एक प्रदर्शन किया था ;

(ख) यदि हां, तो उनकी क्या विशिष्ट मांगें हैं ; और

(ग) सरकार की उन पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में उप-वित्त मंत्री (श्री रामेश्वर साहू) : (क) जी, हां ।

(ख) उनके द्वारा दी गई याचिका की एक प्रति सदन की मेज पर रखी जाती है ।

(ग) संघ की मुख्य मांग स्वर्ण (नियंत्रण) विधेयक, 1963 को वापस लेने के लिये है । विधेयक के विभिन्न उपबन्धों पर सदन ने पहले ही विचार कर लिया है और बहस के दौरान सरकार की प्रतिक्रिया स्पष्ट की जा चुकी है ।

Loan from U.S.A.

*678. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shrimati Savitri Nigam :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that 3 loan agreements to promote the development of industry, power-generation and transport in India have recently been signed by the Government of India with U.S.A.; and

(b) if so, the amount of the loan involved and the broad outlines of these agreements ?

The Minister for Planning (Shri B. R. Bhagat) : (a) Yes, Sir.

(b) A statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT

The Three U.S. loans, recently signed, are as follows:—

(i) Commodity Programme Assistance for 1964-65 known as Fourth Non-project loan. (AID Loan No. 386-H-111) for $ 50 million.

(ii) Sixth Railway Loan (AID Loan No. 386-H-121) for $ 7·2 million.

(iii) Sharavathi Hydro-electric Project Stage III (AID Loan No. 386-H-109) for $ 3·1 million.

2. The Commodity Programme Assistance loan will be used to finance the foreign exchange cost of import from U.S.A. of a broad variety of commodities and equipment essential to the carrying out of the Third Five Year Plan.

The sixth Railway Loan will meet the foreign exchange cost of acquiring 25 broad guage diesel locomotives including two years' supply of spare parts and training for Indian Railways' personnel in the United States.

Sharavathi power loan will cover the foreign exchange costs of goods and services for the establishment of an additional generating capacity of 89·1 megawatts at Sharavathi Hydro-electric power station in Mysore State and of associated hydraulic equipment, transmission lines and receiving stations.

3. All the three loans are repayable in dollars in 61 semi-annual instalments over a period of 40 years inclusive of a grace period of 10 years from the date of first disbursement under the loan. Interest is payable semi-annually in dollars at the rate of 3/4 of 1% per annum during the first ten years and thereafter at the rate of 2% per annum for the remaining 30 years. Interest would accrue from the date of respective disbursements under the loans and the first instalment is to be paid six months after the first disbursement.

गैर योजना व्यय

*679. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित कर लिया है कि इस वर्ष गैर-योजना व्यय में 70 करोड़ रुपये की कटौती कर दी जायेगी ; और

(ख) इस बारे में राज्य सरकारों की क्या योजनायें हैं तथा उन्होंने क्या काम किये हैं ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) 1964–65 के बजट में की गयी खर्च की व्यवस्था में 70 करोड़ रुपये की जो कमी करने का विचार है उसमें आयोजना से भिन्न मदें और आयोजना सम्बन्धी कुछ मदें भी शामिल हैं। 1964–'65 के संशोधित अनुमानों की जो छानबीन की जा रही है उसमें इस बात पर नजर रखी जा रही है कि इस वर्ष ये कटौतियां किस प्रकार की जा रहीं हैं ।

(ख) राज्यों के विकास व्यय से भिन्न व्यय और आयोजना से भिन्न विकास सम्बन्धी व्यय की विस्तृत जांच, आयोजन आयोग द्वारा सम्बद्ध राज्य सरकारों से बातचीत करने के बाद, राज्यों की 1965–66 की वार्षिक आयोजना को अन्तिम रूप देते हुए की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त तारांकित प्रश्न संख्या 555 के उत्तर की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है, जो 17 दिसम्बर 1964 को लोक-सभा में दिया जा चुका है ।

Expenditure on Staff Cars

*680. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shrimati Savitri Nigam :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the fleet of cars of the Central Ministries costs the National Exchequer about Rs. 1,800 per day;

(b) if so, the extent of increase in the said expenditure during the current year as compared to that during the preceding year; and

(c) the reasons for the same?

The Minister of Planning (Shri B. R. Bhagat) : (a)Yes, Sir. According to figures collected for the month of March, 1964, the average running cost worked out to about Rs. 1,900 per day.

(b) and (c) The figures of total annual expenditure are not available. The number of staff cars held by Ministries in 1964 is about the same as in 1963. However, slight increase in expenditure during 1964 may be expected due to revision of rates of dearness allowance and higher cost of petrol.

उड़ीसा में प्रसूति केन्द्र

1822. **श्री रामचन्द्र मलिक :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 अक्तूबर, 1964, तक उड़ीसा राज्य में खोले गये मातृ केन्द्रों तथा शिशु कल्याण केन्द्रों की संख्या क्या थी ;

(ख) क्या 1963–64 तथा 1964–65 में भारत सरकार ने इन केन्द्रों के अनुदान के रूप में कोई धनराशि मंजूर की है ; और

(ग) यदि हां, तो कितना धन दिया गया है अथवा देने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) 31 अकतूबर, 1964 को उड़ीसा सरकार स्थानीय निकायों और स्वैछिक संघटनों द्वारा चलाये जा रहे मातृ तथा शिशु कल्याण केन्द्रों की संख्या 59 थी। यह कार्य प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा उपकेन्द्रों द्वारा भी किया जा रहा है। 31 अकतूबर, 1964 तक 176 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा उन के उपकेन्द्र खोले गये हैं।

(ख) तथा (ग) केन्द्र सरकार द्वारा प्रसूति तथा शिशु कल्याण केन्द्रों के लिये कोई अनुदान नहीं दिया जाता। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के प्रथम चरण ब्लाक की स्थापना की योजना के अन्तर्गत यह राजकीय सहायता प्रत्येक प्राथमिक केन्द्र को दी जाती है।

अनावर्ती खर्चा

1. भवनों पर (केन्द्र के लिये तथा कर्मचारियों के आवास के स्थान के लिये जिस में परिवार नियोजन क्लिनिक भी आता है)।	60,000 रु० अथवा वास्तविक खर्चे का 75 प्रतिशत जो भी—कम हो
2. साजसामान फर्नीचर, बिस्तरे तथा कपड़े	7,500 रु० तक
	67,500 रु० (अधिकतम)

आवर्ती खर्चे

1. औषधियां	2,000 रु० प्रतिवर्ष प्रत्येक केन्द्र
2. कर्मचारी वर्ग	6,500 रु० तक प्रति वर्ष प्रत्येक केन्द्र के लिये
	8,500 रु० (अधिकतम)

केन्द्रीय सहायता स्वास्थ्य मंत्रालय तथा सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय की विभिन्न सहायता योजनाओं के अन्तर्गत अनुभाजित की जाती है। स्वास्थ्य मंत्रालय के भाग की सहायता-अनुदान उड़ीसा के महालेखापाल सीधे दे देते है और वित्तीय वर्ष के अन्त में अन्तिम भुगतान की मंजूरी स्वास्थ्य मंत्रालय देता है। सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय की ओर से केन्द्रीय सहायता विकास खण्ड बजटों में से त्रैमासिक खर्चा विवरण में है और यह प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिये होती है। अतः वास्तविक खर्चे के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

रांची में मानसिक रोग अस्पताल

1823. **श्री रामचंद्र मलिक** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में रांची के मानसिक रोगों के अस्पताल के विकास के लिये कोई धनराशि मंजूर की गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस के लिये अब तक कुल कितना धन दिया गया है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी हां।

(ख) सितम्बर 1964 तक तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में लगभग 7.19 लाख रु० विकास के लिये खर्च किये गये हैं। यह अस्पताल के चलाने के सामान्य खर्चों के अतिरिक्त है।

परिवार नियोजन कार्यक्रम

1824. **श्री रामचंद्र मलिक** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने केन्द्रीय सरकार की राज्यों के लिये ग्रामीण तथा शहरी परिवार नियोजन कार्यक्रम की योजना मान ली है ;

(ख) अक्तूबर, 1964 के अन्त तक ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रोंमें खोले गये परिवार नियोजन केन्द्रों की संख्या क्या थी ; और

(ग) चालू वित्तीय वर्ष में केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा सरकार को कुल कितनी धनराशि वित्तीय सहायता के रूप में दी ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी हां ।

(ख) 112

(ग) 14.74 लाख रु० (बांट गये)

दिल्ली का योजना व्यय

1825. **श्री राम हरख यादव** :
श्री मुरली मनोहर :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965–66 के लिये दिल्ली संघीय क्षेत्र के अस्थायी रूप से वार्षिक योजना व्यय कितना होगा ; और

(ख) विभिन्न क्षेत्रों में बंटवारे का ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) तथा (ख) व्यय के ब्यौरे को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

परिवार नियोजन क्लिनिक

1826. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आजकल आंध्र प्रदेश में चल रहे ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों मे चल रहे परिवार नियोजन क्लिनिक्स की संख्या क्या है ; और

(ख) मार्च, 1960 के बाद उन को राजकीय सहायता अथवा कर्ज के रूप में हर वर्ष कितनी वित्तीय सहायता दी गई थी ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : इस समय आंध्र प्रदेश में 318 (237 ग्रामों में तथा 81 शहरों में केन्द्र चल रहे हैं ।

(ख) 1961–62 तक परिवार नियोजन के लिये पृथक रूप में केन्द्रीय सहायता मंजूर नहीं की जाती थी । 1960–61 तथा 1961–62 के लिये केन्द्रीय सरकार योजनाओं जिन में परिवार नियोजन भी है पर 152.81 लाख रू० की वित्तीय की वित्तीय सहायता दी गई । 1962-63 में परिवार नियोजन के लिये वित्तीय सहायता 15.58 लाख रू० थी । 1963-64 में कोई सहायता नहीं दी गई क्योंकि पहले के साल में अधिक सहायता दी गई थी तथा उसे इस वर्ष के लिये समंजन कर दिया गया था। 1964–65 के 24.09 लाख रू० नियत किये गये हैं । वास्तविक खर्च के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं ।

बिक्री कर

1828. **श्री गुलशन :**
श्री हुकमचन्द कछवाय :
श्री ओंकारलाल बेरवा :
श्री यु० द० सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री 24 सितम्बर, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1171 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान समाचार पत्रों में छपे दिनांक 28 अक्तबर, 1964 के उच्चतम न्यायालय के जे० के० काटन मिल्स कानपुर बनाम बिक्रीकर अधिकारी कानपुर के अभियोग के सम्बन्ध में निर्णय की ओर गया है जिस में कहा गया है कि एक निर्माता को न केवल उन वस्तुओं में बारे में एक व्यापारी के रूप में रजिस्टर होने का अधिकार है कि जो सीधे रूप में सामान बनाने में काम आती है बल्कि उन के बारे में भी कि जो अन्तिम उत्पादन के लिये अन्य वस्तुओं के साथ सम्बन्ध रखती है और वे वस्तुएं बिक्रीकर रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र में कर से छूट के लिये जोड़ी जानी चाहिये ;

(ख) क्या सरकार को इस बारे में कोई अभ्यावेदन मिला है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : जैसे कुछ समाचारपत्रों में छपा है जे० के० काटन स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स कानपुर बनाम बिक्रीकर अधिकारी कानपुर के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि एक निर्माता को केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत व्यापारी रजिस्टर होने का अधिकार न केवल उन वस्तुओं के सम्बन्ध में कि जो सीधे उत्पादन में काम आती है होगा बल्कि उन वस्तुओं के सम्बन्ध में भी कि जो सामान को उत्पादन का अन्तिम रूप देने से भी सम्बन्ध रखती हैं।

(ख) केन्द्र सरकार को इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन नहीं मिला। बिक्रीकर राज्यों का विषय है।

(ग) उपरोक्त (ख) के कारण उत्पन्न नहीं होता।

अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान

1829. **श्रीमती अकम्मा देवी :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में गत दो वर्षों में सामान और उपकरणों की चोरी तथा लेखों में हेर फेर द्वारा काफी हानि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि की हानि हुई है ; और

(ग) यदि इसकी कोई जांच की गई है तो उसका क्या परिणाम निकला है और मामले को ठीक ठाक करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3744/64]**

अखिल भारतीय चिकित्सा संस्थान

1830. **श्रीमती अकम्मा देवी :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय चिकित्सा संस्थान, नई दिल्ली के कुछ प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध लगाये गये अपराधों की कुछ समय पहले कोई जांच की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) से (ग) अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान, नई दिल्ली के प्रशासनिक पार्श्व के कुछ अधिकारियों के विरुद्ध लगाये अपराध तथा प्रत्येक मामले की स्थिति इस प्रकार है :—

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम तथा पदनाम	आरोपों का स्वरूप	की गई कार्यवाही
1	श्री के० सी० ढींगरा, प्रशासनिक अधिकारी ।	संस्थान की महिला कर्मचारियों के साथ कुछ अनैतिक बातें ।	अधिकारी को लम्बित कर दिया गया है और विभागीय जांच प्रतिवेदन विचाराधीन है ।
2	श्री टी० एस० सोडी, अधीक्षक ।	संस्थान की महिला कर्मचारियों के साथ कुछ अनैतिक बातें ।	विभागीय जांच प्रगति पर है।
3	श्री जी० एल० चोपड़ा, निम्न श्रेणी लिपिक	जाली डाक रसीदों द्वारा अग्रदाय राशि का हेर फेर ।	लिपिक को लम्बित कर दिया गया है और मामला जांच और अग्रेतर कार्यवाही के लिये विशेष पुलिस स्थापना को दे दिया गया है ।

Hospital for Children

1831. **Shri Bagri :**
Shri Vishram Prasad :
Shri Naval Prabhakar :

Will the Minister of **Health** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a Children Hospital is being built within the precincts of the Irwin Hospital in Delhi; and

(b) if so, the broad features of this hospital and the facilities proposed to be provided to the patients?

The Minister of Health (Dr. Sushila Nayar) : (a) & (b) There is a proposal for construction of a Paediatric Block with 200 beds during the Fourth Five Year Plan. The proposed Paediatric Block will be a self-sufficient unit which will have its own Out-Patient Department, Operation Theatre, Laboratory and diet arrangements for the sick children.

Gandak Project

1832. **Shri Bibhuti Mishra :**
Shri K. N. Tiwary :

Will the Minister of **Irrigation** and **Power** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Bihar State Government are not in a position to bear the expenditure of the Gandak Project; and

(b) if so, whether Central Government are contemplating to take over this Project under their own control?

The Minister of Irrigation & Power (Dr. K. L. Rao) : (a) The Centre is already advancing loans to the Bihar Government to meet their entire share of expenditure on Gandak Project.

(b) Does not arise.

रुधिर वाहिका[1] का इलाज

1833. **श्री रा० गि० दुबे :**
श्री यशपाल सिंह

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् को इस बात का पता लग गया है कि अमरीका में रोगाणु रुधिर वाहिकाओं के उपचार के लिये नये तरीके निकाले गये हैं ; और

(ख) क्या यह सच है कि टेक्सास के चिकित्सा केन्द्र में डा० माइकल ई० डी० बेके उदर और वक्ष-महाधमनी[2] को ठीक करने के अपने कुछ प्रयत्नों में सफल हुए हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख) ये तरीके 8 या 9 वर्ष से काम में लाये जा रहे हैं। डा० बेके ब्लड वैसल ग्राफ्ट्स यहां भारत में के० ई० एम० अस्पताल, बम्बई और अन्य स्थानों पर लगभग 5 वर्षों से प्रयोग में लाये जा रहे हैं। ऐब्डामिनल और थोरासिक ओरटा का वहां इलाज किया जाता है और एन्थूरिज्मस, ब्लाम्स, कंजेनिटल लिज्मन्स आदि के आपरेशन किये जाते हैं।

Land allotted by the Delhi Land and Development Department

1834. **Shri Naval Prabhakar :** Will the Minister of **Works** and **Housing** be pleased to state:

(a) the number and names of the institutions allotted land by the Delhi Land and Development Department during 1961-62 and 1962-63;

(b) the conditions of the allotment of the land in each case; and

(c) whether there is any Committee in the Department to allot the land?

The Minister of Works and Housing (Shri Mehr Chand Khanna) : (a) Land was allotted to 25 institutions during 1961-62 and 17 institutions during 1962-63. A list of the names of these institutions is placed on the table of the House. **[Placed in Library. See No. L.T. 3745/64.]**

(b) Allotment is made on the terms and conditions included in the lease deed. The conditions *inter-alia* include the following:—

(i) Ground rent is charged from the date of allotment.

[1]Blood Vessels. [2]Thoracic aorta.

(ii) Land is required to be used for the purpose for which it is allotted.

(iii) Building is to be completed within 24 months of the date of allotment.

(iv) Ground rent is subject to revision every 30 years.

(c) No.

मधुमेह

1835. **श्री नारायण दास :**
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धन्ती :
श्री द्वारकादास मंत्री :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मधुमेह के रोग का पता लगाने के लिये दिल्ली में चालू किया गया अग्रिम सर्वेक्षण पूरा हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी, हां ।

(ख) अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के औषध के निदेशक तथा प्राध्यापक डा० के० एल० विग के नेतृत्व में दिल्ली में मधुमेह के रोग का पता लगाने के लिये अग्रिम सर्वेक्षण किया गया था । 1027 रोगियों (819 पुरुष, 208 स्त्रियां) की जांच की गई थी । रोग का पता लगाने के लिये खाने के दो घंटे बाद के पेशाब और खून का परीक्षण किया गया था । स्थान पर ही परीक्षण करने के लिये थोड़ा सा सामान इस्तेमाल में लाया गया था । 18 प्रतिशत व्यक्तियों में 120 मिलिग्राम प्रतिशत से भी अधिक ब्लडशुगर पाई गई थी । डायाबीटीज़ मैलिटस की जांच के लिये ग्लुकोस टॉलरेंस टैस्ट ट्यूब इसकी पुष्टि करने की आवश्यकता होती है । इन व्यक्तियों को इस संबंध में सूचित किया जा रहा है और अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था के विशेष क्लिनिक में उसके लिये उपचार के अवसर दिये जा रहे हैं ।

पिछड़े क्षेत्र

1836. **श्री श्री नारायण दास :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग द्वारा बनाये गये स्थानीय विकास के सूचकों की सूचि के अनुसार पिछड़े क्षेत्रों की पहचान करने का काम आरम्भ कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिये कौनसी संस्था स्थापित की गई है ; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यक्रम तैयार किया गया है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) से (ग) जी हां । स्थानीय विकास के सूचकों को चुन लिया गया है और राज्य सरकारों से इन सूचकों के आधार पर पिछड़े क्षेत्रों की पहिचान करने के लिये कहा जा रहा है । चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के स्मरण पत्र के पृष्ठ 84–85 (पैरा 10) पर दी गई रूप रेखा के अनुसार अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी ।

संसद सदस्यों के फ्लैटों में पानी के मीटर

1837. **श्री भागवत झा आज़ाद :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा लगाये गये पानी के मीटर हास्यास्पद पठन दिखा रहे हैं और नार्थ और साउथ एवेन्यूज़ के निवासियों से भारी शुल्क उगाहया जा रहा है ;

(ख) क्या नार्थ एवेन्यू संसद सदस्य क्लब ने इस संबंध में एक संकल्प पास किया था और गृह-कार्य मंत्रालय को भेजा था ; और

(ग) यदि हां, तो मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) नार्थ और साउथ एवेन्यूज़, नई दिल्ली में संसद सदस्यों के फ्लैटों के संबंध में पानी का शुल्क केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा संसद सदस्यों से मार्च, 1964 तक वसूल किया गया था। नई दिल्ली नगर पालिका ने उस क्षेत्र में संसद सदस्यों के फ्लैटों में 349 मीटर लगाये हैं। 349 मीटरों में से 222 मीटर पानी का उपभोग बिल्कुल ठीक दिखा रहे हैं। 61 मीटर पढ़े नहीं जा सकते थे क्योंकि परिसरों पर बार बार ताले लगे हुए पाये गये थे। शेष 66 मीटर खराब हो गये हैं। इसलिये इन मामलों में उपभोग नई दिल्ली नगर निगम द्वारा अस्थायी आधार पर लगाया गया था जो कि बाद में ठीक किया जा सकता है। 66 खराब मीटरों में से 38 को बदल दिया गया है। शेष 28 मीटरों को इसलिये नहीं बदला जा सका कि फ्लैटों के ताले बन्द थे। क्योंकि व्यक्तिगत फ्लैटों में पानी के मीटर हाल ही में लगाये गये हैं और उनके पिछले उपभोग का कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं है। इसलिये यह नहीं कहा जा सकता है कि नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा लगाया गया अनुमान वास्तव में ऊंचा था अथवा नहीं। हां, यह अनुमान अस्थायी है और नये मीटरों द्वारा लगभग 3 मास के लिये रिकार्ड किये गये वास्तविक उपभोग के आधार पर उसका समायोजन किया जायेगा।

(ख) संसद सदस्यों की क्लब द्वारा 17 सितम्बर, 1964 को पारित किया गया संकल्प गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा प्राप्त किया गया था, जिन्होंने 23 सितम्बर, 1964 को श्री भागवत झा आज़ाद को सूचित कर दिया गया था कि यदि संसद सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल उनसे मिलना चाहता है तो उनको 24 सितम्बर, 1964 को उनसे मिलने में खुशी होगी। प्रतिनिधिमंडल उनसे मिलने नहीं गया।

(ग) नई दिल्ली नगर पालिका मीटरों की मरम्मत करने अथवा उन्हें बदलने के लिये कार्यवाही करती रही है। मीटर पढ़ने वालों को यह हिदायत दी गई है कि उन्हें सत्र के दौरान सुबह 10 बजे से पहले पानी के उपभोग का मीटर पठन लिखा देना चाहिये।

गांवों में बिजली लगाना

1838. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री तान सिंह :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र में स्वतन्त्रता पूर्व अवधि में तथा उसके बाद अब तक कुल कितने गांवों में बिजली लगाई गई है और प्रत्येक राज्य के ऐसे गांवों में कितने प्रतिशत आबादी है ;

(ख) प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में नवीनतम आंकड़ों के अनुसार प्रतिव्यक्ति बिजली का उपभोग क्या है ; और

(ग) इस योजना के अन्त तक प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं द्वारा गांवों में कितनी प्रतिशत जनसंख्या को बिजली पहुंचाने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) से (ग) अपेक्षित जानकारी दिखाने वाले तीन विवरण सभा पटल पर रखे जाते हैं। **[पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 3746/64]**

इंग्लैंड में मंदीर का बनाना

1839. **डा० रानेन सेन :**
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
डा० सारादीश राय :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई भारतीय अथवा कोई संस्था इंग्लैंड में एक हिन्दु मन्दिर बनाना चाहती है ; और

(ख) यदि हां, तो उसमें कितनी विदेशी मुद्रा लगेगी ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : £ 20,000 की विदेशी मुद्रा "भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र" — एक भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र स्थापित करने के लिये लन्दन में पंजीयत एक संस्था—को दे दी गई है। इसमें विभिन्न सांस्कृतिक कार्यवाहियों को बढ़ावा देना, एक हाल, एक पूजा के स्थान और एक छोटे से पुस्तकालय का निर्माण शामिल है। कुल विदेशी मुद्रा का खर्च लगभग £ 50,000 होगा।

U. S. Aid for Prevention of T. B.

1840. **Shrimati Savitri Nigam :**
Shri Viswa Nath Pandey :

Will the Minister of **Health** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the U. S. Government have given some grant to the National T.B. Institute, Bangalore for carrying out the 'Feasibility study' in the prevention of Tuberculosis; and

(b) if so, the amount of this grant?

The Minister for Health (Dr. Sushila Nayar) : (a) The United States Government represented by the Communicable Disease Centre, Bureau of State Services, Public Health Service, U.S. Department of Health, Education and Welfare, Atlanta and the Government of India (operating through the Indian Council of Medical Research) have entered into an agreement for carrying out a feasibility study in the prevention of Tuberculosis. This will be conducted at the National Tuberculosis Institute, Bangalore, over a period of two years.

Arrest of Pakistanis for Smuggling Currency

1841. **Shrimati Savitri Nigam :**
Shri Vishwa Nath Pandey :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in the first week of November, 1964 two Pakistanis were arrested at the border near Baranhat Police Station, District 24-Parganas (West Bengal) with Pakistani currency worth 1 lakh 5 thousand rupees, while trying to enter into India ; and

(b) if so, the action taken by Government in the matter ?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari): (a) On 6th November, 1964 two Pakistani Nationals were arrested by the Police near Barunhat Border Outpost under Hasnabad Police Station in West Bengal with Pakistani currency of about Rs. 1,25,000.

(b) They were tried in the Court of S.D.O., Basirhat and convicted under the Indian Passport Act.

चंडीगढ़ चिकित्सा संस्थान

1842. **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार पंजाब सरकार के चंडीगढ़ में स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान संस्था के नियन्त्रण तथा प्रबन्ध को अपने हाथ में लेने के लिये राजी हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) करार की शर्तें क्या हैं ; और

(घ) संस्थान का वार्षिक व्यय क्या होगा ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी , हां ।

(ख) स्नातकोत्तर चिकित्सीय शिक्षा तथा अनुसन्धान के स्थानीय संस्थान के रूप में इसका विकास करने के लिये जैसा कि स्वास्थ्य सर्वेक्षण तथा योजना समिति ने सिफारिश की है ।

(ग) और (घ) इस संस्थान का वार्षिक व्यय तथा करार की शर्तें पंजाब सरकार तथा केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है ।

Recovery of Contraband Gold and Silver

1843. **Shrimati Savitri Nigam :**
Shri Vishwa Nath Pandey :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Central Excise Department raided the house of a goldsmith in Shauratgrah, District Basti (Uttar Pradesh) and recovered a huge quantity of contraband gold, silver bricks and unlicenced foreign transistors ;

(b) if so, the total value thereof ; and

(c) the action being taken by Government in this regard ?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari): (a) On 25th October, 1964, the business and residential premises of a goldsmith of Shauratgrah in District Basti of Uttar Pradesh were searched by the Central Excise Officers and 3439 Nepali one rupee Silver coins, 13 Nepali Eight annas Silver coins, 3 Silver bricks and one transistor radio were seized.

(b) Rs. 7,735 approximately.

(c) The case is under departmental adjudication.

कलकत्ता महानगरी जल तथा सफाई प्राधिकार

1844. **डा० सारादीश राय :**
डा० रानेन सेन :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि बड़े कलकत्ता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये कलकत्ता महानगरी जल तथा सफाई प्राधिकार की स्थापना के लिये कलकत्ता महानगरी योजना संगठन ने एक योजना को अन्तिम रूप दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) कलकत्ता महानगरी योजना संगठन द्वारा कलकत्ता महानगरी जल तथा सफाई प्राधिकार की स्थापना के लिये एक प्रारूप विधेयक तैयार किया गया है और वह राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Searches in Bombay

1845. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Central Excise Department authority searched some flats in Kamatipura area of Bombay on the 19th November, 1964 ;

(b) if so, the details of the smuggled goods seized during this search ; and

(c) the action taken in the matter ?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari) : (a) & (b) A shop No. 17, Sukhalaji Street in the so-called Kamatipura area of Bombay was searched on the 19th November, 1964 and 27 wrist watches, 12 transistors and 1 Tape Recorder were seized. The total value of the goods seized is about Rs. 5,315.

(c) The case is under investigation.

समवाय अधिनियम की नयी धाराओं का लागू होना

1846. श्री दी० चं० शर्मा : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या समवाय अधिनियम, 1956 की नव अधिनियमित धारा 263-क के उपबन्ध केवल ऐसे समवायों पर लागू होंगे जिन्हों ने केन्द्रीय सरकार से एक लाइसेंस जैसा कि इस अधिनियम की धारा 25 द्वारा अपेक्षित है, प्राप्त किया है ?

वित्त मंत्रालय (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : जी, नहीं । समवाय अधिनियम, 1956 की धारा 263-क उन समवायों पर लागू होंगे जो लाभ के लिये कारोबार करते हैं अथवा जो अपने सदस्यों को लाभांश के भुगतान का प्रतिषेध करते हैं चाहे ऐसे समवायों ने इस अधिनियम की धारा 25 के अधीन लाइसेंस प्राप्त किये हों अथवा नहीं ।

दंत चिकित्सा सेवा

1847. **डा० श्रीनिवासन :**
श्री परमशिवन :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक केन्द्रीय दंत चिकित्सा सेवा भी स्थापित की गई है ;

(ख) यदि हां, तो उस का ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं तो इसके के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) केन्द्रीय सरकार तथा संघ राज्य क्षेत्रों के अधीन दंत-चिकित्सकों के पदों की वर्तमान संख्या एक केन्द्रीय दंत-चिकित्सा सेवा की स्थापना करने के लिये बहुत कम समझे जाते हैं ।

Black Market in Sterling Currency

1848. **Shrimati Johraben Chavda :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government are aware of the fact that (£) sterling currency is being sold in black market in India specially in the Capital ;

(b) if so, the average exchange rate for (£) sterling prevailing in the black market ; and

(c) the action taken by Government to eliminate such illicit dealings in foreign exchange ?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari) : (a) Reports that foreign currencies, including the Pound Sterling are sold unauthorisedly in various places in India, including Delhi, have come to the notice of Government.

(b) No reliable information is available.

(c) The Enforcement Directorate of Foreign Exchange Regulations have, from time to time, apprehended unauthorised dealers in foreign exchange, as have come to their notice, and dealt with them suitably. The Defence of India Rules were amended sometime ago, to deal with such persons more effectively. A bill to plug certain apparent loopholes, in the Foreign Exchange Regulations Act, 1947, is pending presently before Parliament.

Confirmation of C.P.W.D. Employees

1849. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Bade :
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri S. L. Verma :

Will the Minister of **Works** and **Housing** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that certain categories of both regular and work-charged C.P.W.D. employees including Painters and Mistries after putting in eighteen years of service have not been confirmed as yet ;

(b) if so, the reasons therefor ;

(c) whether it is also a fact that some of them have been retired after the completion of 18 years' service and they have not been given the benefits of pension and gratuity ; and

(d) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Works and Housing (Shri Meher Chand Khanna) : (a) to (d) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

दिल्ली में छिपी हुई राशि की प्राप्ति

1850. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री जसवंत मेहता :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नवम्बर, 1964 में दिल्ली के कुछ व्यापारियों से कुछ छिपी हुई राशि प्राप्त हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार पुन: प्राप्त की गई राशि कितनी है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) नवम्बर, 1964 में दिल्ली में की गई तलाशियों के दौरान छिपी हुई राशि पाई गई थी । कर की वसूली केवल निर्धारण करने के पश्चात् ही की जा सकती है ।

(ख) कर निर्धारण विचाराधीन है ।

प्लास्टिक का हृदवॉल्व

1851. **श्री रामेश्वर टांटिया :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इन प्रेस प्रतिवेदनों की ओर आकर्षित किया गया है कि ब्रिटिश शल्य-चिकित्सकों ने एक सस्ते, साधारण और कुशल प्लास्टिक हृदवॉल्व का आविष्कार किया है जो हृद-रोगियों के जीवन को बचा सकेगा ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार हृदय कष्ट से मृत्यु-दर में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, इस प्रयोग का अध्ययन करने के लिये कुछ विशेषज्ञों को भेजने के लिये विचार कर रही है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : सस्ता, साधारण तथा कुशल प्लास्टिक हृद-वॉल्व के बारे में सविस्तर जानकारी उपलब्ध नहीं है । चालू चिकित्सा सम्बन्धी पत्रिकायें भी ऐसी कोई जानकारी नहीं देती हैं । परन्तु मानव हृदय के एओर्टिक वॉल्वों को शवों से निकाले गये होमाग्राफ्ट एओर्टिक वॉल्वों से प्रतिस्थापित किया जा रहा है । यह सस्ते हैं परन्तु प्लाटिस्क के नहीं हैं ।

(ख) इस की उपलब्धता, केन्द्र जहां यह तैयार किया जा रहा है तथा उपयोग में लाया जा रहा है, सम्बन्धी पूरी जानकारी प्राप्त होने तथा उसकी छानबीन करने के पश्चात् ही इस प्रयोग का अध्ययन करने के लिये ब्रिटेन में किसी टीम के भेजने सम्बन्धी प्रश्न पर विचार किया जायेगा । इस के अतिरिक्त, हृदय कष्ट से मृत्यु-दर में वृद्धि केवल हृदय के वॉल्वों सम्बन्धी रोगों के कारण ही नहीं है ।

पूना नगर में रिहायशी स्थान

1852. **श्री चन्द्रिकी :** क्या **निर्माण** और **आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि पूना नगर में रिहायशी स्थान की अत्याधिक कमी है ; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने पूना में स्थित केन्द्रीय सचिवालय के कर्मचारियों को उपयुक्त निवास स्थान देने के लिये संतोषप्रद व्यवस्था कर दी है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) जी हां ।

(ख) मकानों के निर्माण के लिये भूमि प्राप्त की जा रही है ।

पूना नगर की श्रेणी को ऊंचा करना

1853. **श्री चन्द्रिकी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूना में तैनात केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को नगर भत्ता तथा गृह-भाटक भत्ता देने के लिये क्या सरकार इस नगर की श्रेणी को बढ़ा कर "बी० I" करने का विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो कब किया जायेगा ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख) जी हां । आदेश जारी किये जा रहे हैं ।

अलीगढ़ में गांधी नेत्र अस्पताल

1854. **श्री लीलाधर कटकी :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) गांधी नेत्र अस्पताल, अलीगढ को जो राशि राज्य सरकार से मिलती है उसके अतिरिक्त इसको क्या वार्षिक अनुदान दिया जाता है ;

(ख) क्या अस्पताल अधिकारी राशि का उचित रूप से प्रयोग कर रहे हैं और नियमित रूप से लेखा भी दे रहे हैं ;

(ग) अस्पताल में कितने डाक्टर काम कर रहे हैं और वर्ष 1963–64 के दौरान आंखों के कितने आपरेशन किये गये ; और

(घ) केन्द्रीय समाज कल्याण मण्डल द्वारा दी गई राशि खरीद कर जो मोटर गाड़ी अस्पताल के अधिकारियों को दी गई थी, क्या उसका आस पास के ग्रामों के निवासियों की आंखों के इलाज के सम्बन्ध में उचित रूप से प्रयोग हो रहा है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) स्वास्थ्य मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 1962–63 और 1963–64 के दौरान क्रमश: 71,600 रु० तथा 71,900 रु० के वार्षिक अनुदान की मंजूरी दी थी ; यह राशि उस वार्षिक अनुदान के अतिरिक्त थी जो संस्था को राज्य सरकार से मिला था ।

स्वास्थ्य मंत्रालय के, ऊपर दिये गये अनुदान के अतिरिक्त, गांधी नेत्र अस्पताल, अलीगढ़ ने केन्द्रीय समाज कल्याण मंडल से वर्ष 1962–63 और 1963–64 में 6,000 रु० का अनुदान प्राप्त किया था ।

(ख) हां ।

(ग) अस्पताल के सेवामें 8 डाक्टर और एक रेडियोलोजिस्ट हैं। इसके अतिरिक्त अस्पताल में स्नातकोत्तर शिक्षण और गवेषणा के लिये निम्नलिखित कर्मचारी नियुक्त हैं :—

(1) विसंज्ञक	1
(2) औपथाल्मिक रजिस्ट्रार	3
(3) निदर्शक	3
(4) स्थानिक सर्जन	8
(5) औरथौपटिस्ट	1

(1) मुख्य अस्पताल, अलीगढ़ में वर्ष 1963-64 के दौरान 4,396 आपरेशन किये गये थे।

(2) क्षेत्रीय नेत्र चिकित्सा योजना के अन्तर्गत नेत्र चिकित्सा शिबिर के माध्यम से गांधी नेत्र अस्पताल क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में 7,495 आपरेशन किये गये थे।

(घ) हां।

Army Unit for Flood Emergency

1855. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Irrigation** and **Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an Army unit is being raised to help during flood emergency ;

(b) if so, the strength thereof ;

(c) the estimated annual expenditure involved thereby ; and

(d) whether the expenditure would be borne by the States or the Centre ?

Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : (a) to (d) The question of making some arrangements for closing of breaches and for other flood relief operations during emergencies, if any, caused by floods in Delhi and to keep an Army Unit specially trained and equipped for the purpose, was *inter-alia* discussed at an inter-State Flood Control Coordination Conference held on the 27th November, 1964. The proposal is still in a preliminary stage and is being examined in consultation with the Ministry of Defence.

इर्विन अस्पताल से गुम हो जाने वाले रोगी

1856. श्री रामेश्वर टांटिया : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह ठीक है कि इर्विन अस्पताल नई दिल्ली से कुछ रोगियों के गुम हो जाने की रिपोर्ट है ;

(ख) क्या इस मामले में जांच का कोई आदेश दिया गया है ;

(ग) यदि हां, तो और विस्तार से यह मामला क्या है ; और

(घ) क्या खोये हुए रोगी की तलाश कर ली गयी ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क), (ख), (ग) और (घ) एक रोगी जिसका नाम श्री काशीराम है और पिता का नाम श्री बिदराबन है और जिसकी आयु 70 वर्ष की है, 5 नवम्बर, 1964 को आपात वार्ड में प्रविष्ट किया गया था। उसे अतिसार की शिकायत थी। उसकी स्थिति बहुत गम्भीर नहीं थी और वह चलता फिरता था। 6 नवम्बर को जब उसके सम्बन्धी उसे मिलने आये तो वह अपने बिस्तर पर नहीं था। मामले की पुलिस में रिपोर्ट कर दी गई थी। पुलिस की जांच की रिपोर्ट अभी तक उपलब्ध नहीं हुई है।

Auction of Contracts for Liquor

1857. **Shri P. L. Barupal** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether contracts for country liquor in the Union Territory of Delhi are auctioned whereas contracts for foreign liquor are granted to certain big firms only without being auctioned ; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari) : (a) Auctions have been resorted to only in respect of country liquor. The licences for retail sale of foreign liquor are granted to firms of proved respectability, who have been traditionally in this line, the licences being renewable annually.

(b) This procedure has been in vogue for a long time. This differentiation in procedures to be followed as between the licences for the retail sale of country liquor and foreign liquor, is due to several reasons. Firstly, the Delhi Administration arranges for the supply of country liquor at a fixed rate to the retail licensees against prefixed quotas, to be sold also at fixed rates. On the other hand, it is not possible to follow a similar system in the case of foreign liquor because of the very large number of types, brands and strength in which these are sold. Moreover, the only source of supply is not the Indian manufacturers and some quantities have to be imported. Any auction system would require a retail licensee to pay a certain sum without its having any direct relation to his actual procurement or sales. These, however, may in practice vary widely depending not only on general demand but also on the types of foreign liquor that are available whether internally or externally. External procurement is further subject to import licensing restrictions and that introduces an additional element of uncertainty. On account of these considerations, Government are of the view that any attempt to auction these licences would increase the risk of malpractices. Secondly, there is difficulty in finding suitable sites and premises for the location of foreign liquor shops. That is another reason why the traditional licensees already in possession of suitable premises, are generally favoured for the grant of retail sale licence.

जनसंख्या अध्ययन

1858. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस दिशा की ओर गया है कि अमरीका के जनसंख्या अध्ययन करने वाले निकाय ने भारत को जनसंख्या के लिहाज़ से दूसरे स्थान पर रखा है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके निष्कर्षों का विशिष्ट स्वरूप क्या है और उसके प्रति सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) अखबारों में छपा सम्वाद भारत सरकार के नोटिस में ला दिया गया है ।

(ख) अध्ययन निकाय के अध्ययन निष्कर्षों का विशिष्ट स्वरूप उपलब्ध नहीं है । वैसे परिवार आयोजन का कार्यक्रम चालू किया गया है ताकि जन संख्या अधिक न बढे और मामला भारत के साधनों के अनुसार ही रहे ।

उड़ीसा के स्वर्णकार

1859. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा के स्वर्णकारों के पुनर्वास के सम्बन्ध में कितनी राशि की व्यवस्था की है। अब तक उड़ीसा सरकार कितनी राशि प्राप्त कर चुकी है ;

(ख) क्या यह ठीक है कि स्वर्ण नियंत्रण आदेश के कारण पीड़ित हुए उड़ीसा के स्वर्णकारों को अब तक कोई सहायता नहीं दी गयी है; और

(ग) यदि (ख) भाग का उत्तर नहीं है तो उन लोगों की संख्या क्या है जिन्होंने इस दिशा में कुछ सहायता प्राप्त की है, और इस सहायता का स्वरूप क्या है। जिन लोगों पर इस नियंत्रण आदेश का प्रभाव हुआ है उनकी संख्या क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) केन्द्रीय सरकार ने इस कार्य के लिये उड़ीसा सरकार को 25 लाख रुपये का ऋण दिया है ताकि स्वर्णकारों का पुनर्वास हो सके। 1000 रुपये की राशि कुछ अपवाद अवस्था में पीड़ित तथा बेकार स्वर्णकारों की सहायता के लिये विशेष रूप से दी गयी।

(ख) नहीं, जी ।

(ग) उड़ीसा सरकार ने व्यक्तिगत रूप में लोगों तथा सहकारी संस्थाओं को 7,85,950 रुपये का कर्जा दिया है, इसके अन्तर्गत 215 की संख्या में स्वर्णकार आ जाते हैं। 9,525 स्वर्णकारों को औद्योगिक प्रशिक्षण तथा शिक्षा सहायता दी गयी है। 2,700 स्वर्णकार अन्य व्यवसायों में खप गये हैं। उड़ीसा में इस समय स्वर्णकारों की संख्या का अनुमान 23,600 है और उनमें से 15,601 प्रमाणित स्वर्णकारों के रूप में अब काम कर रहे हैं।

विद्युत शक्ति सर्वेक्षण समिति

1860. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965 के दौरान में विद्युत की मांग के सर्वेक्षण के पथ प्रदर्शन के लिये क्या सरकार विद्युत शक्ति सर्वेक्षण समिति की स्थापना पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो समिति की स्थापना कब तक हो जायगी और कौन कौन इसके सदस्य होंगे ;

(ग) क्या पहली समिति की सिफारिशें पूर्ण रूप से कार्यान्वित हो चुकी हैं ; और

(घ) सरकार को इन समितियों के सर्वेक्षण से कहां तक सहायता मिलती है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) समिति की स्थापना पहले ही हो चुकी है।

(ख) समिति के सदस्य यह हैं :

(1) सभापति, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकार . . . सभापति
(2) श्री के० बी० माथुर, सभापति, हैवी इलैक्ट्रिकल्स (इंडिया) लिमिटेड, पार्लियामैन्ट स्ट्रीट, नई दिल्ली . . . . सदस्य
(3) डा० पी० एस० लोकानाथन, महा निदेशक, प्रयुक्त अर्थशास्त्र गवेषणा के लिये राष्ट्रीय परिषद्, इन्द्रप्रस्थ ऐस्टेट, नई दिल्ली सदस्य

(4) श्री ऐम० के० गोपाल अय्यंगर, प्रधान (विद्युत), योजना आयोग सदस्य

(5) श्री ऐम० ऐन० चक्रवर्ती, योजना प्रशासक, तारापुर परमाणु शक्ति प्रायोजना परमाणु शक्ति विभाग, ऐपालो पीयर रोड, बम्बई-1 सदस्य

(6) श्री जी० ऐन० पंडित, सभापति, महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडल, मरकन्टाईल बैंक भवन, फोर्ट, बम्बई . . . . सदस्य

(7) श्री एस० एल० कक्कड़, अध्यक्ष, राजस्थान राज्य विद्युत मंडल, जयपुर . . . . . सदस्य

(8) श्री टी० चानिया, अध्यक्ष, मैसूर राज्य विद्युत मंडल, बंगलौर . सदस्य

(9) श्री बी० सी० कपूर, अध्यक्ष, आसाम राज्य विद्युत मंडल, शिलौंग . सदस्य

(10) श्री जे० ऐन० रैना, महा प्रबन्धक, दिल्ली विद्युत सप्लाई उपक्रम, लिक हाउस, बहादुर शाह जफ़र मार्ग, नई दिल्ली . . सदस्य

(11) श्री एस० बोस, मुख्य विद्युत इंजीनियर, दामोदर घाटी निगम, ऐण्डरसन हाउस, अलीपुर, कलकत्ता-27 . . . सदस्य

(12) श्री एस० एम० जुबैर/या श्री आर० पी० अय्यर (वैकल्पिक सदस्य) फैडरेशन आफ इलैक्ट्रीसिटी अण्डरटेकिंग्स आफ इण्डिया, क्लिक हाउस, होम स्ट्रीट, बम्बई . . . . सदस्य

(13) श्री के० जी० आर० अय्यर, संयुक्त सचिव, सिचाई और विद्युत मंत्रालय . . . . . सदस्य

(14) निदेशक लोड सर्वे, केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग, (शक्ति विभाग) सदस्य-सचिव

(ख) और (ग) विद्युत शक्ति सर्वेक्षण समितियां कोई सिफारिश नही करती । वह विभिन्न राज्यों में प्रत्येक वर्ष विद्युत की मांग का यथार्थ प्राक्कलन करती हैं और इसके ब्यौरे को प्रकाशित करती हैं जिससे सरकार को विद्युत विकास के कार्यक्रम की योजना में सहायता मिलती है ।

करघों को लाइसेंस देने के लिये खादी आयोग का प्रस्ताव

1861. श्री रामेश्वर टांटिया : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने मिल क्षेत्र में अतिरिक्त करघों तथा तकलों के अनुज्ञापन का निषेध करने सम्बन्धी खादी आयोग के प्रस्ताव को रद्द कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ;

(ग) खादी आयोग ने अन्य कौन सी रियायतें मांगी हैं ; और

(घ) योजना आयोग ने उन को कहां तक स्वीकार किया है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) से (घ) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने हाल ही में वस्त्र उद्योग के लिये एक सामूहिक उत्पादन कार्यक्रम सम्बन्धी कुछ प्रस्ताव किये थे । खादी तथा ग्रामोद्योग के सभापति के साथ इन पर चर्चा योजना आयोग की एक बैठक में की गई थी । खादी तथा ग्रामोद्योग के सभापति को चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक कपड़े के उत्पादन लक्ष्यों के संदर्भ में मिल उद्योग में अतिरिक्त तकलों के अनुज्ञापन पर मुख्य प्रतिफलों की व्याख्या की गई थी । उन्हों ने यह स्वीकार किया कि खादी आयोग द्वारा चौथी योजना के 2500 लाख गज़ खादी का प्रस्तावित लक्ष्य समस्त कपड़े के लक्ष्य के सम्बन्ध में बहुत कम था कि अतिरिक्त तकलों के अनुज्ञापन से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

2. खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने यह भी सुझाव दिया था कि सरकार को 25 से 33 प्रतिशत उत्पादित खादी सूत को अपनी आवश्यकताओं के लिये लेना चाहिये। यह महसूस किया गया कि सरकार के लिये खादी क्रय के वर्तमान स्तर में पांच से छः गुना तक वृद्धि करना कठिन होगा। तथापि यह स्वीकार किया गया था कि हथकरघे के कपड़े के रूप में बेचने के लिये तथा सेना, पुलिस और स्कूलों की वर्दियों के लिये खादी सूत और मिल सूत को मिलाने की सम्भावना की टेक्नीकल छानबीन करना अपेक्षित होगा। अतः योजना आयोग इस मामले को आवश्यक छानबीन करने के लिये सम्बन्धित मंत्रालयों से उठा रहा है।

पेंशनर्स

1862. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पेंशनर्स समाज ने देश में पेंशनरों की समस्याओं का अध्ययन करने के लिये शीघ्र एक उच्च शक्ति प्राप्त आयोग नियुक्त करने के लिये अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार ऐसा आयोग नियुक्त करना आवश्यक नहीं समझती।

लेखन सामग्री तथा मुद्रण कार्यालय, कलकत्ता

1863. **श्री नम्बियार :**
श्री इम्बिचिबावा :
श्री प० कुन्दन :

क्या **निर्माण** तथा **आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लेखन सामग्री तथा मुद्रण कार्यालय, कलकत्ता के नैमित्तिक श्रमिकों की दैनिक आय कुल कितनी है ;

(ख) क्या सरकार बढ़ते हुए निर्वाह व्यय को देखते हुए इन मज़दूरों की दरों को बढ़ाना चाहती है ; और

(ग) क्या सरकार के पास इन मज़दूरों को अनैमित्तिक करने तथा उनको नियमित मज़दूरों के रूप में खपाने का कोई प्रस्ताव है ?

निर्माण तथा आवास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) 2.25 रु०

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) जी हां, ऐसा एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

लेखन सामग्री तथा मुद्रण कार्यालय, कलकत्ता में नैमित्तिक श्रमिक

1864. **श्री नम्बियार :**
श्री इम्बिचिबावा :
श्री प० कुन्हन :

क्या **निर्माण** तथा **आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी लेखन सामग्री तथा मुद्रण कार्यालय, 3 चर्च लेन, कलकत्ता में कितने मजदूर नियोजित हैं ;

(ख) इस कार्यालय में कितने नैमित्तिक मज़दूर काम करते हैं ; और

(ग) क्या यह सच है कि कुछ नैमित्तिक श्रमिक 1956 से काम कर रहे हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) 169 नियमित कर्मचारी।

(ख) 80 से 90 ।

(ग) ऐसे मज़दूरों की संख्या आठ है ।

राज्य बैंकों द्वारा किसानों की सहायता

1865. श्रीमती सावित्री निगम : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ मुख्य मंत्रियों ने एक ऐसी योजना बनाने के लिये उनसे अनुरोध किया है जो कि राज्य बैंकों द्वारा किसानों की सहायता कर सके ;

(ख) यदि हां, तो उसपर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी): (क) समय समय पर यह सुझाव दिया गया है कि भारत के राज्य बैंक को कृषि ऋण की मात्रा बढ़ाने के प्रश्न पर अधिक ध्यान देना चाहिये विशेषत: उन क्षेत्रों में जहां पर कि सरकारी समितियां मज़बूत नहीं हैं अथवा अच्छी तरह से स्थापित नहीं हैं ।

(ख) प्रश्न अभी विचाराधीन है ।

Damage caused by Floods in Yamuna

1866. Shri Rameshwaranand : Will the Minister of **Irrigation** and **Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an officer of the Central Water and Power Commission of the Central Government had visited certain villages in Punjab last year to see the damage caused by the floods in Yamuna ;

(b) whether this officer has submitted any report to the Union Government in this regard; and

(c) if so, the broad details thereof and action taken in the matter by the Punjab Government ?

Minister of Irrigation & Power (Dr. K. L. Rao) : (a) Yes; in October, 1963, an officer of the Central Water and Power Commission inspected certain villages in Punjab affected by floods, including the villages Chaura, Debkauli, Hansumajra and Chaughawan.

(b) Yes.

(c) The report contains an assessment of the damage by floods in the areas visited and suggetions for remedial measures. On the basis of the report, action to extend the stone revetment at Dabkauli village was recommended to the Punjab Government. The Punjab Government have formulated certain schemes for the protection of the affected villages. The Expert Committee which examined these schemes, however, found that these required further consideration and modifications. The revised proposals of the Punjab Government are awaited.

आय-कर निरीक्षक

1867. श्री हुकमचन्द कछवाय : क्या **वित्त** मंत्री 1 अक्तूबर, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1678 के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन आय-कर निरीक्षकों ने आय कर अधिकारियों के पद के लिए परीक्षा पास कर ली है परन्तु अब तक उनकी पदोन्नति नहीं हुई है, उन की कठिनाईयों को दूर करने के लिए क्या पग उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ;

(ख) क्या यह सच है कि प्रत्यक्ष कर जांच आयोग ने उनके पक्ष में प्रतिवेदन दिया है जिसके साथ संघ लोक सेवा आयोग भी सहमत है ; और

(ग) यदि हां, तो सिफारिशों को स्वीकार न करने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) आय-कर अधिकारी (द्वितीय वर्ग) के पदों के लिए उन्नति गुणों के आधार पर प्रवरण से की जाती है। जिन आय कर निरीक्षकों ने दूसरी बातों के साथ साथ आय-कर अधिकारियों के लिए परीक्षा पास कर ली है, वे उन्नति के लिए विचार योग्य हैं। इस प्रकार पदोन्नति प्रवरण से की जाती है न कि इस परीक्षा में पास होने की तिथि के अनुसार। निरीक्षक का परीक्षा पास करना पात्रता की केवल एक शर्त है। इसलिए, इन निरीक्षकों को किसी कठिनाई के होने का कोई प्रश्न नहीं है। परीक्षा पास करने पर निरीक्षों को प्रोत्साहन के रुप में उनके वेतन क्रम में दो अग्रिम वृद्धियां दी जाती हैं।

(ख) और (ग) प्रत्यक्ष कर जांच समिति ने यह सिफारिश की थी कि अगले उच्च वेतन-क्रम में पदोन्नति के प्रयोजन के लिए वरिष्ठता निर्धारित परीक्षा पास करने के वर्ष या तिथि से लगाई जानी चाहिये। इस सिफारिश को स्वीकार करना सम्भव नहीं है क्योंकि इस से उम्मीदवारों के विनियमन की आवश्यकता होगी।

M. P.s Expenses on Ayurvedic Medicines

**1868. { Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**

Will the Minister of **Health** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Members of Parliament are not reimbursed the expenditure incurred by them on Ayurvedic medicines; and

(b) if so, the reasons therefor?

The Minister of Health (Dr. Shushila Nayar) : (a) & (b) Members of Parliament are covered by the Central Government Health Scheme and medicines prescribed by the Central Government Health Scheme Ayurvedic Dispensary in Delhi are supplied by the dispensary free of charge.

जीवन बीमा निगम

1869. श्री हरि विष्णु कामत : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम प्रथम वर्ग कर्मचारी संघ की फैडेरेशन की जनरल कौंसल ने कुछ शिकायतों को दूर करने तथा कुछ मांगों पर विचार के लिए एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है,

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) फैडरेशन ने अपनी मांगों सम्बन्धी चेयरमैन, जीवन बीमा निगम को लिखे गये पत्र की एक प्रति सरकार को भेजी है ।

(ख) मांगें इस प्रकार हैं (1) वेतन-क्रम में सुधार (2) महंगाई भत्ते में सुधार (3) अधिलाभांश का दिया जाना और (4) मकान किराया भत्ता दिया जाना ।

(ग) सरकार के परामर्श से निगम इस पर विचार कर रहा है ।

जय इंजिनियरिंग कम्पनी, लिमिटेड के महा प्रबन्धक

1870. श्री द्वारकादास मंत्री : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जय इंजीनियरिंग कम्पनी, लिमिटेड के महा प्रबन्धक पर कम्पनी द्वारा विदेशी मुद्रा विनियम के उल्लंघन के कारण 25,000 रुपये दंड लगाया गया है;

(ख) कम्पनी के कौन कौन से अन्य निदेशकों के निवासस्थानों अथवा कार्यालयों की तलाशी ली गई ; और

(ग) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) माल के कम बीजक बनाने और समुचित आयात व्यापार नियंत्रण अनुज्ञप्ति के बिना आयात करने के अपराध में सम्बद्ध व्यक्ति के रूप में कम्पनी के महा प्रबन्धक पर समुद्र सीमाशुल्क अधिनियम के उपबन्धों के अधीन 25,000 रुपये का व्यक्ति गत दंड दिया गया था ।

(ख) कम्पनी के निदेशकों के निवास स्थानों की तलाशी नहीं ली गई ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

'सी' बिजली घर

1871. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री द्वारकादास मंत्री :

क्या **सिंचाई** और **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में 'सी' बिजली घर गत कुछ समय से संतोषजनक कार्य नहीं कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसकी पूरी जांच करने अथवा इस के किये जाने की सम्भावना पर क्या कार्यवाही की गयी है ; और

(ग) क्या इस बिजली घर के लिये जिस जापानी फर्म ने उपकरण दिये थे, उसको यंत्र भिजवाने के लिये कोई नया आदेश दिया गया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री कु० ल० राव) : (क) 'सी' बिजली घर (इन्द्रप्रस्थ बिजली घर) 7 नवम्बर से 4 दिसम्बर 1964 तक जांच तथा सांज संवार के लिये बन्द रखा गया था । क्योंकि मार्च और फिर अगस्त 1964 में प्लान्ट के 'टेर्बो-जेनेरेटर' में स्वीकृत सीमाओं से परे तक तरंगें देखी गयीं इसलिये सांज संवार करनी पड़ी ।

(ख) सर्वश्री मित्शूबिशी शोजी कैषा लिमिटेड जिन्हों ने यह "प्लान्ट" भेजा था, ने इस संयंत्र की पूरी जांच 7 नवम्बर से 4 दिसम्बर 1964 तक की, जिसके पश्चात संयंत्र पुनः चालू किया गया । इस संयंत्र की तीन वर्ष की अवधि तक प्रत्याभूति दी गई है और इस बीच होने वाले सभी विकार भेजने वालों द्वारा सुधारे जाने हैं ।

(ग) भारत सरकार ने आंध्र प्रदेश सरकार को सिद्धान्त रुप से मंजूरी जैयन्ती इन्जीनियरिंग निगम तक पहुचाने को कह दिया है जो रामागुण्डाम में 198 मैग-वाट का, चाबी-घुमाने के आधार वाला तापीय बिजली घर स्थापित करेगी । यह निगम मित्शूबिशी शोजी कैशा से उत्पादन संयंत्र तथा बिजली के उपकरण जो 66 मैगा-वाट के 3 उत्पादन संयंत्रों वाले होंगे लेने के लिये बातचीत कर रही है ।

असम राज्य विद्युत बोर्ड के लिये 30 मैगा-वाट तापीय बिजली उत्पादन एकक जो गौहाटी में लगाया जायेगा लेने के लिये भी जापान की इसी फर्म को आदेश देने का सुझाव है क्योंकि इन्हीं के मूल्य ही तकनीकी तौर पर स्वीकृति के लिये सब से कम हैं तथा संयंत्र देने की अवधि भी केवल 10 मास है। वित्त मंत्रालय भी IV येन उधार के अधीन सिद्धान्त रुप से विदेशी मुद्रा देने पर सहमत हो गया है ।

नई दिल्ली में कार्यशील महिलाओं के लिये होस्टल

1872. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **निर्माण** तथा **आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मिन्टू पुल, नई दिल्ली के निकट कार्यशील महिलाओं के लिये निर्माण आधीन नए होस्टल की क्या प्रगति है ;

(ख) इसके कबतक पूरे होने की सम्भावना है ;

(ग) पूर्व अनुमानित व्यय तथा व्यय हुई राशि कितनी है ; तथा

(घ) इस होस्टल के पूरा होने के पश्चात कितनी ऐसी महिलायें इस में स्थान पा सकेंगी तथा इसकी मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

निर्माण तथा आवास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) मिन्टू पुल के पास कार्यशील महिलाओं के लिये कोई होस्टल निर्माणाधीन नहीं है। जो भवन बन रहा है उसे होटल के तौर पर बरता जायेगा।

(ख) करीब 6 मास के अंदर अंदर ।

(ग) भवन बनने के पश्चात ही व्यय के आंकड़े उपलब्ध हो सकेंगे जब सारे बिलों का भुगतान हो जायेगा । निर्माण के दौरान कई हेर फेर किये गये हैं ।

(घ) इस भवन में कुल 200 से अधिक कमरे होंगे ।

पश्चिमी अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग संघ से सहायता

1873. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संघ से 1,000,000 पाऊंड की सहायता देने की प्रार्थना की है जो तीसरी पंच वर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष तथा अगली योजना के पूर्व कार्य पर पूंजी लगाने के काम आयेगी ; और

(ख) यदि हां तो इस सहयोग संघ ने इस बारे में क्या उत्तर दिया ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

गैर-सरकारी कम्पनियों में विदेशी विनियोग

1874. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष बजट के सुझावों में जो विदेशी विनियोग को प्रोत्साहन देने के सुझाव थे, उनको ध्यान में रखते हुए, इस वर्ष विदेशियों ने गैर-सरकारी भारतीय कम्पनियों में ईक्विटी शेयर के रूप में कितना धन लगा है ?

(ख) कितना कितना धन हर एक देश में लगाया है ; और

(ग) इस विनियोग को प्राप्त करने में बड़े बड़े सिद्धान्त क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जा रहा है जिसमें हर देश का अलग अलग रुपया जो उन्होंने अप्रैल--सितम्बर 1964 में अंश तथा तरजीही पूंजी के रूप में भारतीय कम्पनियों में लगाया है तथा जिसका अनुमोदन भारत सरकार ने कर दिया है । यह कहना असम्भव है कि इस राशि में ऐसा कितना है जो इस वर्ष के बजट सुझावों के प्रभाव से आया है ।

(ग) वह सिद्धान्त जिन पर विदेशी पूंजी की अनुमति दी गई है वे हैं जो प्रधान मंत्री ने अपने भारतीय संविधान सभा (विधान-सम्बन्धी) के 6 अप्रैल 1949 के बयान में प्रकट किये थे तथा जो वित्त मंत्री ने 10 मार्च 1964 को बजट भाषण के दौरान कहे थे ।

अप्रैल से सितम्बर 1964 तक के विदेशी विनियोग का विवरण जिसका अनुमोदन भारत सरकार ने कर दिया है :--

देश	(करोड़ों में) रु०
संयुक्तराज्य (इंग्लिस्तान)	7.3
पश्चिमी जर्मनी	2.9
संयुक्तराष्ट्र अमरीका	2.8
सुविटज़रलेंड	1.0
फ्रांस	0.5
जापान	0.5
अन्य देश	2.5
जोड़	17.5

अंडमान द्वीपों में जाने वाले भारतीयों के लिये स्वास्थ्य प्रमाण पत्र

1875. **श्री नम्बियार :**
श्री इम्बीचीबावा :
श्री प० कुन्हन :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जो भारतीय नागरिक अंडमान द्वीप जाते हैं उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय फ़ार्म में स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त करने होते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो किस लिये ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) तथा (ख) बहुत वर्षों से द्वीप हैज़ा तथा चेचक की बीमारियों से मुक्त है। इन्हें इन बीमारियों से बचाने के लिये हर व्यक्ति को जो वहां जाता है उन्हें स्वास्थ्य प्रमाणपत्र दिखाने होते हैं ।

पी० डब्ल्यू० डी०, अंडमान और निकोबार द्वीप

1876. **श्री नम्बियार :**
श्री इम्बीचीबावा :
श्री प० कुन्हन :

क्या **निर्माण** और **आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1963 में प्रशासन को अंडमान तथा निकोबार द्वीपों के पी० डब्ल्यू० डी० के महकमें के स्टोर तथा वर्कशाप के महकमें में कुछ अनियमितताओं के बारे में खबर दी है ;

(ख) यदि हां, तो वे अनिमिततायें किस प्रकार की हैं ;

(ग) क्या इस मामले की कोई जांच की गई थी ;

(घ) यदि हां, तो उस से क्या पता लगा ;

(ङ) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) से (ङ) अंडमान प्रशासन के पी० डब्ल्यू० डी० के महकमे के स्टोर की जो जांच 1962 के आरम्भ में की, उस से स्टोर में कुछ वस्तुओं के कम होने तथा कुछों के अधिक होने का पता लगा। एक अधिकारी इनके कारणों की जांच करने के लिये नियुक्त किया गया था। उस ने कुछ सुझाव इस प्रकार की कमियों को हटाने के बारे में तथा प्रक्रिया को सुधारने के बारे में दिये। रजिस्ट्रों को ठीक करने की दिशा में कदम उठाये हैं । यह काम फरवरी 1965 के अन्त तक समाप्त होने की आशा है। जब स्टोर की पदार्थीय जांच समाप्त हो जावेगी तो वस्तुओं की कमियों तथा अधिकताओं को ठीक करने के लिये उचित कार्रवाई की जावेगी ।

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

केन्द्रीय सरकार से अनाज की अपर्याप्त सप्लाई के कारण बिहार, उडीसा, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में उत्पन्न गंभीर खाद्यस्थिति का समाचार

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I call the attention of the Minister of Food and Agriculture to the following matter of Urgent Public Importance and request that he may make a statement thereon :

"Reported serious food situation in Bihar, Orissa, Rajasthan, Punjab, Maharashtra and Uttar Pradesh arising out of inadequate supply of foodgrains from the Centre."

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : मैंने सभा पटल पर एक वक्तव्य रख दिया है जिसमें इन राज्यों में खाद्य स्थिति, विशेषकर केन्द्रीय सम्भरण के बारे में बता दिया गया है।

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, Sir, the Hon. Minister may be asked to read out the statement so that we may ask supplementaries.

Mr. Speaker : These copies may be placed in the Notice Office so that the Members can have it. The matter will be taken up at 3-45 P.M. The Hon. Members may go through it by that time.

ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में (प्रश्न)

RE : CALLING ATTENTION NOTICE (Query)

श्रीमती यशोदा रेड्डी (करनूल) : मैंने रामेश्वरम् द्वीप में हुए विनाश के बारे में एक ध्यान दिलाने वाली सूचना दी थी। क्या माननीय मंत्री उस बारे में आज शाम तक को वक्तव्य देंगे।

श्री दी० चं० शर्मा : इस बारे में मैंने भी एक पूर्वसूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है कि मैं इसका उत्तर इस समय नहीं दे सकता। अब सभापटल पर पत्र रखे जायेंगे।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : मैं समवाय अधिनियम, 1956 की धारा 638 के अन्तर्गत, 31 मार्च, 1964 को समाप्त हुए वर्ष के लिये उक्त अधिनियम की क्रियान्विति और प्रशासन संबंधी आठवां वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एल०टी 3728/64]**

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : मैं अध्यक्ष द्वारा दिये गये निदेश 19 के अन्तर्गत, पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के बारे में 17 दिसम्बर, 1964 को श्री हेमराज द्वारा उठाई गई आधे घंटे की चर्चा के उत्तर में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालयमें रखी गई। देखिये संख्या एल टी-3729/64]**

संचार तथा संसद-कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : मैं तीसरी लोक सभा के विभिन्न सत्रों में मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, प्रतिज्ञाओं और वचनों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही बताने वाले निम्नलिखित विवरण की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) अनुपूरक विवरण संख्या 1 दसवां सत्र, 1964

(दो) अनुपूरक विवरण संख्या 3 नवां सत्र 1964

(तीन) अनुपूरक विवरण संख्या 8 सातवां सत्र, 1964

(चार) अनुपूरक विवरण संख्या 11 छटा सत्र, 1963

(पांच) अनुपूरक विवरण संख्या 15 चौथा सत्र, 1963

(छः) अनुपूरक विवरण संख्या 16 तीसरा सत्र, 1962–63

[पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल टी-3730/64 से एल टी 3735/64]

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : मैं अत्यावश्यक वस्तुओं के लागत ढांचे के अलग अलग आंकड़ों के बारे में एक विवरण सभा पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल टी-3736/64]**

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : मैं अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत दिनांक 18 दिसम्बर, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1811 में प्रकाशित, मध्य प्रदेश मोटा अनाज (निर्यात नियंत्रण) आदेश, 1964 की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल टी-3737/64]**

श्री ब० रा० भगत : मैं श्री रामेश्वर साहू की ओर से 1 औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) अधिनियम, 1955 की धारा 19 की उपधारा (4) के अन्तर्गत दिनांक 5 दिसम्बर, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1702 में प्रकाशित औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) संशोधन नियम, 1964 की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल टी-3738/64]**

(2) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक 7 दिसम्बर, 1964 की जी० एस० आर० 1743

(दो) दिनांक 12 दिसम्बर, 1964 की जी० एस० आर० 1751

(तीन) दिनांक 12 दिसम्बर, 1964 की जी० एस० आर० 1752

(चार) दिनांक 12 दिसम्बर, 1964 की जी० एस० आर० 1753

(पांच) दिनांक 12 दिसम्बर, 1964 की जी० एस० आर० 1754

(छः) दिनांक 12 दिसम्बर, 1964 की जी० एस० आर० 1755

[पुस्तकालय में रखे गये । देखिये संख्या एल टी- 3739/64]

(3) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 और केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत, सीमा शुल्क और उत्पादन-शुल्क निर्यात प्रत्याहृत (सामान्य) नियम, 1960 में आगे संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक 12 दिसम्बर, 1964 की जी० एस० आर० 1756

(दो) दिनांक 12 दिसम्बर, 1964 की जी० एस० आर० 1757

(तीन) दिनांक 12 दिसम्बर, 1964 की जी० एस० आर० 1758

(चार) दिनांक 12 दिसम्बर, 1964 की जी० एस० आर० 1759

(पांच) दिनांक 12 दिसम्बर, 1964 की जी० एस० आर० 1760

(छः) दिनांक 12 दिसम्बर, 1964 की जी० एस० आर० 1761

[पुस्तकालय में रखे गये । देखिये संख्या एल टी-3740/64]

प्राक्कलन समिति के सोलहवें प्रतिवेदन में सम्मिलित किये जाने के लिये विवरण

STATEMENTS FOR INCLUSION IN THE SIXTEENTH REPORT OF THE ESTIMATES COMMITTEE

श्री अरुणचन्द्र गुह (बारसाढ़) : मैं प्राक्कलन समिति की सिफारिशों के वे उत्तर, जो प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन में सम्मिलित करने के लिये सरकार द्वारा समय पर नहीं दिये गये थे दिखाने वाले निम्नलिखित विवरण सभापटल पर रखता हूं :—

(एक) प्राक्कलन समिति (द्वितीय लोक सभा) की एक सौ दसवीं प्रतिवेदन की सिफारिश संख्या 7 का उत्तर, जो प्राक्कलन समिति (तीसरी लोक सभा) के सोलहवें प्रतिवेदन के अध्याय चार में सम्मिलित किया गया था, दिखाने वाला विवरण ।

(दो) प्राक्कलन समिति (द्वितीय लोक सभा) की एक सौ बारह प्रतिवेदन की सिफारिश संख्या 78 का उत्तर, जो प्राक्कलन समिति (तीसरी लोक सभा) के सोलहवें प्रतिवेदन के अध्याय चार में सम्मिलित किया गया था, दिखाने वाला विवरण ।

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS FROM THE SITTINGS OF THE HOUSE

ग्यारहवीं बैठक का कार्यवाही सारांश

श्री खाडिलकर (खेड) : मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति की वर्तमान अधिवेशन में हुई ग्यारहवीं बैठक का कार्यवाही सारांश सभा पटल पर रखता हूं ।

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

PRESIDENT'S ASSENT TO BILLS

सचिव : मैं 21 दिसम्बर, 1964 को सभा को दिये गये अन्तिम प्रतिवेदन के बाद संसद् की दोनों सभाओं द्वारा वर्तमान सत्र में पारित और राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित चार विधेयक सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) विनियोग (संख्या 6) विधेयक, 1964

(2) खनिज तेल (अतिरिक्त उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क) संशोधन विधेयक, 1964

(3) केरल विनियोग विधेयक, 1964

(4) धन कर (संशोधन) विधेयक, 1964

अनुपस्थिति की अनुमति

LEAVE OF ABSENCE

अध्यक्ष महोदय : सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति ने अपने ग्यारहवें प्रतिवेदन में निम्नलिखित सदस्यों को प्रतिवेदन में बताई गई अवधि के लिये अनुपस्थिति की अनुमति देने के लिये सिफारिश की है :—

(1)	श्री जय रामन . . .	7 सितम्बर से 3 अक्तूबर, 1964 (नवां (अधिवेशन)
(2)	श्री रा० शि० पाण्डेय . .	16 नवम्बर से 4 दिसम्बर, 1964 (दसवां अधिवेशन)
(3)	डा० पंजाब राव शा० देशमुख .	16 नवम्बर से 8 दिसम्बर, 1964 (दसवां अधिवेशन)
(4)	श्री रवि नारायण रेड्डी . .	16 नवम्बर से 24 दिसम्बर, 1964 (दसवां अधिवेशन)
(5)	श्री महेश्वर नायक . . .	16 नवम्बर से 24 दिसम्बर, 1964 (दसवां अधिवेशन)
(6)	डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी . .	16 नवम्बर से 24 दिसम्बर, 1964 (दसवां अधिवेशन)
(7)	श्री बाकर अली मिर्जा . .	27 नवम्बर से 18 दिसम्बर, 1964 (दसवां अधिवेशन)
(8)	श्री गया-सुद्दीन अहमद . .	16 नवम्बर से 24 दिसम्बर, 1964 (दसवां अधिवेशन)
(9)	श्री विजय सिंह राव रामराव दफले .	9 दिसम्बर से 24 दिसम्बर, 1964 (दसवां अधिवेशन)
(10	श्री प्रिय गुप्त . . .	16 नवम्बर से 22 दिसम्बर, 1964 (दसवां अधिवेशन)
(11)	श्री दशरथ देव . . .	16 नवम्बर से 7 दिसम्बर, 1964 (दसवां अधिवेशन)

क्या सभा समिति की इन सिफारिशों से सहमत है ?

कई माननीय सदस्य : जी, हां ।

अध्यक्ष महोदय : सदस्यों को तदनुसार सूचित कर दिया जायेगा ।

प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य के बारे में

RE: STATEMENT BY PRIME MINISTER

Mr. Speaker : The Prime Minister.

Shri Ram Sewak Yadav (Barabanki) **:** Mr. Speaker, Sir, I want an information. I was under the impression that there would be a mention in the

Agenda regarding Statement by the Prime Minister. But taking into consideration the fact that there was a talk at the time of Dr. Lohia's suspension that the Prime Minister would be making a statement in the House. I would, therefore, like to know as to whether the statement that is going to be made by the Prime Minister relates to the very issue.

Mr. Speaker : He will make a statement regarding that.

Shri Ram Sewak Yadav : On a point of order. Dr. Lohia had raised the matter and the Minister of Parliamentary Affairs gave some assurances stating that he would take up the matter subsequently the issue which took a different turn resulted in the suspension of Dr. Lohia from the services of the House. In the light of the above facts, it is a point for consideration as to whether a statement relating to this very subject matter being made by the Prime Minister in the absence of the Member who raised the issue is proper or not. I can assert that it is absolutely wrong for the Member concerned is not present in the House to raise the relevant supplementaries thereon.

I would , therefore, urge that Dr. Lohia may be sent for in the House and the Hon. Prime Minister should then make the statement at 4 p.m. so that the Member may be given an opportunity to ask questions relating to the matter or the alternative thereto is that the statement may be postponed till the commencement of the next session.

Mr. Speaker : The point of order is that the Member who raised the issue is not present in the House as he has been suspended by the House. The second point is that Dr. Lohia may be given an opportunity to participate in the discussion.

The reply to the first part of the point of order is that this question is either the concern of the Chair or that of the House. The later part of the point, in my opinion, would be decided only when the statement is made by the Prime Minister which would make the position clear as to whether Government are prepared to have a discussion thereon. If the trend of the Government be in the affirmative, a discussion might be held even during the next session when Dr. Lohia would also be present here to participate in the discussion. In case no discussion is allowed to be held, question does not arise for participating in it. It is, therefore, necessary to hear out the statement first before we could ascertain the position regarding a further discussion in the matter.

Shri Ram Sewak Yadav : A statement has already been made.

Shri Madhu Limaye : Sir, I had given a notice of my intention to move a Privilege Motion against the Minister of Parliamentary Affairs for not carrying out the assurances given by him.

Secondly, I have invited your attention under Rule 115 of the Directions from the Chair to a wrong statement made day before yesterday by the Home Minister Shri Nanda.

Thirdly, the Minister of Parliamentary Affairs had given assurance that he would take up the matter on the return of the Prime Minister and that he has not carried out. I would, therefore, like you, Sir, to make all the points cristal clear.

Mr. Speaker : The first thing is that it would be a strange convention if we discuss a matter next day which we have already decided. That is not possible for me to re-open a matter the fate of which has already been decided. The second

[Mr. Speaker]

point raised is regarding a Privilege Motion. I have gone through the contents thereof and I have disallowed it. The third point is regarding Rule No. 115. It is wrong to say that I have demanded an explanation.

All the three points which are raised have, therefore, been dismissed.

Now the Prime Minister may reply if he so wishes.

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : आपकी अनुमति से, मैं एक संक्षिप्त वक्तव्य दूंगा ।

Shri Ram Sewak Yadav : Sir, I have raised two points and I would like to know about the fate thereof.

Shri Madhu Limaye : I would hear out the statement only when Dr. Lohia is sent for.

Shri Ram Sewak Yadav : Sir, I am prepared to hear out the statement only when my two questions are answered first.

Mr. Speaker : Order, order. So far as the question of summoning Dr. Lohia is concerned, I have already cleared the position and I cannot do anything more other than what I have decided. The Prime Minister, being the Leader of the House has a privilege to make statements as and when he desires to do so. I would, therefore, request the hon. Members not to put obstructions.

Shri Ram Sewak Yadav : I am not obstructing. But we should follow a healthy Parliamentary convention here and transact the business of the House in accordance with the Rules. Therefore, what I want to know about is the subject-matter of the Statement by the Prime Minister so that we may proceed further.

Mr. Speaker : The subject-matter will be known to every one after the statement is made. I will request the hon. Members not to interrupt the proceeding.

Shri Ram Sewak Yadav : Sir, I do not deny the privilege of the hon. Prime Minister. But what actually I want to know about is whether the Prime Minister is prepared to postpone his statement today and confine himself to the mere reply relating to these points which led to Dr. Lohia's suspension. If ....

Mr. Speaker : Will not the hon. Member allow the further proceedings to be conducted ?

Shri Ram Sewak Yadav : How is it possible to proceed further when the House puts obstacles in the way.

श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी) : बात बहुत आगे बढ़ गई है । एक सीमा होनी चाहिये । माननीय सदस्य को नाम लेकर पुकारा जाना चाहिये ।

Shri Ram Sewak Yadav : I want reply to my questions and in absence of that I will not allow the further proceedings to be conducted.

Mr. Speaker : Order, order. Shri Ram Sewak Yadav is putting obstructions in the proceedings of the House.

श्री रघुनाथ सिंह : जी, हां ।

Shri Ram Sewak Yadav : Sir, my question has not so far been replied to....

Mr. Speaker : Order, order. Now I will call him by name that Shri Ram Sevak Yadav who is a Member of this House has been continuously and persistantly obstructing the proceedings of the House. I would, therefore, ask him to withdraw from the House.

श्री रामसेवक यादव :*

(इसके पश्चात् श्री राम सेवक यादव सदन से बाहर चले गये)

(Shri Ram Sevak Yadav then left the House)

श्रीमती सावित्री निगम : माननीय सदस्य ने जो मत व्यक्त किया है उसे सभा की कार्यवाही से निकाल दिया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : सभा की कार्यवाही से उन शब्दों को निकाल दिया जाये ।

चीनी आक्रमण के सम्बन्ध में सरकार की स्थिति के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE : GOVERNMENT'S POSITION ON CHINESE AGGRESSION

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : डा० राम मनोहर लोहिया तथा श्री प्रकाशवीर शास्त्री और श्री स० मो० बनर्जी ने अपने प्रस्ताव में विचार व्यक्त किये हैं कि चीन ने जो हमारे देश पर आक्रमण किया है तथा जो हमारे क्षेत्र के बारे में दावा किया है, उसके बारे में परस्पर विरोधी बयान दिये गये हैं। मैं यह महसूस किये बिना नहीं रह सकता कि यह कुछ ग़लतफहमी पर आधारित है और इस अवसर पर उन्हें दूर करना चाहता हूं तथा इस प्रश्न के बारे में अपनी नीति को फिर कहता हूं ।

हमारी सीमा पर चीनी आक्रमण के कुछ समय पश्चात कुछ मित्र राष्ट्रों ने कोलम्बो सुझाव सूत्रित किये थे । भारत सरकार ने तो यह सुझाव मान लिये थे परन्तु चीन की सरकार ने नहीं माने थे । बाद में लंका की प्रधान मंत्री ने लदाख के सैन्य विघटित क्षेत्र की असैनिक चौकियों के प्रश्न पर हम से परामर्श लिया । उसके उत्तर में भारत सरकार ने बता दिया है कि वे इस बात के लिये तयार हैं कि असैनिकीकरण किये हुए क्षेत्र के दोनों ओर कोई चौकियां नहीं होनी चाहिये । उसके पश्चात और कोई प्रगति इस ओर नहीं हुई है । इस समय तो इस प्रश्न पर किसी वार्ता के होने का भी सवाल नहीं उठता ।

भारत सरकार इस बात में विश्वास रखती है कि शान्ति का रास्ता अपनाना चाहिये और समस्याओं को आपसी बातचीत से निबटाना चाहिये यदि ऐसी बातचीत देश के मान को कोई हानि न पहुंचाये ।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । क्या सरकार स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री नेहरू की नीति पर स्थिरता से चल रही है (वैसे हम तो उस नीति से भी सहमत नहीं हैं) कि कोलम्बो प्रस्तावों से थोड़े से भी नहीं हटेंगे । यदि उस पर चलने को तैयार नहीं है तो मैं जानना चाहता हूं कि उस से कितनी हटने को तैयार है ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : कोलम्बो प्रस्तावों के बारे में हमारी नीति कतई साफ है । हम स्वर्गीय प्रधान मंत्री की नीति पर चल रहे है कि कोलम्बो प्रस्तावों पर कोई रियायत देने को तैयार नहीं हैं ।

---

*कार्यवाही के वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

*Not recorded.

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : The Government is in a slippery way on the Chinese question. The Prime Minister has said so many times that they will not talk to the Chinese unless they withdraw from our territory. But still they talked about the boundary as on 8th September. Thereafter there was talk about Colombo proposals and then again this new proposal that India could not set up check posts if China also does the same. In this way India is not firm in its policy. Then we talk about Chinese atomic explosion that Chinese have acted against humanity. I want to know whether Government of India now want to break off diplomatic relations with China ? Regarding honourable settlement of dispute, I want to know whether they are prepared to say that they will not compromise with Chinese for any part of India. I want a clear reply from the Prime Minister about it.

Shri Lal Bahadur Shastri : This can be known only when the negotiations take place. There is no question of giving away any part of India.

श्री स्वैल (आसाम स्वायत्तशासी जिले) : स्वर्गीय प्रधान मंत्री ने इस झगड़े को अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय, हेग में ले जाने का सुझाव दिया था और इस सदन ने इसको अनुमोदित भी कर दिया था। एक और प्रस्ताव के बारे में भी समाचार था कि किसी निष्पक्ष राष्ट्र को संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधीन इस प्रश्न को सुलझाने को दे दिया जावे और वह इसकी सीमा भी निर्धारित कर देवे। क्या सरकार ने ऐसा करने से मना कर दिया है। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसे क्या कारण हैं जिनके अनुसार सरकार ने पहला सुझाव तो मान लिया किन्तु दूसरा सुझाव ठुकरा दिया।

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, my question regarding breaking off of diplomatic relations with China, has not been answered. I want an answer for that. The Government should not run away from such questions.

Mr. Speaker : I now, name Shri Madhu Limaye that he is intentionally obstructing the proceedings of the House and I order him to leave the House.

(इसके पश्चात श्री मधु लिमये सदन से बाहर चले गये)

(Shri Madhu Limaye then left the House)

Shri Hukum Chand Kachhvaiya (Dewas) : Sir, it appears that for the last three or four days the members are creating this order in the House so that the facts about their expulsions from the House may be reported in the press and they get publicity. I want to put a motion that such things should not be reported in the press.

श्री कपूर सिंह (लुधियाना) : अभी मेरे मित्र श्री कछवाय ने जो सुझाव दिया है उसके बारे में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सदन को समाचार पत्रों पर इस प्रकार की पाबंदी लगाने का कोई अधिकार ही नहीं है और यदि है तो इसका प्रयोग करना उचित नहीं होगा। समाचार पत्रों की स्वाधीनता पर हमें कोई हस्ताक्षेप नहीं करना चाहिये। हम तो उनसे केवल अनुरोध ही कर सकते हैं।

Shri A. P. Jain (Tumkur) : The House has got this right that it can instruct the press not to give publicity to such happenings here. Certain members who want to capitalise on this publicity, should be deprived of it.

Mr. Speaker : I am glad that certain members feel that such things should not be reported in the press. But we should not put any restrictions on the press in a hurry. As these things become frequent, the public will also form their own opinion about the activities of such members. I therefore do not want any discussion to take place on this.

श्री स्वैल : अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री मेरे प्रश्न का उत्तर दे रहे थे । मैं अपना प्रश्न दोहराता हूं कि ऐसे कौनसे कारण हैं जिनके आधार पर सरकार ने स्वर्गीय प्रधान मंत्री का यह सुझाव मान लिया कि चीन से हमारा झगड़ा अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग को सौंप दिया जाय परन्तु एक और सुझाव जो किसी ने दिया है कि संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधीन इस प्रश्न को किसी निष्पक्ष राष्ट्र को सौंप दिये जाने की बात नहीं मानी है ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : पहले तो हमें यह ही पता नहीं कि किसने यह सुझाव दिया है । जब ऐसा सुझाव ही नहीं आया तो उसे हम यहां क्यों उठायें ?

श्री नाथ पाई (राजापुर) : जब कभी चीन से बात चीत की बात होती है तो प्रधान मंत्री अथवा सरकार के वक्ता यह कहते हैं कि कोई ऐसा काम नहीं किया जावेगा जिससे देश के मान को हानि पहुंचे। परन्तु हमें जो चिन्ता रहती है वह है देश के क्षेत्रीय एकता की । क्या प्रधान मंत्री यह साफ तौर पर आश्वासन देने को तैयार हैं कि चीन के साथ ऐसा कोई समझौता नहीं किया जायेगा जिसमें इस देश की एक इंच भूमि भी उसे नहीं दी जायगी?

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : अध्यक्ष महोदय, आप ने कई बार यह आदेश दिया है कि मंत्रियों के उत्तर यथार्थ, संक्षिप्त और बहुत स्पष्ट होने चाहियें । मेरे मित्र नाथ पाई का प्रश्न केवल इतना था कि सरकार यह बताये कि देश की एक इंच भूमि का भी सौदा नहीं होगा । प्रधान मंत्री के उत्तरों से ऐसा प्रतीत होता है कि यह बात तब देखी जायगी जब बात चीत आरंभ होगी । मैं सरकार की इस प्रश्न पर जो नीति है उसे जानना चाहता हूं । क्योंकि यह प्रश्न देश के लिये बहुत महत्व पूर्ण हैं । संसद ने 14 नवम्बर को इसके बारे में एक प्रस्ताव पास किया हुआ है ।

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor) : The late Prime Minister, Shri Jawaharlal Nehru had declared in this House that no negotiations would be held with China unless they withdraw from our territory. Thereafter the conditions have changed, *e.g.* Pakistan's agreement with China whereby they gave a part of that part of our territory in Ladakh which is under illegal occupation of Pakistan, claim of China for a large part of our territory in NEFA and Ladakh and Prime Minister's inability to call a meeting of Colombo powers at Non-aligned nations conference because the Chinese sabotaged the same. In the light of these developments, I want to know how long will the Government of India continue its old policy of conciliation ?

Shri Lal Bahadur Shastri : Our resolve as well as the Colombo proposals have been approved of by Parliament also. We still stick to those proposals and any other action will be taken according to those proposals.

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मंदसौर) : मैं यह स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री हमें यह बतायें कि चीन से बात चीत करते समय एक इंच भूमि भी चीन को नहीं दी जावेगी ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : हम अपना क्षेत्र नहीं देंगे । परन्तु यह सच है कि हमें कोलम्बो प्रस्तावों को सदा ध्यान में रखना चाहिये ।

Shri Rameshwarananda (Karnul) : China is now more bitter towards us and she has occupied our territory also. She has also developed relations with our neighbouring countries. As we are prepared to talk to them under these circumstances, will our honour remain intact ?

Shri Lal Bahadur Shastri : Yes. I think there is no question of any honour or dignity in it. It is our policy to settle disputes by agreements. I do not think it has decreased our honour. Rather it has increased it.

देश में आर्थिक स्थिति के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE: ECONOMIC SITUATION IN THE COUNTRY

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : माननीय सदस्यगणों को स्मरण होगा कि मुझे संसद के गत अधिवेशन में देश की आर्थिक स्थिति का पुनर्विलोकन करने का अवसर मिला था। चालू अधिवेशन में इस सदन को आपाती आर्थिक स्थिति विशेषकर कृषि सम्बन्धी मूल्यों के बारे में चर्चा करने के कई अवसर प्राप्त हुए हैं। इस सदन में तथा इस सदन से बाहर कृषि उत्पादन में वृद्धि करने तथा कृषि सम्बन्धी पण्यों का वितरण करने के बारे में सरकार द्वारा उठाये गये अथवा उठाये जा रहे कदमों के बारे में चर्चा होती रही है। तथापि मेरा आज इस सदन में वक्तव्य देने का अभिप्राय उन पहलुओं से सम्बन्धित है जिनका आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित करने में समान रूप से योग होता है।

चालू योजना के प्रथम दो वर्षों में परिवहन, विद्युतशक्ति तथा कोयले की कमियों को पूरा करने के लिए हमने जो कदम उठाये हैं उनका औद्योगिक उत्पादन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। चीन द्वारा हमारी सीमाओं पर आक्रमण करने से जो कठिनाइयां उत्पन्न हुई हैं उनके बावजूद भी वर्ष 1963-64 में औद्योगिक उत्पादन में 9.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई जब कि वर्ष 1962-63 में 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी और वर्ष 1961-62 में 6.4 प्रतिशत की। चालू वर्ष में कुल सम्मिलित औद्योगिक उत्पादन के बारे में अभी से पूर्वानुमान लगाना समय से बहुत पहिले की बात है। तथापि हमारे अधिकतर महत्वपूर्ण उद्योगों में यह स्थिति है कि वहां अग्रेतर उत्पादन वृद्धि यथासम्भव अग्रेतर क्षमता पैदा करने वाली हमारी योग्यता पर निर्भर करेगी। सरकारी क्षेत्र में कई मूल उद्योगों, जैसे इस्पात, तथा मशीनें बनाने सम्बन्धी उद्योगों, के विस्तार कार्यक्रमों को कार्य रूप दिया जा रहा है। गैर-सरकारी क्षेत्र में भी अधिकतर मामलों में संस्थानों को अग्रेतर क्षमता के लिए लाइसेंस देने तथा समान आपात करने के लिए विदेशी मद्रा उपलब्ध करने सम्बन्धी कार्य पूरे हो चुके हैं। साथ ही साथ हमने बहुत सी अन्य कार्यवाहियां भी की ह जसे विकास बैंक तथा एकक प्रन्यास स्थापित करना, औद्योगिक उपक्रमों को प्रोत्साहन देने के लिये पर्याप्त संसाधन जुटाना।

तथापि, आम तौर पर यह महसूस किया जाता है--और जो अधिकाशत: सच ही है---कि विनियोजन के वातावरण का अभाव है अर्थात औद्योगिक विनियोजन के लिये अधिक बचत उपयोग किये जाने को प्रोत्साहन देने की हमारी वर्तमान व्यवस्था में कुछ कमी है, जब कि ये प्रबन्ध वित्त पोषण के सम्बन्ध में पर्याप्त हैं जो कि उद्योग् के आन्तरिक संसाधनों के साथ-साथ औद्योगिक विनियोजन में एक बड़ा महत्वपूर्ण तत्व है, ईक्विटीज (ऐसी पूंजी और हिस्से जिनसे कोई नियत व्याज प्राप्त न हो) में व्यक्तिगत विनियोजन के सम्बन्ध में त्रुटि है। किन्तु एक ऐसे समुदाय जिसमें हम यह चाहते हैं कि औद्योगिक विस्तार के काम में लोक अधिक से अधिक भाग लें, वहा ईक्विटीज में विनियोजन को और अधिक प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। मुझे महसूल होता है कि इस क्षेत्र में हमारे वर्तमान प्रबन्ध पर्याप्त नहीं है। जैसा कि इस सदन को पूंजीबाजार में साम्यपूंजी (ईक्विटी इशूज़) के बारे में विदित है; विशेषत: नई पूंजी से किसी प्रकार प्रोत्साहन नहीं मिलता है। हाल ही के समय में, अधिकतर साम्यपूंजी के मामले बीमाकर्ताओं (अन्डरराइटर्स) द्वारा ही लेने पड़े। इसका मुख्य कारण यह है कि धन लगाने वाले वर्ग, विशेषकर वे वर्ग जिनके साधन अधिक नहीं हैं, अपने द्वारा लगाये गये धन पर लाभांशों के रूप में प्राप्त होनेवाले लाभ के बिना कई वर्ष तक प्रतीक्षा नहीं करना चाहते हैं, जो लोग अधिग प्रतीक्षा नहीं कर सकते हैं वे ऋण-पत्रों अथवा अन्य रुप में विनियोजन करना अधिक पसन्द करते हैं जिससे उन्हें शीघ्र ही लाभ प्राप्त हो जाता है। अन्य लोग जो अधिक लाभ चाहते हैं और अधिक समय तक प्रतीक्षा कर सकते हैं वे नई कम्पनियों के लाभ में हिस्सा प्राप्त करने के उद्देश्य से अब भी उनके पूर्वाधिकार अंशों में पूंजी लगाते हैं। इसके साथ-साथ सुनिश्चित रूप से महत्वपूर्ण उद्योग में, जिन्हें पनपने में अधिक समय लगता है, नये एककों की स्थापना करके क्षमता उत्पन्न करना विशेषत: वान्छनीय है। इस स्थिति के निवारण करने

के लिए तथा भविष्य में अंशो (ईक्विटीज) पर गैरसरकारी विनियोजन को प्रोत्साहन देने के लिए मैं आगामी वित्त विधेयक में कुछ उपायों की घोषणा करना चाहता हूँ।

हम यह उपबन्ध करना चाहते हैं कि नये समवायों द्वारा, जो नया कारोबार शुरु करते हैं, जारी किये गये सामान्य साम्य अंशों में पूंजी लगाने वाले व्यक्ति सरकार से सहायता प्राप्त कर सके। यह सहायता कर ऋण पत्रों के रुप में होगी जो चार वर्ष के लिये वैद्य समझे जायेंगे। यह सुनिश्चित करने के लिये कि लोग सट्टेबाजी के उद्देश्य से पूंजी न लगा कर केवल वास्तविक प्रयोजन के लिए ही पूंजी लगायें, यह योजना बनाई गई है कि 15,000 रुपये प्रतिवर्ष विनियोजन करने वाले को इस पूंजी का 5 प्रतिशत के मूल्य के प्रमाणपत्र दिये जायेंगे। इसी प्रकार अगले 10,000 रुपये की पूंजी पर 3 प्रतिशत, और उससे आगे की 10,000 रुपये की पूंजी पर 2 प्रतिशत मूल्य के सहायता प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष दिये जायेंगे। इस प्रकार कोई भी व्यक्ति किसी निर्धारित वर्ष में अधिक से अधिक 35,000 रुपये का विनियोजन करने पर ही सहायता प्राप्त कर सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि पूंजी एक ही समवाय में लगायी जाये। इन कर प्रमाणपत्रों का उपयोग आयकर दायित्वों का भुगतान करने के लिए किया जा सकता है। जिन मामलों में इन करों के बारे में कुल दायित्व कर प्रमाणपत्रों की धनराशि से कम हो, अथवा कर दायित्व बिल्कुल ही न हों, तो यह धनराशि प्रमाणपत्र के जारी किये जाने की तिथि से 12 महिने बाद लोटा दी जायेगी। यदि इस प्रकार के विनियोजनों का चार वर्ष की अवधि के अन्दर हस्तान्तरण किया गया अथवा बेचा गया तो उस व्यक्ति को सहायता नहीं दी जायेगी। दाय अवक्रमण (डिवाल्यूशन बाई इनहेरीटैन्स) के मामलों में यह हस्तान्तरण नहीं समझा जायेगा।

इस सम्बन्ध में अग्रेतर ब्यौरा, यथा कौन-कौन उद्योग इसके अन्तर्गत आयेंगे तथा कर प्रमाणपत्रों को प्राप्त किये जाने के बारे में एक प्रेस विज्ञाप्ति शीघ्र ही प्रकाशित की जा रही है। इस सहायता योजना द्वारा विशेषक उन लोगों को प्रोत्साहन देने का विचार किया गया है जिनके पास विनियोजनार्थ साधारण पूंजी होती है ओर जिन पर सम्भवत: अधिक कर-दायित्व का भार भी नहीं होता है। मैं आशा करता हूँ कि इस उपाय द्वारा पहिले किये गये अन्य उपायों के साथ-साथ व्यक्तिगत साम्य (ईक्विटी) विनियोजन को प्रोत्साहन मिलेगा और देश में नये औद्योगिक एककों की स्थापना में वृद्धि होगी।

काफी समय से सरकारी सीक्योरिटियों में गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा बहुत कम धन लगाया गया है। सम्भवत: गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा अन्य सरकारी योजनाओं में विनियोजन किया जाता हो। बावजूत इसके सरकार के लिये आवश्यक है कि इस क्षेत्र द्वारा सरकारी सिक्योरिटियों में धन लगाया जाये। यह व्यवस्था करने का प्रस्ताव है कि लोगों के ये मामलों में अर्नजित आय पर लगाया जाने वाला अतिभार सरकारी सिक्योरिटियों से होने वाली आय पर नहीं लगाया जायेगा।

मैं एक और परिवर्तन लाने का विचार कर रहा हूँ। हाल ही में विदेशों में रहने वाले भारतीयों द्वारा प्रेषित किये जाने वाली धनराशियों में कमी हुई है और हमें उन विदेशस्थ निवासियों से जो कि भारत में धन भेजने के इच्छुक होते हैं, उन्हें सरकार द्वारा जो आज सुविधायें दी जाती हैं उनके बारे में कई अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं। मैं फिर यह दुहरा देना चाहता हूं कि विदेशस्थ निवासी जो भारत में रुपया लाते हैं उस पर कर नहीं दिया जाता है। इसके अतिरिक्त यह भी है कि विदेशस्थ निवासी जो अस्थायी रुप से भारत में रुपया लाते हैं उन्हें उस धन को वापिस ले जाने की इजाजत होती है बशर्ते कि वह धन विदेशस्थ निवासी खाजों में दिखाया गया हो और उस धन द्वारा अर्जित किये गये ब्याज पर भारतीय आय कर दिया गया हो, अर्जित किये गये ब्याज पर आय कर के भुगतान के सम्बन्ध में लगाये गये इस उपबन्ध के कारण अनेक विदेशस्थ निवासी विशेषत: भारत-मूलक हतोत्साहित हो जाते हैं जो कि विभिन्न अवधियों के लिये भारत में रुपया रखना पसन्द करते क्योंकि अन्य देश इस सम्बन्ध में अधिक आकर्षित सुविधायें देते हैं। अत: यह उपबन्ध करने का विचार किया गया है कि विदेशों में रहने वाले भारतीयों द्वारा विदेशों में मान्यता प्राप्त बैंकों के द्वारा हस्तान्तरित किया जाने

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

वाला धन जिसका खाता भारत के किसी बैंक में होगा उस पर भारत में लगने वाले कर नहीं लगाये जायेंगे। कर निर्धारण वर्ष 1965–66 तथा उसके बाद के वर्षों के लिये विदेशस्थ निवासियों की यदि कोई कर योग्य आय होगी तो उसमें यह ब्याज शामिल नहीं किया जायेगा।

ये सब उपाय जिनकी मैंने अभी घोषणा की है करारोपण सम्बन्धी मामलों के बारे में हैं। इसलिये ये सब उपाय अगले वित्त विधेयक में शामिल कर लिये जायेंगे। तथापि मैंने उनके बारे में इस समय घोषणा करने तथा उन्हें अभी से लागू करने का निश्चय किया है, जैसा कि मैं महसूस करता हूं कि इन उपायों द्वारा आगामी दो मास की अवधि में अर्थ व्यवस्था पर लाभदायक प्रभाव पड़ेगा।

श्री प्र० के० देव : श्रीमान, इस विवरण को वितरित किया जाना चाहिये।

श्री हरि विष्णु कामत : यह विवरण हमें मिलना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा।

स्वर्ण (नियंत्रण) विधेयक––जारी

GOLD (CONTROL) BILL—*Contd.*

अध्यक्ष महोदय : अब सभा में श्री ति० त० कृष्णमाचारी द्वारा 23 दिसम्बर, 1964 को जो प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर मतदान होगा :––

"कि समुदाय के आर्थिक तथा वित्तीय हित में सोने और सोने के आभूषणों तथा अन्य चीज़ों के उत्पादन, संभरण, वितरण, प्रयोग और रखने तथा उनके व्यापार पर नियंत्रण तथा तत्सम्बन्धी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाय।"

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : श्रीमान्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं आप का ध्यान नियम 367 की ओर दिलाना चाहता हूं। कल दोपहर के बाद जब आप पीठासीन नहीं थे .....

अध्यक्ष महोदय : सबसे पहले इसके लिये मुझे सभा से क्षमा मांगनी है ...

श्री हरि विष्णु कामत : कल नियम 367 का उल्लंघन हुआ था चाहे वह परिभाषिक ही हो। क्या मैं नियम 367 पढ़ूं ? नियम 367 के उपनियम (1) के अन्त में लिखा है : "वह दोबारा कहेंगे"। श्री मसानी जी ने वाद विवाद के अन्त में जब कि सभापति जी (श्री सोनावने) मतदान के लिये प्रश्न रख रहे थे, यह कहा :

"श्रीमान्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। सभा के समक्ष इस समय दूसरा कार्यक्रम है"।

क्योंकि कल की कार्य सूची के अनुसार 4–30 म० प० बजे कोई और कार्य लिया जाना था और चूंकि उस समय 4–32 या 4–33 हो चुके थे इसलिये श्री मसानी जी का प्रश्न उचित ही था और उन्होंने कहा था कि :

"इस प्रस्ताव पर आगे विचार कल तक स्थगित कर दिया जाये।"

यह भी उन्होंने उचित ही कहा। इस पर सभापति जी ने कहा :

"यह तो व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।"

श्री मसानी के यह दोहराने पर कि यह व्यवस्था का प्रश्न है। सभापति जी ने कहा कि : "छपा हुआ कार्य को लेना सुविधा पर निर्भर है..."

श्री मसानी के यह कहने पर कि "हम प्रक्रिया का उल्लंघन नहीं होने देंगे" सभापति जी ने सुविधा वाला वाक्य दोहराया। श्री रंगा ने बीच में बोलते हुये ठीक ही कहा कि इसमें सुविधा का कोई प्रश्न नहीं है। इसके पश्चात् सभापति जी ने कहा :

"प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये।"

फिर कुछ सदस्यों ने "हां" कहा तथा कुछ ने "नहीं"। सभापति जी को नियमानुसार कहना चाहिये था : मेरे विचार में प्रस्ताव के पक्ष वालों का बहुमत है। "परन्तु उन्होंने केवल यही कहा कि" "प्रस्ताव के पक्ष वालों का बहुमत है"। मेरे विचार से यह नियमों का उल्लंघन है। श्री हाथी ने भी बीच में बोलते हुए यही कहा कि अच्छा यही होगा कि हम इस कार्य को लम्बित रखें। हम अध्यक्ष महोदय को जो कुछ हुआ है उसकी सूचना दे देंगे और वह जैसा निर्णय लेंगे हम वैसा ही करेंगे। यदि नियमों का पालन हो तो ऐसी घटनाएं न हों। मैं इसी बात पर बल देना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं और अधिक सावधानी बरतूंगा। श्री कामत ने जैसे कहा है मैं सभापति द्वारा दिये गये निर्णय को रद्द नहीं कर सकता। मुझे यह सुन कर आश्चर्य हुआ है कि सभापति महोदय के केवल "मेरे विचार में" न कहने से सब गड़बड़ हो गई। मैं नहीं मानता कि यह कह देने से उस समय की स्थिति में कोई अन्तर आ जाता। कभी कभी हमारा तात्पर्य वही होता है यद्यपि हम उन शब्दों का प्रयोग नहीं करते।

श्री हरि विष्णु कामत : उस मामले में नियम में संशोधन कर दिया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : फिर जब सभापति महोदय ने यह कहा कि व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है तो उनका मतलब यह था कि उस समय जो कार्य चल रहा था वह समाप्त हो जाय फिर दूसरे कार्य को, कार्य सूची के अनुसार, थोड़ी देर बार भी विचारार्थ लिया जा सकता है। मैं इस में कोई हानि नहीं समझता। यह तो प्रतिदिन होता है और सभा की सुविधा से उनका यही अभिप्राय था।

श्री हरि विष्णु कामत : उनका यह आशय नहीं था। उन्होंने ऐसा नहीं कहा।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं इसे सभा के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं।

श्री सिंहासन सिंह : श्रीमान्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। यह प्रश्न दूसरा है : क्या आप इसे पुनः मतदान के लिये प्रस्तुत कर सकते है जबकि कल इस पर सभा द्वारा मतदान हो चुका है जब सभापति महोदय पीठासीन थे और जिन्होंने घोषित किया था कि यह पारित हो चुका है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपका प्रश्न समझ लिया है।

श्री सिंहासन सिंह : यह गृह मंत्री जी के कहने पर किया जा रहा है। मैं नहीं जानता कि क्या ऐसा दृष्टान्त बनाया जा सकता है। मेरा निवेदन है कि क्या सभा द्वारा एक बार पारित विधेयक दोबारा मतदान के लिये रखा जा सकता है ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने उनका आशय समझ लिया है। यह भी एक प्रश्न है ....

श्री श्यामलाल सर्राफ (जम्मू तथा काश्मीर) : मैं कुछ और भी कहना चाहता हूं .....

अध्यक्ष महोदय : शान्ति। शान्ति। गृह मंत्री ही नहीं परन्तु सभापति महोदय ने भी ऐसा करने को कहा है। इसलिये वह प्रश्न तो नहीं उठता। सभापति महोदय के मतदान को घोषित करने के पश्चात् उन्होंने कहा है इसे फिर से मतदान के लिये प्रस्तुत किया जाना चाहिये तो मुझे इसका पालन करना है।

श्री कपूर सिंह (लुधियाना) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि आप ने अभी अभी कहा है कि "मेरे विचार से" कहने अथवा न कहने से कोई अन्तर नहीं पड़ता परन्तु मेरा निवेदन है कि इन दो में सारवत् अन्तर है--"मेरे विचार प्रस्ताव के पक्ष में बहुमत है" में राय का प्रश्न है जब कि "प्रस्ताव के पक्ष में बहुमत है" वास्तविकता का कथन है--इन दोनों में सारभूत अन्तर है और यदि नियम के ठीक शब्दों का पालन नहीं होता तो सभा की कार्यवाही में सारभूत अन्तर आ जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस बात से सहमत हूं कि इन दोनों में अन्तर है। और जब हम संक्षेप रूप में यह कहते है "प्रस्ताव के पक्ष वालों का बहुमत है" तो हमारा अभिप्राय यह होता है "मैं समझता हूं कि प्रस्ताव के पक्ष वालों का बहुमत है"। क्योंकि प्रत्येक समय विभाजन के लिये कहा जाता है तो विभाजन के लिए अनुमति दे दी जाती है। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तब तो सदस्यों को शिकायत हो सकती है।

श्री हरि विष्णु कामत : नियमों को बदल दिया जाय।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :--

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में पारित किया जाय।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided

पक्ष में 209; विपक्ष में 62

Ayes 209 : Noes 62

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

संघ लोक सेवा आयोग के तेरहवें और चौदहवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

MOTION RE : THIRTEENTH AND FOURTEENTH REPORTS OF U.P.S.C.

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :--

"कि यह सभा 1 अप्रैल, 1962 से 31 अप्रैल 1963 तक की अवधी के लिए संघ लोक सेवा आयोग के तेरहवें प्रतिवेदन पर, उस पर सरकारी ज्ञापन सहित, और 1 अप्रैल, 1963 से 31 मार्च, 1964 तक की अवधि के लिए संघ लोक सेवा आयोग के चौदहवे प्रतिवेदन पर जो क्रमशः 19 दिसम्बर, 1963 और 18 नवम्बर, 1964 को सभा-पटल पर रखा गया है विचार करती है"

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

[Mr. Deputy Speaker in the Chair]

जैसा कि स्पष्ट है ये दोनों प्रतिवेदन सदन के समक्ष है। संघ लोक सेवा आयोग को संविधान के अनुच्छेद 320 के अन्तर्गत स्थापित किया गया है। सरकार को भी इस दिशा में किसी निर्णय को कार्यान्वित करने से पूर्ण आयोग की राय लेनी होती है। इन प्रतिवेदन में यह बताया गया है कि दो वर्षों में संघ द्वारा क्या कार्य किया गया है जिससे कि देश की प्रगति हुई है।

1962-63 के वर्ष में 12,600 मामले आयोग को भेजे गये थे, जिनके बारे में संघ आयोग का पूर्ण परामर्श लिया गया। केवल एक ही ऐसा मामला था जिसमें कि सरकार ने आयोग का परामर्श नहीं माना अन्यथा सब बातों में उसकी राय मानी गयी। जिस एक मामले में आयोग की राय नहीं मानी गयी, उसका स्पष्टीकरण एक अभ्यावेदन में कर दिया गया है। उस अभ्यावेदन को सभा पटल पर रख दिया गया है।

इसी प्रकार 1963-64 में चौदहवें संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन के अनुसार 14,425 मामलें आयोग के पास भेजे गये । और एक भी मामला ऐसा नहीं जिसमें कि आयोग की राय को अस्वीकार किया गया हो । जिस एक मामलें को सरकार ने स्वीकार नहीं किया उसमें भी स्थिति यह है कि सरकार सम्बन्धित अधिकारी को अधिक कड़ा दंड देना चाहती थी । कम से कम एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो गयी है कि हमने लोक सेवा आयोग के अपेक्षित महत्व दिया है और लगभग सभी मामलों में उसकी सलाह को स्वीकार किया है ।

हमें इस बात का सन्तोष है कि संघ लोक सेवा आयोग का कार्य प्रतिवर्ष बढ़ता ही जा रहा है । इसके बावजूद कार्य का निपटारा तुरन्त नहीं किया जाता । काम में काफी देर हो जाती रही है । इस पर इस वर्ष काम का निपटारा जलदी किया गया है । निर्दिष्ट किये गये मामलों अथवा नियुक्तियों के सम्बन्ध में कभी देर नहीं हुई और हम प्रति वर्ष आवश्वक संख्या के उम्मीदवार भर्ती करने में भी काफी सफल रहे हैं । अतः मैं प्रस्ताव करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री सेम्मियान (पेरम्बलूर) : मैं अपना स्थानापन प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं ।

श्री नारायण दांडेकर (गौंडा) : मैं यह नहीं कहना चाहता कि संघ लोक सेवा आयोग ने ठीक ढंग से कार्य नहीं किया । उसने बहुत अच्छा कार्य किया है । संविहित निकायों में से इस निकाय का कार्य सब से आगे है । अतः मेरा निवेदन यह है कि जो भी आलोचना मैं करूंगा उसमें मेरा दृष्टि कोण रचनात्मक है ।

मेरा निवेदन यह है कि सरकार में अधिकतर-स्वायत्त निकायों और सरकारी क्षेत्र के निगमों को संघ लोक सेवा आयोग के क्षेत्राधिकार से हटाने की प्रवृत्ति बढ़ रही है । अब ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय कृषि अनुसंधान परिषद् जिसमें काफी बड़ी संख्या में कर्मचारी है, स्वयं अपने पदों के लिए भर्ती कर सके । इस उद्देश्य के लिए उसे स्वायत्त निकाय बना कर संघ लोक सेवा आयोग के क्षेत्राधिकार को इस मामलें में समाप्त करने का इरादा है । सरकार को इस बारे में विचार करना चाहिए कि इन संस्थाओं में, जिनमें भर्ती करने के लिए उनके अपने सुगठित सेवा आयोग नहीं है ।

भर्ती करने का कार्य लोक सेवा आयोग द्वारा ही किया जाना चाहिए । और इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि जिन पदों के लिए विज्ञापन दिये गये और जिनके लिए इन्टरव्यू भी हो चुके हैं, उनमें से बहुत से मामलों में आयोग उपयुक्त उम्मीदवार भर्ती नहीं कर सका है । वैज्ञानिक प्रकार के नया शिक्षा सम्बन्धी पदों के लिए जो वेतन दिये जाते है वे पर्याप्त नहीं है । बात यह है कि संघ लोक सेवा आयोग कुछ विशेष प्रकार की सेवाओं सम्बन्धी पदों के विज्ञापन देकर भी और इन्टरव्यू लेकर भी योग्यतावान अथवा अपेक्षित अर्हताओं वाले व्यक्ति भर्ती नहीं कर सका है । अतः ऐसा मालूम पड़ता है कि इस अवस्था में कही न कही कोई कमी अवश्य है । पदों के लिए विज्ञापन देने तथा उनके लिए इन्टरव्यू करने इत्यादि पर जनता का बहुत अधिक धन खर्च हो जाता है । यदि खर्च के प्रश्न की उपेक्षा भी कर दी जाय तो भी उम्मीदवारों को होने वाली कठिनाई बहुत बड़ी बात है । ऐसे मामले बहुत ही कम है । उम्मीदवारों के इन्टरव्यू तथा उनका चुनाव कई महीने अथवा कई वर्ष पूर्व हो चुका है और वे बेचारे अभी तक नियुक्ति पत्र की ही प्रतीक्षा में बैठे हैं ।

अनुशासन के मामलों में सरकार ने प्रायः आयोग की ही बात मानी है यह तो बहुत अच्छी बात है और इसके लिए तो सरकार को मुबारकबाद देनी चाहिए । मैं आशा करता हूं कि सरकार उपरोक्त तीन बातों के बारे में काफी सतर्कता से काम लेगी और होने वाली कठिनाइयों को दूर करने का प्रयत्न करेगी ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर (जलौर) : दो प्रतिवेदन जो हमारे समक्ष है, यह नहीं बताते कि हमारा प्रशासन हमारी गम्भीर समस्याओं के प्रति सजीव नहीं है । यह बात निर्विवाद है कि इस समय प्रशासन की गति और क्षमता उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए । मैं प्रतिवेदन की कुछ बातों पर चर्चा करता हुआ कुछ महत्वपूर्ण बातों पर अपने विचार व्यक्त करूंगा जिनकी ओर कि बहुत पहिले आयोग अथवा सरकार का ध्यान जाना चाहिए था ।

14 वें प्रतिवेदन में कहा है कि आयोग मंत्रियों और विभागों का आभारी है कि उसे सभी का सहयोग प्राप्त होता रहा है । परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि सरकार व्यवहार इस मामलें त्रुटिहीन रहा है । मेरा मत यह है कि सरकार को इस दिशा में पड़े हुए बहुत भयंकर दोष में दिखाई नहीं दिये ।

आयोग कई वर्ष से मामलों को निर्दिष्ट करने में विलम्ब करने तथा अनधिकृत नियुक्तियों जैसी अनियमितताओं के बारे में उल्लेख करता आया है । ऐसी बातें अवश्य होती हैं किन्तु महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या सरकार ने इन बातों की ओर ध्यान दिया है । मामलों में अत्यधिक विलम्ब हुआ है और अनधिकृत नियुक्तियां की गई हैं जिन्हें न्यायसंगत नहीं कहा जा सकता है । किन्तु फिर भी सरकार द्वारा कर्त्तव्य की अवहेलना करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है । वर्तमान ढांचे में सरकारी उपक्रमों द्वारा नियुक्तियों के विषय को संघ लोकसेवा आयोग को सौंपना खेद की बात होगी । ऐसा करने से सरकारी उपक्रमों की कठिनाइयां दुगुनी हो जायेंगी और उनमें ऐसा गति अवरोध पैदा हो जायेगा जिससे हम कभी बाहर नहीं निकल पायेंगे ।

इस बात का खतरा है कि हिन्दी के माध्यम से विभिन्न परीक्षाएं देने वाले लोगों को हानी उठानी पड़ेगी । जहां तक आयोग के गठन के वर्तमान रूप का सम्बन्ध है, यह बात समझ में नहीं आती कि इसका अध्यक्ष केवल एक विशिष्ट श्रेणी के अधिकारी ही क्यों हों । मुसलमान के स्थान पर सदैव मुसलमान रखने का विचार उचित नहीं है । इस मामले में यह कहा जा सकता है कि गत वर्ष श्री जहिर के स्थान पर एक और मुसलमान नियुक्त किये गये । सरकार को व्यक्तित्व जांच पर भी प्रकाश डालना चाहिये और बताना चाहिए कि व्यक्तित्व की जांच के लिए कितने अंक दिये जाने चाहियें, इस प्रश्न को लेकर सदन में काफी क्षोभ रहा है ।

अनुशासनात्मक कार्यवाही सम्बन्धी वर्तमान स्थिति पूर्णत: असन्तोषजनक है । यदि सतर्कता आयोग, जो कि एक उच्च शक्ति प्राप्त निकाय है, यह समझता है कि किसी व्यक्ति को दण्ड मिलना चाहिए तो उस मामले को संघ लोक सेवा आयोग को निर्दिष्ट करना होगा और उस स्थिति में दो संस्थाओं के अधिकारों में परस्पर विवाद खड़ा हो जायेगा । आज जनता सरकार से असन्तुष्ट है । वह प्रशासन से असन्तुष्ट है, जिसका कारण यह है कि वह भर्ती, समुचित ढंग से नहीं कर सकी है । हम समुचित ढंग से प्रशिक्षण नहीं दे सके हैं और परिवर्तन नहीं ला सके हैं जिससे एक नये वातावरण उत्पन्न हो और नागरिकों तथा प्रशासनिक सेवाओं के पारस्परिक सम्बन्धों से पूर्ण रूप से परिवर्तन हो जाये । सरकार नहीं चाहती कि सेवाओं में, इन के ढांचे में अधिकारियों आदि के व्यवहार में और तत्संबंधी प्रक्रियाओं में किसी प्रकार के मूलभूत परिवर्तन किए जायें । यही कारण है कि हमारी योजनायें असफल हो रही हैं और हमारी जनता में उत्तेजना पाई जाती है ।

हमारे देश में यह दुर्भाग्य की बात है कि हम विभिन्न विभागों के बारे में अलग अलग रूप से विचार करते हैं । वास्तव में सत्ताधारी वर्ग का स्वरूप नौकरशाही स्वरूप है । इस नौकरशाही व्यवस्था में मंत्रियों का सन्मान नहीं किया जाता और लोकतन्त्र के प्रति भी आस्था नहीं पाई जाती । यदि सरकार चाहती है कि चौथी पंचवर्षीय योजना जैसी बड़ी योजना सफल रहे, यदि वह चाहती है कि देश के नागरिकों में सन्तोष की भावना पैदा हो तो उसे अविलम्ब मूलभूत सुधार करने के लिये तैयार होना चाहिये । संघ लोक सेवा आयोग और गृह-कार्य मंत्री को इकट्ठे बैठकर उन उपायों पर विचार करना चाहिये जिसमें कि इस चली आ रही स्थिति में सुधार किया जा सके । इसी ढंग से हम लोगों में संतोष की भावना का निर्माण कर सकते हैं ।

श्री मानसिंह पृ० पटेल (मेहसाना) : सब से पूर्व मैं मंत्री महोदय को इस बात के लिये मुबारक बात देता हूं कि उन्होंने इन दो प्रतिवेदनों पर चर्चा करने का अवसर प्रदान किया। अच्छा होता यदि प्रत्येक वर्ष के प्रतिवेदन को अलग अलग चर्चा करने का अवसर प्राप्त होता। फिर भी हमें अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्राप्त हो ही गया है। हमें उन लोगों का चुनाव बड़ी होशियारी से करना चाहिये जिनके आधार पर हमने राष्ट्र का प्रशासन करना है। आशा की जा रहीं है कि शिक्षा माध्यम और संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं का माध्यम भी हिन्दी हो जाय।

धारा प्रवाहित भाषा होना ही पूरी कसौटी नहीं होनी चाहिये। परीक्षार्थी की परीक्षा की कापी जांचते समय विषय के बारे में ज्ञान को भी ध्यान में रखना चाहिये। आई० ए० एस० के जैसे पदों पर नियुक्त करने के लिये उम्मीदवार को शारीरिक स्तर बढ़ाया जाना चाहिये और उसका पूर्णतया पालन करना चाहिये। हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिये कि नये आई० ए० एस पदाधिकारी तथा जनता के बीच सम्बन्धों में परिवर्तन होना चाहिये तथा जनता इस परिवर्तन को अनुभव करे। जब तक पदाधिकारियों में यह परिवर्तन नहीं लाया जाता तब तक लोक प्रसन्न नहीं होंगे।

कुछ लोग अब भी समझते हैं कि देश पर आई० ए० एस० अधिकारी शासन कर रहे हैं न कि मंत्री। हमारे इस सर्वप्रभुत्व सम्पन्न गणतंत्र राज्य में प्रजातंत्रीय शासन के 17 वर्षों के बाद हमारी स्थिति यह होनी चाहिये थी कि हम जनता को यह बता सकते कि केन्द्र अथवा राज्यों के मंत्रिमंडल अथवा पंचायती राज संस्थाओं द्वारा निर्धारित नीतियों ही मान्य होंगी, नौकरशाही द्वारा बनाई गई नीतियां नहीं। भारत में प्रशासन कार्य कुशल नहीं है। प्रश्न यह है कि क्या ऐसा सरकार की गलती के कारण है अथवा संघ लोक सेवा के उम्मीदवार चुनने के तरीके के कारण।

प्रतिवेदन में कहा गया है कि तकनीकी पदों के लिये योग्यता प्राप्त अधिक लोग नहीं मिलते हैं। यह इस समय दुर्भाग्य की बात है। सरकारी उपक्रमों के लिये नियुक्तियां करना संघ लोक सेवा आयोग के हाथ में देना आवश्यक नहीं है। एक पृथक स्थायी स्वरूप की सेवा आयोग की प्रणाली होनी चाहिये जो क्षत्रीय चयन भी कर सके। बहुत से जिलों में परीक्षा केन्द्र नहीं हैं। संघ लोक सेवा आयोग में सारे देश के लिये समान भावना हो इस प्रयोजनार्थ उत्तर, दक्षिण, पूर्व अथवा पश्चिम जैसी विभाजनात्मक बात नहीं होनी चाहिये और सारे देश के लिये एक स्तर होना चाहिय।

श्री सेझियान (पेरम्बलूर) : अखिल भारतीय सेवाओं तथा अन्य प्रशासन सेवाओं के लिये कर्मचारी अथवा अधिकारी चुनने का कार्य संघ लोक सेवा को है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। सरकार का कार्य मंत्रिमंडल अथवा मंत्री नहीं चलाते, यही लोग हैं जो सरकार चलाते हैं। अतः इन लोगों के चयन में पूरा ध्यान दिया जाना चाहिये।

सरकार की गतिविधि का विस्तार विभिन्न दिशाओं में हो रहा है। सरकार को अधिक से अधिक अधिकार मिल रहे हैं। सरकारी उपक्रम उभर रहे हैं। जो लोग प्रशासक नियुक्त हो रहे हैं उनका भी देश के निर्माण में महत्वपूर्ण स्थान है। अंग्रेज के राज्य काल में केवल 35 प्रतिशत भारतीय लोग अखिल भारतीय सेवाओं में थे। पहले तो इन पदों के लिये परीक्षाओं की व्यवस्था भी लंदन में ही होती थी, बाद में इसका प्रबन्ध भारत में हुआ। स्वतंत्रता के समय में इन सेवाओं में भारतीयों की संख्या आधी के लगभग थी। अंग्रेजी ही इन परीक्षाओं का माध्यम थी और अंग्रेजों का ही इस दिशा में दब दबा था। अब यह भय महसूस किया जा रहा है कि यदि प्रशासन की भाषा हिन्दी हो गयी तो हिन्दी भाषी प्रान्तों का हाथ काफी ऊपर हो जायेगा और अहिन्दी भाषी लोग पीछे रह जायेंगे।

संविधान सभा में भी कुछ लोग ऐसे थे जो इसी परिणाम पर पहुंचे थे और उन्हें यही भय था। उड़ीसा के श्री० बी० दास ने कहा था कि जो आज खतरा महसूस किया जा रहा है, इसका अहसास कुछ वर्ष पूर्व भी था। जब सरकारी काम अंग्रेजी में होता था और परीक्षाएं लंदन में होती थीं। अंग्रेजी वालों का बोल बाल रहता था। उसी तरह आज न सही पर 15 वर्षों के पश्चात् हिन्दी राज्य, अर्थात् उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश वालों का बोल बाला रहेगा।

[श्री सेझियान]

वह आगे कहते हैं कि वह हिन्दी भाषी लोगों के अगले पंद्रह, बीस या तीस वर्ष तक अखिल भारतीय सेवाओं में अनिश्चित भविश्य की स्थिति सहन नहीं कर सकते। दूसरी ओर अहिन्दी भाषी जनता ने अपना डर तभी व्यक्त किया था जब संविधान सभा ने राज भाषा के प्रश्न पर विचार करना आरम्भ किया था। परन्तु उनके भय को दूर करने के लिये कुछ नहीं किया गया। बहुत से लोग हम दक्षिण वासियों से कहते हैं कि दक्षिणवासी तो प्रखर बुद्धि वाले हैं और हिन्दी जैसी सरल भाषा को वे शीघ्र ही सीख सकते हैं और इसमें योग्यता प्राप्त कर सकते हैं परन्तु यह एक अप्रिय मज़ाक है। हर व्यक्ति अपनी मातृभाषा को सरल समझता है। परन्तु सच तो यह है कि जो व्यक्ति हिन्दी की पुस्तकों का अपनी मातृभाषा में अनुवाद करते हैं और अच्छी हिन्दी का ज्ञान रखते हैं वह भी हिन्दी में भाषण देने से हिचकिचाते हैं जैसे हमारे उपाध्यक्ष श्री कृष्णमूर्ति राव जी है। श्री सुनीति कुमार चटर्जी जिनका राजनीति से कोई सम्बन्ध नही है और जिन्होंने हिन्दी में कई पुस्तकें लिखी हैं और जिन्हें हिन्दी की सेवाओं के लिये "साहित्य वाचस्पति" की उपाधि भी मिल चुकी है वह भी हिन्दी को राजभाषा बनाने अथवा संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की भाषा बनाने के बारे में कहते हैं कि जबकि अंग्रेजी भाषा का प्रभाव सब राज्यों के वासियों पर एक सा है और यह भारत के विश्व से सम्पर्क की भाषा है और इसको अपना कर हम किसी दूसरी देशी भाषा को विशेष रियायत दे रहे हैं जबकि हिन्दी का भारत के शेष भागों में कोई बौधिक प्रभाव अथवा मूल्य नहीं है और अहिन्दी भाषी जनता हिन्दी अपनाने में अपने मन, धन तथा समय का व्यर्थ अपव्यय समझते हैं जब की वह हिन्दी को उनकी अपनी मातृभाषा से अधिक विकसित नहीं समझते। और यदि हिन्दी थोपी गयी तो वह अपनी भाषा को अपने ही प्रदेश में दूसरे दर्जे की पायेंगे जो वह सहर्ष स्वीकार नहीं कर सकते और जब हिन्दी शिक्षा तथा लोक सेवा आयोगों में भी आ गई तो वह अपने आपको निःसहाय पायेंगे।

व्यक्तिगत राय के अतिरिक्त राज्यों ने भी कुछ ऐसे ही विचार व्यक्त किये हैं जैसे जम्मू तथा काश्मीर राज्य ने। यही नहीं सभी अहिन्दी भाषी राज्य भी राजभाषा तथा लोक सेवा आयोग के माध्यम के बारे में भयभीत हैं। यदि अंग्रेजी के स्थान पर किसी दूसरी भाषा को रखा जाना है तो वह उतनी ही उन्नत हो तभी मान्य हो सकती है परन्तु हिन्दी चूंकि दूसरी तामिल जैसी भाषाओं से कम उन्नत है इसलिये इसे नहीं अपनाना चाहिये। यदि हिन्दी संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं का माध्यम बनी तो हिन्दी भाषी परीक्षार्थी आगे निकल जायेंगे। और यदि हिन्दी को लाना है तो अन्य क्षेत्रीय भाषाओं को भी स्थान मिलना चाहिये जैसा कि भारत सरकार बहुत पहले ही मान चुकी है और तत्कालीन गृह-मंत्री (श्री गोविन्द बल्लभ पन्त) ने भी लोक सभा में 2 मई, 1955 को कहा था और कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के 5 अप्रैल 1954 के प्रस्ताव का भी उल्लेख किया था। मैं गृह मंत्री जी से पूछता हूं कि क्या इस प्रस्ताव को भी कभी कार्यान्वित किया जायेगा? संघ लोक सेवा आयोग में हिन्दी को अन्य प्रविधिक विषयों के साथ साथ ऐच्छिक विषय रखने से हिन्दी विषय लेने वाले परीक्षार्थी 1961, 1962 तथा 1963 की परीक्षाओं में 200 के औसत अंक बाकी विषयों में प्राप्त अंकों से कहीं अधिक हैं। इससे स्पष्ट है कि हिन्दी मातृ भाषा के परीक्षार्थी हिन्दी विषय चुन कर बहुत अधिक या अनुचित लाभ उठाते हैं।

तामिलनाड को छोड़कर आंध्र प्रदेश में भी यह मांग की गई है कि "अखिल भारतीय सेवाओं में उचित प्रतिनिधित्व बनाये रखने के लिये इन परीक्षाओं में क्षेत्रीय क्षेत्रीय भाषाएं बरतने की आज्ञा भी दी जानी चाहिय" और यही मांग काश्मीर से कन्याकुमारी तक सभी अहिन्दी भाषियों की है।

कुछ लोग इन सेवाओं में कोटा निर्धारित करने का सुझाव देते हैं तो इन परीक्षाओं में प्रतियोगिता का अंश मिट जायेगा और यदि ऐसा किया जाना है तो अन्य भाषाओं को बरतने की आज्ञा भी दी जानी चाहिय। अन्त में मुझे यह कहना है कि केवल हिन्दी को ही अपना कर हम बहुत ही अनुचित कार्य करेंगे और वह लोग जिन की मातृ भाषा हिन्दी नहीं है उन्हें स्थायी रूप से हानि होगी और वह अपने देश में ही द्वितीय श्रेणी के नागरिक बन जायेंगे। इसलिये मेरी गृह मंत्री जी से प्रार्थना है कि कम से कम वह कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के प्रस्ताव पर इस सभा में दिये गये आश्वासनों को अवश्य कार्यान्वित करवायें। हमें कोटा अथवा कोई ऐसा उपबन्ध नहीं चाहिये। हमें दया या भीख नहीं चाहिये। हमें तो

भाषा सम्बन्धी अपना अधिकार चाहिये। हमें अपनी भाषा बरतने अथवा अपनी भाषा का सम्मान करने का हक दिया जाय। मैं संघ लोक सेवा आयोग, संसद् तथा सभी स्तरों पर में अपनी भाषा बरत का मूल अधिकार मांगता हूं। मैं अहिन्दी भाषी जनता के लिये न्याय की मांग करता हूं।

यदि हिन्दी ठोंसने की यही गति रही तो भारत श्री कृष्णमाचारी के अनुसार उत्तर प्रदेश तक ही सीमित रह जायेगा। हिन्दी तानाशाह भारत को केवल उत्तर प्रदेश के आकार ही बन जायेगा।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : मैं गृह मंत्रालय तथा संघ लोक सेवा आयोग को उनके आपसी सहयोग के लिये बधाई देता हूं परन्तु प्रश्न यह है कि क्या ऐसा सहयोग देश के हित में है? क्या इससे वह कार्य हो सकेगा जिसके लिये इस आयोग का गठन हुआ है। मैं समझता हूं कि इस तेजी से बदलती दुनियां में यह आयोग अभी तक भी पुराने ढंग अपनाये हुए हैं तथा उसके दृष्टिकोण और योग्यता मापने के तरीके पुराने हैं। हमें इस आयोग के गठन के तरीकों का पता नहीं है। इसके सदस्यों को कौन चुनता है और उनकी योग्यता के बारे में हमें कुछ भी मालूम नहीं है। मुझे उनके विरुद्ध कुछ नहीं कहना है वह सब अच्छे व्यक्ति हैं। मेरे विचार में सभी सेवा निवृत व्यक्तियों का एक आश्रम सा बन गया है जिसे केन्द्रीय लोक सेवा आयोग कहा जाता हैं सभी सदस्य वृद्ध हैं, उनके दृष्टिकोण पुराने हैं और उनके चुनने का ढंग पुराना है। पता नहीं उन्हें ही क्यों सारी बुद्धि तथा विश्व की सारी अच्छाई का भण्डार क्यों समझा जाता है। मेरे विचार एक ही बात के लिये इस आयोग के प्रति जनता की श्रद्धा नहीं है और वह है यह आयोग उन्हीं व्यक्तियों की सहायता के लिये बना है जो भाग्य के धनी हैं जो अन्त तक अपने वेतन कमाने की चिन्ता में लगे रहते हैं। परन्तु मैं यह अवश्य कहूंगा यह चिन्ताजनक स्थिति है और इसे समाप्त किया जाना चाहिये।

सभी स्तरों के सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति का काम यह संघ लोक सेवा आयोग करता है। परन्तु मेरा निवेदन यह है कि यद्यपि संसार में क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहे हैं, संघ लोक सेवा आयोग अभी पुराने तरीको ही बनाए हुए है। और लोगों की योग्यता को आंकने के लिये पुरानी कसौटियों का ही प्रयोग करता है। यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि संघ लोक सेवा आयोग में युवक क्यों नहीं लिये जाते। क्या बात है कि वहां वृद्ध सेवा निवृत्त लोग ही रखे जाते है।

मेरा निवेदन यह है कि सरकार भारत प्रशासन सेवा के अधिकारियों से नहीं चल रही और न चल ही सकती है। भारत सरकार का काम चलाने वाले असिस्टेंट हैं। उच्चतम अधिकारी के पास भी जो प्रारूप स्वीकृति के लिये जाता है। वह ये असिस्टेंट लोग ही तैयार करते हैं। मेरा कहना यही है कि सरकार को अलग से एक अन्य सेवा आयोग स्थापित करना चाहिये। वह आयोग केवल प्रथम श्रेणी के अधिकारियों की भर्ती का ही काम करें। जहां तक दूसरी तथा तीसरी श्रेणी के कर्मचारियोंका सम्बन्ध है उनके लिये एक अधिनियम संघ लोक सेवा आयोग होना चाहिये।

इसके साथ ही केन्द्रीय सचिवालय तथा अन्य कार्यालयों के लिये अर्द्ध स्थायी स्थिति लागू किये जाने का कोई कारण नहीं है। श्रेणी केवल एक ही होनी चाहिये। सेवा में भर्ती होने वाला व्यक्ति यदि परीक्षाओं का काल पूरा कर लेता है तो उसे स्थायी बना दिया जाना चाहिये। भिन्न भिन्न केन्द्रों में व्यक्तित्व परीक्षा का होना इस दृष्टि से अच्छा है कि किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का उसके स्थान की पृष्ठभूमि में ही मूल्यांकन किया जा सकता है। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जो व्यक्ति चुने गये हैं उनकी योग्यता आंकने के लिए सरकार को कोई अन्य आयोग अथवा समिति नियुक्त करनी चाहिये जो कि उनके सम्बन्ध में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। संघ लोक सेवा आयोग मेरे विचार में यह काम नहीं कर सकता।

श्री मलाइछामी : (पेरियाकुलन) : देश के प्रशासन में संघ लोक सेवा आयोग का महत्वपूर्ण स्थान है। इसने जो कार्य किया है और उसका पूरा किया जाना वाला उत्तरदायित्व बड़ा ही महत्वपूर्ण है। परन्तु इसके साथ ही मेरा यह निवेदन है कि तकनीकी तथा प्रशासनिक पदों के लिये उम्मीदवार भर्ती

[श्री मलाईछामी]

करने के मामले में कुछ कमियां भी है। इंजीनियर के पदो की संख्या 2,554 है परन्तु केवल 84 लोग ही मिल पाये हैं। इसी तरह विदेशी सेवा की 4282 स्थानों में से केवल 417 स्थानों के लिये ही सिफारिश की गयी। क्लर्कों के लिये भी 6465 स्थानों में से केवल 3,906 ही भरे गय।

तकनीकी पदों के लिए उपयुक्त उम्मीदवारों की कमी के कारण खाली स्थानों को नहीं भरा जा रहा है। यह स्थिति खेदजनक है। प्रशासनिक तथा क्लर्कों के पदों के लिये बहुत से आवेदन आते हैं। इससे सिर्फ यही मालूम होता है कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अपनायी गयी पद्धति उस प्रयोजन के अनुरूप नहीं है जिसके लिए परीक्षाएं ली जा रही हैं। व्यक्तित्व-परीक्षा की वर्तमान पद्धति से विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में पिछड़े वर्गों के उम्मीदवार को काफी नुकसान होता है। उन परीक्षाओं में किस प्रकार अंक दिये जाते हैं यह एक अज्ञात बात बनी हुई है। कभी कभी कम साधनों वाले लेकिन सिफारिश वाले कुछ लोग उत्तरदायी पद प्राप्त कर लेते हैं जब कि ऐसे लोग जिनके पास सिफारिश नहीं है उत्तरदायी पद नहीं प्राप्त कर पाते। व्यक्तित्व परीक्षा संविधान के सिद्धान्तों के अनुरूप नहीं है। देश में यह भावना बढ़ रही है कि कुछ कर्मचारियों और विशिष्ट व्यक्तियों के उत्तराधिकारियों को ही व्यक्तित्व परीक्षा के कारण सेवा में आ पाते हैं।

कभी कभी संघ लोक सेवा आयोग रिक्त पदों की संख्या का उल्लेख किये बिना ही योग्यता प्राप्त उम्मीदवारों से आवेदन पत्रों के लिए विज्ञापन करता है। जब रिक्त स्थानों की संख्या इतनी थोड़ी होती है कि वे विभाग से ही पदोन्नति के जरिये भरे जा सकते हैं तो अनेक आवेदनकर्त्ता तैयार हो जाते हैं। जिससे काम बहुत बढ़ जाता है और निराशा उत्पन्न होती है और आयोग का कार्य अनावश्यक तौर पर बढ़ जाता है। संघ लोक सेवा आयोग को गैर हिन्दी भाषी राज्यों के उन परीक्षार्थियों पर जिन्होंने अपने प्रश्नपत्रों का उत्तर अंग्रेजी में दिया हो, पर्याप्त सहूलियतें देकर उन्हें बिना किसी कठिनाई के उन परीक्षार्थियों के साथ साथ जो हिन्दी भाषी क्षेत्रों के हैं और जिन्होंने प्रश्नपत्रों के उत्तर हिन्दी में दिये हैं, उचित ध्यान देना चाहिए। मैं तो इस बात पर जोर दूंगा कि तीन भाषाओं को सीखने का सूत्र सर्वत्र लागू करना चाहिए।

Shri Gauri Shankar Kakkar (Fatehpur) : I have gone through the Report of Union Public Service Commission. During the British days we used to say generally that it was the rule of bureaucracy. But it was the hope of the people that after the achievement of Country's independence the bureaucratic mentality from amongst the public servants would disappear. To our great disappointment we find that even after seventeen years of freedom, that mentality still prevailed. In many cases it has even increased as compared with the British regime. This is really a sad affair.

The reason for all the state of affairs is that our National Government have adopted the same methods for the recruitment the personnel for its Public Services, as has been followed during the foreign rule. But now we have decided to establish a Socialistic Pattern of Society in this country, this old system should change. Our approach to all these problems must change, with the change of time.

I am of the opinion that separate Commission should be appointed to recruit personnel for the public sector. A person dealing with various matters relating to public sector should possess a particular type of mental equipment which most of our newly recruited Indian Adminstrative services unfortunately lack very terribly. The Government should also see that those responsible for a district administration should maintain close contact with the local people.

I am very lucky to state that our officers generally lack the feeling of living public servants and they have developed the mentality of thinking themselves to be rulers. This mentality will have to eradicate in the larger interests of the people.

As for Hindi, I may submit that it is now our State language, we must make arrangements so that the Union Public Service Commission may conduct its examinations in Hindi. Together with that, I may also put before the House that it has been mentioned in the report that there are instances where the requisite data in regard to the confirmation of certain persons, sent by the Ministry is not found to be correct. This is really very unfortunate and required careful consideration by the Home Ministry. Our services must change their methods and work according to the democratic needs of the country.

Shri J. P. Jyothishi (Sagar) : It is our duty to run our democratic Government in this country successfully. This is true that the policies are framed by the Government and the Parliament, but they are to be implemented by the officials *i.e.* public servants the ultimate success or otherwise of a policy mostly depended upon its implementation. It is the Union Public Service Commission, where foremost duty is to see that the personnel selected by it have nothing but the interest of the country at heart. It is felt that generally our officer lacked this type of national spirit. In a way the U.P.S.C.'s old method of recruitment is directly responsible for such a state of affairs. It still gives undue importance to the personality test and all that. It is wrong to assume that every youngman who passed his degree examination in the first is capable to being entrusted with the heavy responsibility for the administration of the country. We have to ascertain whether or not the Candiadate was capable of identifying himself with the changed environments.

I may also state that the security of tenure makes a man rather indifferent towards his functions and duties. The Government should examine whether the contract system can be adopted for the personnel in our public services. The contracts of those who are really found to be capable, may be renewd from time to time. This will make the Government capable of doing away with the incapable persons. I will also stress upon this that U.P.S.C. should also satisfy itself that a particular candidate do not have any parts affiliations before entering the service. It has also come to our notice many a time that in cases, the appointing departments do not accept the U.P.S.C.'s recommendations. This is very objectionable and should be avoided as soon as possible. I am also very happy that Scheduled Caste people and the Scheduled Tribes also got a fair share in the service. We have to raise their standard and it is a good start towards that direction. We must raise the living stantdard of the people of backward classes, the way is only this that they may be given their due in services.

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मंदसौर) : रिपोर्ट देखने से मालूम होता है कि संविधान में वर्णित संघ लोक सेवा आयोग के कृत्यों की उपेक्षा की जाती है और नियुक्तियों के संबंध में आयोग को बहुत देर से लिखा जाता है। कुछ कृपापात्रों को अनुचित ढंग से लेने का प्रयत्न किया जाता है जिससे संघ लोक सेवा आयोग जैसी संस्था का प्रयोजन ही नष्ट हो जाता है। कुछ ऐसे मामले भी हैं जिनमें वरिष्ठ अधिकारियों की, जो संघ लोक सेवा आयोग के नियंत्रण में होते हैं, शिकायतों पर समुचित ध्यान नहीं दिया गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 115 के उपबन्ध के अन्तर्गत बहुत से मामलों को ठीक नहीं किया गया। खेद है कि 1956 में प्राप्त हुए अभ्यावेदन भी अभी तक निपटाये नहीं गय हैं। इस मामले में जांच की जानी चाहिए।

[श्री उ० मु० त्रिवेदी]

यह रिपोर्ट सभा के सामने बहुत देर से आई है। ऐसी रिपोर्ट, जो अधिनियम के अन्तर्गत संसद के सामने पेश की जानी होती है, तुरन्त चर्चा के लिये रखी जानी चाहिय, अधिवेशन के अन्त में नहीं। अनुशासन संबंधी मामलों में एक ही प्रकार के नियम सब पर समान रूप से लागू होने चाहिये। संघ लोक सेवा आयोग को उसके कार्य के संबंध में जो क्षेत्राधिकार मंजूर किया गया है उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिये।

इन्टरव्यू में उम्मीदवार की योग्यता का मूल्यांकन उसके कपड़ों के आधार पर नहीं किया जाना चाहिये। देखना यह चाहिये कि वह उचित ढंग से कपड़े पहने है या नहीं और सभ्य समाज के शिष्टाचारों से अवगत है या नहीं। अनेक मामलों में जिम्मेदार पदों पर नियुक्त किये गय अधिकारी ऐसे पाये गये जो अपने देश के इतिहास और परम्पराओं संबंधी सर्व विदित तथ्यों से भी अनभिज्ञ थे।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

[Mr. Speaker in the Chair]

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मंदसौर) : हिन्दी का प्रश्न भी बड़ा महत्वपूर्ण है। हमें राजभाषा के रूप में हिन्दी को पूर्णता मान्यता देनी होगी। अभी तक ऐसा नहीं किया जा रहा। उम्मीदवारों को हिन्दी में परीक्षायें देने तथा इन्टर्व्यू में हिन्दी में बात चीत करने का अवसर दिया जाना चाहिए। इस तरह ही लोगों में हिन्दी सीखने का उत्साह पैदा होगा।

अध्यक्ष महोदय : यह चर्चा अगली बार जारी रहेगी।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--जारीं

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE—*Contd.*

केन्द्रीय सरकार से अनाज की अपर्याप्त सप्लाई के कारण बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में उत्पन्न गम्भीर खाद्य स्थिति के समाचार

Shri Kishan Pattnayak (Sambalpur) : In Bihar, Orissa and all other States there are certain areas who do not have much political influence and most of the foodstuffs supplied those areas goes to the black market. What steps Government propose to take to open more fair price shops in those areas?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : उड़ीसा तो ऐसा राज्य है जहां अधिक अन्न पैदा होता है। हम उड़ीसा सरकार को अधिक तादाद में खाद्यान्न नहीं दे रहे हैं क्योंकि वहां की खाद्य स्थिति राज्य सरकार ने ठीक ढंग से अपने काबू में की हुई है। जहां तक बिहार और अन्य क्षेत्रों का सम्बन्ध है इस में कोई संदेह नहीं है कि हमने उन्हें काफी मात्रा में गेहूं तथा चावल भेजने का उत्तर-दायित्व अपने ऊपर लिया हुआ है। जहां तक उनके वितरण का सम्बध है वह तो राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है और मुझे विश्वास है कि वह उस काम को ठीक निभावेंगे।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : विवरण में उड़ीसा के बारे में कहा है कि वहां पैदावार काफी बढ़ी है। मैं ने प्रश्न किया था कि वहां केन्द्रीय स्टाक में से गेहूं कम भेजा गया है। पैदावार के आंकड़ों के अनुसार उड़ीसा में उन वर्षों में पैदावार में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है जिनके बारे में आंकडे दिये गये हैं। उड़ीसा के मुख्य मंत्री ने 12 दिसम्बर को भुबनेश्वर में कहा है कि केन्द्रीय कोटा में से उन्हें 10 प्रतिशत भाग भी नहीं दिया गया है और इस कारण वहां गेहूं की बहुत कमी अनुभव की जा रही है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या कारण है कि सरकार उनसे फालतु चावल तो ले लेती है परन्तु उन्हें गेहूं नहीं दे रही है?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : उड़ीसा में चावल अधिक खाया जाता है। उन राज्यों में जहां लोग गेहूं अधिक खाते हैं, वहां पैदावार कम हुई है। इस लिये हम आयात किये हुए गेहूं में से केवल 55,000 टन गेहूं ही दे सके और ऐसी परिस्थितियों में हमारे लिये यह संभव नहीं है कि जितना कोई राज्य मांगे हम उन्हें उतना ही दे देवें।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : फिर आप ने गेहूं के कार्ड क्यों जारी कर दिये ?

श्री हरिश्चन्द्र माथुर (जालोर) **:** मैं यह नहीं पूछना चाहता कि किसी राज्य की मांग कितनी है। मैं तो यह पूछना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान सरकार को कितना अनाज देने का वचन दिया था और पिछले तीन महिनों में कितना अनाज उन्हें दिया गया है। क्या कारण है कि सदन में प्रधान मंत्री तथा खाद्य मंत्री ने यह आश्वासन दिया था कि 15 या 31 अक्तूबर के पश्चात खाद्यान्न के मिलने तथा कीमतों के बारे में स्थिति सुधर जावेगी, फिर भी मूल्य बढ़ते ही जा रहे हैं ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जो विवरण दिया गया था उसका आधार खरीफ की फसल था। इस समय अनुमान यह है वास्तव में खरीफ की फसल इस वर्ष इतनी अच्छी है कि इतनी पहल कभी नहीं थी। फिर भी बाज़ार में अनाज कम आ रहे हैं क्योंकि व्यापारी तथा उत्पादक वहां लाने में हिचक रहे हैं। इसका कारण वह मनोवृति है कि जितना जिसके पास है उसे छोड़ो मत। राज्य सरकारों ने जो इस दिशा में कदम उठाये हैं उन से हमें आशा है कि हालत सुधर जावेगी।

जहां तक राजस्थान का सम्बंध है मैं इस बात से सहमत हूं कि पिछले तीन महिनों में हम उन्हें उतना अन्न नहीं दे सके जितना कि देना चाहते थे। और यह बात केवल राजस्थान ही नहीं अपितु अन्य राज्यों के बारे में भी सही है क्योंकि 11 लाख टन के स्थान पर हमें केवल 6 लाख टन ही अन्न मिल सका और वही सब राज्यों को बांटना पड़ा।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) **:** क्या यह सच नहीं है कि पंजाब सरकार चार महिनों तक प्रति मास 50,000 टन गहूं चाहती थी। क्या यह भी सच नहीं है कि गेहूं की कमी के कारण वहां कानून और व्यवस्था की स्थिति में कमी होती जा रही है ? क्या कारण है कि पंजाब सरकार ने सरकारी कर्मचारी तथा अन्य कर्मचारियों के प्रदर्शनों को रोकने के लिये जितना अन्न मांगा था, उसे वह भी नहीं दिया गया ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मुझे विश्वास है कि आप इस बात से सहमत होंगे कि पंजाब सारे भारत के अन्न की खेती है और वह इतना अन्न उत्पन्न करता है कि जिससे वह न केवल पंजाब के व्यक्तियों का पेट भर सके अपितु अन्यों का पेट भी भर सके। इस लिये जब हम ने पंजाब का अलग ज़ोन बनाया तो उसके साथ केवल दिल्ली और हिमाचल प्रदेश को ही शामिल किया क्योंकि यह छोटे क्षेत्र हैं और हमें विश्वास था कि वह अपनी ही पैदावार से इनका भी अन्न के मामले में काम चला देगा। लेकिन वहां भी कमी हो गई और इस लिये मैं ने वचन दिया था कि दिसम्बर में 25,000 टन अन्न पंजाब को दिया जावेगा और ऐसी ही स्थिति रही तो जनवरी, फरवरी तथा मार्च में भी इसी मात्रा में देते रहेंगे।

श्री मा० ल० जाधव (मालेगांव) **:** क्या यह सच है कि महाराष्ट्र में अन्न के मूल्य बहुत बढ़ गये हैं और वह बाजार में मिल भी नहीं रहे हैं ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : ऐसे सामान्य प्रश्न का उत्तर तो मैं नहीं दे सकता। महाराष्ट्र में और विशेष कर बम्बई नगर में तो गेहूं और चावल वितरण करने का उत्तरदायित्व तो केन्द्रीय सरकार ने अपने उपर लिया हुआ है। उसके अतिरिक्त हम ने उन्हें 10 लाख टन गेहूं और चावल उन्हे दे दिया है। अभी खरीफ की फसल भी आ गई है और उनकी सलाह है कि जुवार को काफ़ी मात्रा में खरीदेंगे।

श्री बालकृष्ण वासनिक (गोंडिया) : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बम्बई शहर में गेहूं और चावल की पूर्ति का कार्य केन्द्रीय सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है, क्या भारत सरकार ने नागपुर, पूना तथा सोलापुर जैसे बड़े नगरों के बारे में भी कुछ इसी प्रकार की व्यवस्था करने की सलाह है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : यदि महाराष्ट्र सरकारने हमें 1 लाख टन अन्न उस अन्न में से प्रयोग करने की अनुमति दे दी तो हम अवश्य इस अन्न को नागपुर, पूना आदि नगरों में बांट सकेंगे ।

श्री सोनावने (पंढरपुर) : विवरण में कहा गया है कि महाराष्ट्र देश में जुवार की कुल पैदावार का 33 प्रतिशत भाग पैदा करता है । इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार का क्या विचार है कि 45 रु० प्रति क्विंटल जो उन्हों ने निर्धारित की है, क्या वह पैदा करने वालों को प्रोत्साहित करती है कि वे अपना अन्न बाजार में भेजे अथवा इसके विपरित काम करती है और सरकार इस ओर क्या कदम उठा रही है जिस से लोग अपना माल बाजार में भेजें ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : सारे भारत के लिये जो कीमत निर्धारित की है वह है 38–00 रु० । महाराष्ट्र में विशेष कीमत अर्थात 45–00 रु० निर्धारित की है । यदि इस मूल्य पर भी लोग अपना माल बाजार में नहीं भेजती तो महाराष्ट्र सरकार निर्णय लेगी कि कितना मूल्य और आगे निर्धारित करें ?

श्री वि० तु० पाटिल (कोल्हापुर) : क्या भारत सरकार मण्डलों (ज़ोनस) को समाप्त करने का विचार रखती है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : इस पर विचार मार्च–अप्रैल में होगा ।

Shri Balmiki (Khurja): I am not satisfied with the statement. The position in U. P. is unsatisfactory. The supplies made by centre to my state is not upto the mark. This has not stopped the starvation condition there. The prices have also gone up especially of wheat and maize ranges from Rs. 40·00 to Rs. 50·00 per maund. In view of this does Government intend to send more wheat there?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैं ने विवरण में भी कह दिया है कि जितना अन्न हम ने 1964 में आयात किया उसका $\frac{1}{5}$ भाग हम ने उत्तर प्रदेश को दिया है । वैसे खरीफ़ की फसल भी वहां अच्छी हुई है । केवल नगरों में वह अभी पूरी तरह नहीं आया और उस सीमा तक हम उन्हें गेहूं दे रहेहैं ।

Shri D. D. Mantri (Bhir): Centre has not supplied in full promised quota of foodgrains to Maharashtra. The foodgrains are not available in fair price shops too. I want to know by what time will that State get its promised share and thus put an end to this unsatisfactory condition?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जहां तक महाराष्ट्र की बात है वहां स्थिति ठीक है क्योंकि बम्बई की बन्दरगाह वहां है और जब अनाज बाहर से आता है तो वह वहीं उतार कर काम चला लेते हैं ।

श्री जसवंत मेहता (भावनगर) : खाद्य की स्थिति देश में खराब होती जा रही है । मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में दिये गये वचनों के बावजूद इस ओर कोई राष्ट्रीय नीति नहीं अपनाई गई है । अभी मंत्री महोदय ने कहा कि वे मार्च-अप्रेल में जोनों को समाप्त करने पर विचार होगा । क्या कारण है कि इस बारे में मार्च-अप्रैल से पहले निर्णय नहीं लिया जा रहा ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : यह मार्च-अप्रैल में स्थिति पर विचार करने का निर्णय मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में लिया गया था ।

श्री अ० ना० विद्यालंकार (होशियारपुर) : पिछली परम्परा को ध्यान रखते हुए कि आटे के मिलों को चालू रखते रहना है, क्या यह सच है कि सरकार ने पंजाब के आटे मिलों को 58,000 टन अन्न देने का वचन था परन्तु केवल 26,000 टन ही अन्न उन्हें दिया जा सका और इस कारण उन मिलों को चलाना कठिन हो गया है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जी हां । जितना अन्न उन मिलों को चलाने के लिये आवश्यक है उतना हम उन्हें नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि हमें और जगह भी अन्न देना है । क्योंकि पंजाब बहुत अन्न पैदा करता है इस लिये हमने उन्हें एक अलग ज़ोन में रखा हुआ है ।

कपास के अनिवार्य सर्वेक्षण के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE: COMPULSORY SURVEY OF COTTON

अध्यक्ष महोदय : श्री मनुभाई शाह, कपड़ा आयुक्त के उस कथित निर्णय के बारे में कि कपास और इसकी कीमतों के अनीवार्य सर्वेक्षण होना चाहिये, एक वयान देंगे ।

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : क्योंकि कुछ सदस्य कपास के संभरण के बारे में प्रश्न पूछ रहेथे, इस लिये मैं आपका आभारी हूं कि आप ने मुझे यह बयान देने का अवसर दिया है ।

पिछले कुछ सप्ताहों में कपास की विभिन्न किसमों में मूल्य बढ़ने की प्रवृत्ति दिखाई दे रही है हालांकि इस वर्ष कपास की फसल अच्छी हुई है अर्थात 60.5 लाख गांठ और इसके अतिरिक्त 9.5 लाख गांठों आयात की भी व्यवस्था की गई है और 26 लाख गांठ हमारे पास पीछे से बचे हुए हैं । इस कीमत के बढ़ने का कारण बाजार में सट्टे की प्रवृतियां हैं, तथा कपड़ा मिलों की यह आयात कि वे इसे खरीदने में जल्दी कर रहे हैं तथा यह भी कि उत्पादक भी अपने पास रखे हुए हैं । ऐसे समाचार भी थे कि सामान्य किमतों से अधिक कीमत हो गई और इस लिये सांविधिक किमत पर कपास खरीदना सम्भव नहीं रहा । वैसे तो कपड़ा मिलों की पैदावार के 50 प्रति शत उत्पादक पर सांविधिक मूल्य नियंत्रण है ।

इस ओर संतोष जनक तरीके और प्रक्रियात्मक ढंग अपनाने के लिये बम्बई में 17 दिसम्बर 1964 को कपड़ा आयुक्त न उत्पादकों, उत्पादकों की सहकारी समितियों, कपड़ा व्यापार, पूर्वी भारत कपास असोसियेशन भारतीय कपास मिल्स फैडरेशन की एक बैठक बुलाई । इस बैठक में उद्योग के बम्बई, अहमदाबाद, कानपुर, कलकत्ता तथा इन्दोर के मुख्य प्रतिनिधि आये तथा अन्य कपास व्यापार और सहकारी समितियों और कई राज्यों के कपास उत्पादक भी आये । इस बैठक की अध्यक्षता वाणिज्य सचिव ने की ।

उस बैठक में यह बात मान ली गई कि कपास की बहुत सी किसमों के मूल्य कई बार तो अन्तिम सीमा तक पहुंच गये थे । यह फैसला हुआ कि ऐसे प्रयत्न किये जायें जिस से उत्पादकों को अच्छे दाम मिलने चाहिये और साथ ही मिलों को भी ठीक दामों पर माल मिलता रहे ।

बैठक ने इन ओर कई सुझावों पर विचार किया । उस बैठक का बहुमत यह था कि जहां मूल्य अन्तिम सीमा को भी पार करने लगें वहां कपास का सर्वेक्षण किया जावे और यह सर्वेक्षण पहले की भांन्ति पूर्वी भारत कपास असोसियेशन द्वारा करवाया जावे ।

Shri D. S. Patil (Yeotmal) : I want an assurance that the growers will not be losers and they fear that the prices might decrease to that extent.

Shri Manubhai Shah : I have given that assurance in my statement also. We want to bring down prices as they have pierced even the ceiling prices of cotton.

Shri Tulsidas Jadhav (Nanded) : If prices of cotton go down, will Government enter the market to buy it.

Shri Manubhai Shah : For a few weeks this difficulty was experienced by growers last year as well as the year before that. The hon. member is aware how much attention Government then paid to this matter.

समुद्री तूफान के कारण रामेश्वरम में हुए विनाश के बारे में

RE : TIDAL WAVE CATASTROPHE AT RAMESHWARAM

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : अध्यक्ष महोदय, पूर्व इसके कि कोई और काम किया जावे मैं आपका ध्यान रामेश्वरम द्वीप के एक भाग का समुद्री तूफान के कारण डूबने की, ओर दिलाना चाहता हूं । हम चाहते हैं कि जो थोड़ा बहुत इस बारे में सरकार को पता है वह हमें बताये ।

अध्यक्ष महोदय : क्या मंत्री महोदय इस बारे में कुछ कहेंगे ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : सब से पहले तो मैं उन अभागे व्यक्तियों के लिये सहानुभूति प्रकट करना चाहता हूं जो उस क्षेत्र में दुर्घटना के शिकार हुए । हमें तो कल सायंकाल ही कुछ समाचार मिले हैं । तुरन्त ही रक्षा मंत्रालय से बात चीत की कि जो भी सहायता वह दे सकते हैं दे । अभी थोड़ी देर हुई मुझे समाचार मिला है कि लगभग 200 व्यक्तियों की मृत्यु की संभावना है । हमारी वायू सेना तुरन्त वहां गई और उन्हें खाद्य सामग्री डाल रही है । मद्रास सरकार भी इस ओर अपनी शक्ति के अनुसार सहायता पहुंचा रही है ।

अध्यक्ष महोदय : हमें बड़ा दुःख है कि ऐसी दुर्घटना वहां हो गई । हम उन परिवारों के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट करते हैं जिनके घर वाले इस दुर्घटना के कारण मर गये ।

लोक महत्व के विषयों के बारें में एक घंटे की चर्चा

ONE HOUR DISCUSSION ON MATTERS OF PUBLIC IMPORTANTCE

अध्यक्ष महोदय : पिछली बार जब मैं ने यह कहा था कि जब सत्र समाप्ति के पास आवे तो हम एक घंटा कुछ महत्व पूर्ण विषयों की चर्चा पर लगा दिया करें तो मेरा आशय यह था कि सदस्य गण कुछ ऐसे मामलों को उठा सकें जो उनके निर्वाचन क्षेत्र में उत्पन्न हो गये हो और जिस के बारे में केन्द्रीय सरकार उत्तरदायी हो । मेरा यह अभिप्राय नहीं था कि जो मामले पहले बार उठाये जा चुके हैं उन्हें फिर यहां इसके अन्तर्गत उठाया जावे ।

इसके अतिरिक्त समय की न्यूनता का भी मामला है । यदि मैं मंत्रियों से उन सब के उत्तर के बारे में कहूं तो आधा समय तो वहीं ले लेंगे और केवल आधा घंटा सदस्यों के लिये बचेगा । इस में अधिक से अधिक 6 सदस्य बोल सकेंगे यदि मैं ने हर एक को पांच पांच मिनट भी दिये ।

इस लिये मैं इस बारे में प्रक्रिया निर्धारित करना चाहता हूं चाहे आज के एक घंटे का कुछ समय इस में लग जाये । मेरा अभिप्राय यह था कि सदस्य गण अपने निर्वाचन क्षेत्रों के बारे में वह प्रश्न उठा सकें जिनके बारे में केन्द्रीय सरकार उत्तरदायी है और जो पहले उठाये नहीं जा चुके हैं और वे उन विषयों पर कुछ सहायता चाहते हैं । सरकार इन मांगें तथा प्रार्थनाओं पर सत्र के अवकाश में विचार करे । मेरे विचार में इस से कुछ लाभ होगा । मंत्रियों के लिये यह सम्भव न होगा कि वे तुरन्त उत्तर दें परन्तु उन प्रार्थनाओं पर वे अवकाश में विचार करेंगे और जो प्रश्न सदस्यों ने उठाये उनको उस ओर उत्तर भी

भेज देवेंगे। यदि इस से सहमत हैं तो मैं केवल सदस्यों को ही बुलाऊंगा। मंत्रिगण तो केवल सुनते रहें। मैं उन्हें नहीं बुलाऊंगा। हां, यदि उन में से कोई मंत्री तुरन्त ही उत्तर देना चाहे तो वह ऐसा कर सकता है।

अब मैं सदन के नेता की सलाह चाहता हूं कि क्या इस तरह सदस्यों को कुछ सहायता मिल सकती है।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : अध्यक्ष महोदय, हम आप के लिये आभारी हैं कि आप एक नये प्रक्रिया को शुरू कर रहे हैं जो राष्ट्र तथा जनता के हित में है। जब हमारे पास बुलेटिन आया हो उस में निर्वाचन क्षेत्र का तो कोई उल्लेख नहीं था और हम ने समझा कि आपका मतलब लोकहित के प्रश्नों से है, जो यहां इस तरह उठाये जा सकेंगे। आपको शायद यह भी याद होगा कि लगभग 7 वर्ष पूर्व स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री जवाहर लाल नेहरु ने एक बार बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि जब कोई सदस्य निर्वाचित हो जाता है तो वह किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र का नहीं अपितु सारे भारतवर्ष का प्रतिनिधि है। इस लिये मैं आप से अनुरोध करूंगा कि आप इस सुझाव पर विचार करें कि इस समय वे सब प्रश्न उठाये जा सकें जो राष्ट्रीय महत्व के हैं और जिनके बारे में ठीक ढंग से उत्तर नहीं दिया जा सका है। इसे हम केवल किसी के निर्वाचन क्षेत्र तक ही सीमित न रखें।

अध्यक्ष महोदय : श्री कामत के प्रश्न के बारे में यह कह दूं कि बुलेटिन में यह लिखा था "जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने 3 अक्तूबर 1964 को घोषित किया, सत्र के अन्तिम दिन एक घंटा सदस्यों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों के बारे में कहने की अनुमति दी जावे"।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : यदि इसे केवल निर्वाचन क्षेत्रों के प्रश्न उठाने के लिये ही छोड़ना है तो मेरे विचार में इस एक घंटे को नष्ट न करना चाहिये क्योंकि यह काम तो हम मंत्री महोदयों को लिख कर भी कर सकते हैं। इस लिये मेरे विचार में इसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिये रखना चाहिये चाहे उनकी यहां सदन में पहले चर्चा भी हो चुकी हो परन्तु संतोषजनक उत्तर न मिल सके हों।

श्री श्यामलाल सर्राफ (जम्मू तथा काश्मीर) : यदि यहां निर्वाचन क्षेत्रों के बारें में इस एक घंटे में चर्चा होने लगी तो यह समय नष्ट ही होगा। इस लिये मैं श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी से सहमत हूं कि इस समय केवल राष्ट्रीय महत्व के प्रश्नों पर ही विचार किया जावे।

श्री कपूर सिंह (लुधियाना) : शुरु में इस एक घंटे की चर्चा का जो प्रयोजन था वह यह था कि इस से दो बातों की पूर्ति हो। पहले तो यह कि जो मामले उठाये जायें वह इस उच्च सदन के हित में हों और दूसरे वह लोकहित का हो। यदि यह दो बातें पूरी हों तो सदस्यों को हक होना चाहिये कि जो चाहे कह सकें।

डा० मा० श्री० अणे (नागपुर) : मेरे विचार में यह सदस्य पर ही छोड़ देना चाहिये कि वह क्या कहना चाहता है अर्थात चाहे वह अपने क्षेत्र के बारे में कहे अथवा किसी ओर के बारे में।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-मध्य) : मेरा अपना विचार यह था कि आप ऐसा चीज ला रहे हैं जिसका उद्देश्य यह है कि वह सदस्य गण जो पहले अधिक भाग न ले सके हैं वे भी कुछ बोल सकें। यदि वे अपने निर्वाचन क्षेत्र के प्रश्नों को लाना चाहें तो भले ही उनकी चर्चा करें। मैं ने तो समझा कि इस से सदस्यों को एक अच्छी खासी छूट मिल जावेगी जिसमें वे अपनी बातें खूब कह सकें।

श्री सोनावने (पंढ़रपुर) : मैं यह अनुरोध कर दूं कि आप अपनी मर्ज़ी से इस समय को बढ़ा दिया करें। कई बार सत्र के अन्तिम दिन मंत्रिगण बड़े महत्वपूर्ण बयान दे देते हैं जैसे कि आज ही रेलवे मंत्री ने किया। इस लिये आप इसका समय बढ़ा दें और हर सदस्य को अपने निर्वाचन क्षेत्र के बारे में कुछ कहने की अनुमति दे दिया करें।

श्री बड़े (खारगोन) : इस प्रकार का मौका देने के लिये हम आप के आभारी हैं। इस सदन के 500 सदस्य हैं और उन सबको ऐसे बोलने का अवसर दिया जाना असम्भव है। अच्छा यह होगा कि हर सदस्य सत्र समाप्त होने से पहले अपने निर्वाचन क्षेत्र के बारे में आपको कुछ प्रश्न भेज दिया करें और आप उन्हें मंत्रियों को भेज दिया करें और वे अन्तिम दिन उनके उत्तर पढ़ दिया करें।

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : यह बात सदस्य के ऊपर छोड़ देनी चाहिये कि वह अपने निर्वाचन क्षत्र के बारे में प्रश्न करना चाहता है अथवा किसी राष्ट्रीय महत्व का प्रश्न पूछना चाहता है क्योंकि वह भी एक प्रकार उनके निर्वाचन क्षेत्र से सम्बन्ध रखता है। मैं अपने ही निर्वाचन क्षेत्र के बारे में कह दूं कि वहां के लोग मुझसे रेल का पुल बनाने के बारे में कह सकते हैं और क्योंकि वहां एक विश्वविद्यालय है इस लिय वह यह भी पूछ सकते है कि जयप्रकाश नारायण ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री भूट्टो के बारे में क्या बयान दिया। इस लिये इन बातों को सदस्यों की मर्जी पर छोड़ देना चाहिये।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : मैं आपको बधाई देता हूं कि आपके समय में गैर-सरकारी सदस्यों को बोलने का पहले से अधिक अवसर मिलता है। इस लिये यह समय बढ़ाया जाये और इस समय केवल वही प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाये जिसका हमारे निर्वाचन क्षेत्र अथवा राज्य से सीधा सम्बन्ध हो।

अध्यक्ष महोदय : क्या प्रधान मंत्री कुछ कहना चाहते हैं ?

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : जैसे कि आपने कहा है कि गत सत्र में यह निर्णय किया गया था कि सदस्यों को चुनाव क्षेत्रों के मामलें प्रस्तुत करने के लिये एक घंटा निर्धारित किया जाय। यह बहुत अच्छा विचार है। इस एक घंटे में माननीय सदस्य अपने रचनात्मक सुझाव प्रस्तुत कर सकते है। ये सुझाव सरकार और मंत्रियों दोनों के लिए ही लाभदायक सिद्ध होंगे। इस सम्बन्ध में जो प्रक्रिया आपने निर्धारित की है वह मुझे स्वीकार है और सदन से भी मेरा यही निवेदन है कि वह इसे स्वीकार कर लें।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रथम बार है और शायद सभी माननीय सदस्यों से इस ओर ध्यान नहीं दिया, केवल 22 नाम ही आये हैं। और मुझे आशा है कि आगामी सत्र के अन्त में यह संख्या 100 तक पहुंच जायेगी। प्रश्न यह है कि इसको कैसे चलाया जाय। फिर प्रश्नों के भाग भी होते हैं: (क), (ख), (ग) और (घ) इत्यादि। यदि मेरी बात मानी गयी तो विषय के बारे में तथा माननीय सदस्यों के नामों का निर्णय करना होगा। और किसी विषय पर चर्चा भी हो जायेगी।

Shri Yashpal Singh (Kairana) : My request is that in this matter the discretion may be left to the Prime Minister. He will decide which is the important question and which should be discussed first.

श्री हरिश्चंद्र माथुर (जालौर) : मेरा निवेदन यह है कि यह अच्छा रहेगा कि मामले पर कार्य मंत्रणा समिति में चर्चा कर ली जाय।

श्री बदरुद् दूजा (मुर्शिदाबाद) : मेरे विचार में सारे सदस्य जिनकी संख्या 500 से अधिक है, अपनी समस्याओं पर चर्चा नहीं कर सकते।

श्रीमती सावित्री निगम : मेरा निवेदन है कि इस महत्वपूर्ण मामलें का निर्णय बैलट से नहीं करना चाहिए। अच्छा है कि यह मामला आप पर ही छोड दिया जाय।

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख (परभणी) : मेरे विचार में इस मामलें में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स की प्रक्रिया अपनानी चाहिए। वहां इस कार्य के लिए एक समूचा दिन निर्धारित कर लिया जाता है। उस दिन जो भी माननीय सदस्य कुछ कहना चाहे कह सकता है। इस दिन उन सदस्यों को बोलने का अवसर दिया है जिन्हें वैसे बहुत कम अवसर प्राप्त होता है।

अध्यक्ष महोदय : अभी हाल तो मैं केवल उन्हीं सदस्यों को बुलाऊंगा जो अभी तक नहीं बोले। क्या कोई माननीय सदस्य ऐसे है जो अभी तक न बोले हो ?

Shri Badshah Gupta (Manipuri) : Whenever I go to Chandani Chowk, I see the poor hawkers moving about the pavement, hawkers and vendors in Delhi were harassed by the Police. They are poor people who cannot afford to take shop and run it. The Government should look into the matter and see that poors should get an apportunity to earn their living without any lit or hindrance.

Shri Utiya (Shahdol) : Whenever, I go to my constituency I receive complaints from the Government employees. I feel that a Sadachar Sumiti may be formed there.

Shri Mate (Tikamgarh) : I want to impress upon the Government that the platform should be raised at Nimari Station. I have already requested the Government to give attention to it. The level of platform is very low.

Shri N. N. Patel (Bulsar) : The food situation in Gujarat is very serious. People are becoming impatient. Their patience is being exhausted. The Government should take some urgent measures to improve the food situation there to solve their problem. I may suggest that Zonal barriers may be removed. Let us see for a month or so whether it is possible to improve the situation by doing away with the Zonal system. Shri Rafi Ahmad Kidwai achieved a grand success in solving this difficult problem.

Shri Surya Prasad (Bhind) : Shri Nanda has pledged to remove the corruption. It is really a very big work. To remove corruption from amongst the officials and non-officials is tremendous, but I feel if the corruption is removed from the Police officials half of the task is done. There is no use absolutely to frame laws and rules.

Shri Bhajahari Mahato : I want to state that the railway line between Purulia and Kotshila should be extended to Ranchi. The line has a length of only 22 miles.

Shrimati Basant Kumari (Kaisarganj) : The land in Uttar Pradesh is given to those who have money. The poor people have no money, they are unable to give money. This matter should be seriously considered.

†**श्री शिवशंकरन** (श्री पेरूमबुदूर) : मद्रास में आज जल का अभाव हो रहा है। गुलाटी आयोग को कार्यान्वित करने में देरी हो रही है। मद्रास नगर में जल सम्भरण की व्यवस्था की जाय।

Shri Chandramani Lal Chaudhri (Mahua) : It has been stated that there is corruption everywhere. I may submit that it is not fair to criticize and challenge the Government in each and every case. We should carefully see and examine the matter first before we come out to criticize the Government. It is after all Government of 42 crores of poeple.

Shrimati Laxmi Bai (Vicarabad) : I have been impressing upon the Government for the last four years regarding the sugar factory in Andhra Pradesh. Andhra Pradesh Government have also put forward their recommendations in this connection. Four Agriculture Ministers have come and gone,

†तमिल में कही गई बातों का श्री सेझियान द्वारा अनुवाद।

†Translation by Shri Sezhiyan of observations made in Tamil.

[Shrimati Laxmi Bai]

but nothing has been done in this connection. So I submit that early steps should be taken to set up a Sugar Factory in Andhra Pradesh.

Shri P. G. Sen (Purnia) : I have received a letter from the Deputy Minister which tells me that the Supreme Court has declared Railway Rules Nos. 148 and 149 as null and void. But the Railway Board have taken a certain decision which come into conflict with that ruling. I urge upon the Government that the matter should be looked into.

अध्यक्ष महोदय : आगामी सत्र में सभी दलों के सदस्यों की बैठक बुलाऊंगा और इस बात का प्रयत्न किया जायेगा कि इस घंटे का अधिक से अधिक लाभ उठाया जाय। अब सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित होती है।

लोक-सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई ।

The Lok-Sabha then adjourned sine die.

2656

भा०स०मु०ना–वि० 2–17 लोक सभा/65–28-7-65–600

P.L.S. 48. XXXVI. 29.64(N)
600

© 1965 प्रतिलिप्यधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त ।

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों (पांचवां संस्करण)
के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित और मुख्य व्यवस्थापक,
भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित ।

© 1965 BY LOK SABHA SECRETARIAT

PUBLISHED UNDER RULES 379 AND 382 OF THE RULES OF PROCEDURE AND CONDUCT OF BUSINESS IN LOK SABHA (FIFTH EDITION) AND PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD NEW DELHI.